an>

title: Further discussion on the agrarian situation in the country raised by Shri P.Karunakaran on the 18th March, 2015 (Discussion not concluded).

HON. DEPUTY SPEAKER: Now, the House shall take up Discussion under Rule 193 regarding Agrarian situation in the country. Shri Kodikunnnil Suresh to continue his speech.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on the agrarian situation in the country.

Sir, I am going to focus only on my State of Kerala. The agricultural scenario in Kerala is getting worse day-by-day, especially, in paddy production. The professional estimate of agricultural income of the State recorded a negative growth of 1.79 per cent during 2009-2010. The quick estimate for 2010-2011 also indicate a decline of 0.78 per cent growth over 2009-2010.

The share was 17.48 per cent during 2004-05 and it declined to 10.5 per cent in 2010-11. The real GDP growth at factor cost increased to 8.5 per cent in 2010-11 from 8.0 per cent in 2009-10 in the country. After two consecutive years of subdued performance, agriculture turned into a significant driver of growth in 2010-11. The situation of agricultural production and marketing is getting worse day by day. The cost of production is increasing due to higher rate of wages, high cost of manures, low productivity and low prices of the products. The climate change, drought, untimely rain, etc., affect the cultivation very badly. Crop insurance has not become universal and hence the farmers are in distress.

Adding to their misery, now the Government has decided to stop interest subsidy on short term loans given to the farmers. The UPA Government had introduced the scheme with an objective to help the farmers. The Reserve Bank of India has directed all the banks to stop this scheme by 30th June 2015. The hon. Agriculture Minister is sitting here. It is a very important issue. Recently, the Reserve Bank of India has given this direction to all nationalised banks to stop the interest subsidy on short term loans. The objective of the scheme is to provide loans to agriculturalists to do repeat cultivation, which is very important. This short term loan from the scheduled commercial banks is helping the farmers to do repeat cultivation. In the guise of reducing illegal transactions, the Government is stopping this scheme, which was a great boon to the farmers. The banks used to sanction a short term loan, up to Rs. 3,00,000 per crop, with two per cent interest subsidy. Moreover, on the basis of surety, Agricultural Gold Loan was allowed at seven per cent interest. If the loan is repaid in equal instalments without failure, then a bonus interest subsidy of three per cent is allowed under the scheme. The hon. Agriculture Minister should give a reply on why it has happened and why the Reserve Bank of India gave such a direction to the banks because it has adversely affected the small and marginal farmers. It is a great jolt to the farmers.

Instead of giving more help to the farmers, the Government is introducing anti-farmer steps while the Government has not stopped any subsidy schemes given to the industries or to the businessmen in the country. They are only stopping the subsidy on loans being given to the farmers, but the subsidy being given to the corporate sector is not being stopped. This is the attitude of the NDA Government against the farmers. This attitude of the Central Government is endangering the agricultural sector where almost 70 per cent of the workforce of the country is engaged.

If this attitude of the Government regarding subsidy continues, it will lead to more suicides by farmers. It is a very dangerous situation. Since you have withdrawn the subsidy on short term loan, the small and marginal farmers are in trouble. Ultimately, it will lead to suicides by farmers; the rate of suicides by farmers will increase. Therefore, the Government should respond to that. Hence, I would request the Government to reintroduce the interest subsidy scheme in respect of the agricultural sector immediately.

Mr. Deputy-Speaker, Sir, may I invite the attention of the Government to the vulnerable condition of the paddy cultivators of Kerala? Kuttanad, which is under my parliamentary constituency, and Palakkad are the two major paddy production centres in Kerala. In 2012-13, rice was cultivated in 1,97,000 hectares of area and the production was 5,08,000 metric tonnes. The productivity per hectare is 2,577 kilograms.

**15.00 hrs**

There were 7,359 *padashekarams* in Kerala. The procurement of paddy is done by the Kerala State Civil Supplies Corporation. This is under the Government of Kerala. This agency is not paying the money in advance to the farmers or at the time of paddy collection. The farmers never get the money in time. That is a very serious issue in Kerala and especially in Kuttanad. The Civil Supplies Corporation which is under the Government of Kerala has collected paddy from the farmers. But they are not giving money on time. This is a very big crisis that our farmers are facing in my constituency Kuttanad. There is a huge demand from the farmers for this. The Government always agree to pay on time, but it gets delayed for months together. The support price fixed for paddy is only Rs.1,900 per quintal. This amount of Rs.1,900 is the MSP for paddy now. It is not on par with the cost of production. The cultivators never get profit at this rate. There is a huge demand from the people to raise the Minimum Support Price from Rs.1,900 to Rs.2,500 per quintal. I would request the Government to accept the MSP for paddy at the rate of Rs.2,500 per quintal.

There is a lack of warehouse facility for storing paddy immediately after the cultivation. In my constituency Kuttanad there is no storage facility. The Central Warehousing Corporation has not started any storage facility in Kuttanad. Kuttanad is one of the major paddy cultivating areas. I would request the hon. Minister to consider this.

Another major issue which we are facing in Kuttanad is this. The productivity from the land is gradually coming down in this area. The reason is that the nutrient of the soil is getting lost due to the continuous use of chemical and fertilizer. The soil requires regeneration. I would urge that assistance may be provided to the cultivators for rejuvenation of the soil.

The last point is about the Kuttanad package. The Kuttanad package was announced by the UPA-I Government. After that, the UPA-II Government implemented it. The Kuttanad package of about Rs.1,840 crore was formulated by Dr. M.S. Swaminathan. But it got over in 2014. But, I would urge that the period of the package should be extended up to 2020 and in addition, Rs.1,000 crore should be sanctioned under RKVY and the Flood Management Scheme. Then only, Kuttanad will be protected. Thank you.

श्री नन्दकुमार सिंह चौहान **(खंडवा) :** सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर सारे सदन में अपनी चिन्ता व्यक्त की है। कुछ विषय ऐसे होते हैं, जिस पर सारा सदन राजनीति से ऊपर उठकर चिन्ता करता है।

**<u>15.04 hrs</u>** (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

कृषि की वर्तमान स्थिति पर, वास्तव में सारे देश में विगत माह में जो ओले बरसे, बारिश हुई, तूफान आया उसके कारण देश के अनेक राज्यों के विभिन्न हिस्सों में भारी नुकसान हुआ। यह बात जब शासन तक पहुंची, तो एक संवेदनशील सरकार ने इसे संज्ञान में लिया और देश के गृह मंत्री तथा कृषि मंत्री से लेकर अन्य मंत्रियों ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बार-बार कुदरत के रूठने के कारण, प्रकृति के लहरीपन के कारण किसान पर लगातार मार पड़ती है और किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसका धन खुले आसमान के तले पड़ा रहता है। अन्य लोगों की सम्पत्ति तो तिजोरी में बंद रहती है या गोदामों में रहती है, लेकिन एक किसान ही है, जिसके ऊपर प्रकृति की मार का सबसे अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है।

**ग्लोबल वार्मिंग के कारण पूरे विश्व का मौसम संयमित नहीं रहा। बेमौसम बरसात होना, अचानक ओले बरसना, तूफान आ जाने के कारण किसानों पर भारी मार पड़ती है। आज़ाद हिन्दुस्तान में ऐसे प्राकृतिक आपदाओं में किसान की सहायता के लिए भारत सरकार के कुछ प्रावधान रहे हैं। अभी तक जब प्राकृतिक आपदा से फसल का नुकसान होता था, तो केन्द्र सरकार का कानून था, नियम था कि उसी समय केन्द्र सरकार की तिजोरी किसानों के लिए खुलेगी, जब नुकसान 50 प्रतिशत से अधिक होगा। लेकिन एक किसान होने के नाते मुझे आज यह कहते हुए बेहद प्रसन्नता है कि 65 वर्षों का वह कानून किसानों के हक में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने बदलकर 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान के स्थान पर 33 प्रतिशत नुकसान पर भी किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी। यह फैसला देश के किसानों के लिए एक क्रांतिकारी फैसला है। यहाँ पर एक राजनैतिक व्यक्ति नन्दकुमार सिंह चौहान नहीं बोल रहा है, बल्कि बुरहानपुर जिले का एक किसान आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है। इसी के साथ, अभी तक नुकसान के लिए सहायता दिये जाने के जो पैमाने थे, उसे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा दिल करके किसानों को अब तक प्राकृतिक आपदा में जितने नुकसान पर सहायता दी जाती थी, उसे बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया। यह छोटा फैसला नहीं है। यदि मेरे जैसे किसान को पूर्व की सरकारों के समय के पैमाने से सहायता दिये जाने का प्रावधान था, तो 50 प्रतिशत से अधिक मेरा नुकसान हुआ है, तो मुझे मदद मिलती थी, लेकिन अब मेरे 33 प्रतिशत के क्राइटेरिया में आ जाने से मुझे केन्द्र सरकार की सहायता मिलेगी। यदि पहले मापदण्ड पर मुझे एक लाख रुपये की सहायता मिलनी थी, तो आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो मापदण्ड बदल दिये, उनके कारण अब मुझे एक लाख रुपये के स्थान पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता मिलेगी।**

सभापति महोदय, आज किसानों के लिए यह क्रान्तिकारी निर्णय है। आने वाले समय में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए हमें और कुछ निर्णय करने होंगे। रासायनिक खाद पर हमारी खेती की निर्भरता बढ़ने के कारण उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन किसान की लाभ प्राप्ति में कमी आ गयी। हमारे देश में, जब मैं छोटा था, उस समय हमारे आस-पास के सारे किसानों के पास खेती के साथ पशुधन भी हुआ करता था। रासायनिक खाद बहुत कम लोग जानते थे। पशुधन होने के कारण दूध उत्पादन के साथ गोबर खाद का इस्तेमाल किसान खेती में करते थे, जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती थी और खेती की लागत भी कम आती थी। लेकिन अब देश में पशुधन जिस तेजी से घट रहा है, उसके कारण अब किसानों के पास गोबर खाद उपलब्ध नहीं है और वे पूरी तरह से रासायनिक खाद पर निर्भर हैं। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम पशुधन के पालन को प्रोत्साहन देने हेतु एक सहायक व्यवसाय के रूप में देश भर में मजबूती से एक नया नेटवर्क खड़ा करें, जिससे खाद की बड़ी मात्रा में पूर्ति गोबर खाद के रूप में हो और कृषि लागत में कमी हो।

इसी के साथ, प्रधानमंत्री जी ने एक क्रान्तिकारी निर्णय लिया है कि 50 प्रतिशत की जगह यदि 33 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है तो केन्द्र से आर्थिक सहायता दिए जाने और दी जाने वाली सहायता को बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दिया गया है। मैं कृषि मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि किसानों के लिए एक बहुत मुआफिक, व्यवहारिक फसल बीमा योजना इस देश में लागू करने का समय आ गया है। वह फसल बीमा योजना व्यावहारिक हो और यदि किसान प्रीमियम देता है तो फिर उसके नुकसान में फसल बीमा योजना से सहायता मिले। अभी जो फसल बीमा योजना लागू है, मैं एक किसान होने के नाते आग्रह के साथ कह रहा हूं कि उसमें मौलिक परिवर्तन करने की जरूरत है। इसमें और आगे बढ़कर, यदि कोई राज्य सरकार अपने राज्य के लिए अपनी फसल बीमा योजना बनाकर अपने किसानों के लिए लागू करना चाहती है तो केन्द्र सरकार उसमें भी सहायक बनकर, राज्य और केन्द्र की योजनाओं को क्लब करके, किसानों की फसल बर्बाद होने पर उसे अधिक से अधिक सहायता मिले, इसका इंतजाम करना चाहिए। मध्य प्रदेश में हमारी राज्य सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किसानों के बीच खड़े होकर यह बात कही है कि राज्य सरकार की फसल बीमा योजना लागू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनके इस विचार और प्रस्ताव को भारत सरकार सहारा बनाकर यदि उस स्तर पर फसल बीमा योजना लागू करेगी तो वह अधिक लाभप्रद होगी। इससे किसान को कष्ट और संकट के समय में इस फसल बीमा योजना के माध्यम से मदद मिल सकेगी। इसलिए इस प्रकार के प्रावधान करने का समय आ गया है।

मैं कृषि मंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों से आग्रह करूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो क्रांतिकारी फैसला किसानों के हित में किया है, यह परिवर्तन 65 साल में पहली बार हुआ है। इसी प्रकार से फसल बीमा योजना में भी परिवर्तन करके उसे व्यावहारिक बनाया जाए और लागू किया जाए।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव **(बाँका) :** उपाध्यक्ष महोदय, एक अतिमहत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है। सदन में आदरणीय गृह मंत्री जी और कृषि मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। देश के सामने एक बहुत बड़ी विषम प्राकृतिक आपदा सामने आई है। लगातार छः महीने या करीब एक साल से देश में कहीं न कहीं कोई न कोई विपदा या संकट आ रहा है, चाहे जम्मू-कश्मीर में हो या उत्तराखंड में या देश के अन्य राज्यों में हो। कोई न कोई प्राकृतिक आपदा देश में आ रही है और फिर वह विकराल रूप धारण कर लेती है। हमारा राज्य बिहार भी इससे अछूता नहीं है। कृषि मंत्री जी भी बिहार से आते हैं। वहां प्राकृतिक आपदा ने भयानक कहर ढहाया है। एक तरफ कोसी नदी में आई बाढ़ के कारण बर्बादी हुई है और दूसरी तरफ मौसम का जो मिजाज़ बदला है, बेमौसम जो बारिश हुई है, उसने किसानों का सब कुछ लूट लिया है। किसान ने इससे पहले बैंकों से या अन्य जगहों से कर्ज लेकर किसी तरह संसाधन जुटाकर खून-पसीना बहाकर अपनी खेती की, जिसे वह अपने पुत्र से भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन सब कुछ पानी में डूब गया यानि उसकी फसल और घर तक इस बेमौसम की बारिश और फिर उससे आई बाढ़ से तबाह हो गए। उसने तिलहन, दलहन या गेहूं की जो फसल अपने खेतों में बोई थी, वह सब नष्ट हो गई है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए और उसे अपनी नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति का मुआवजा मिलना चाहिए।

बिहार का कोई जिला प्राकृतिक आपदा से अछूता नहीं है। मेरा संसदीय क्षेत्र बांका के अलावा नालंदा, भागलपुर,मुंगेर, जमुई लखीसराय या पटना आदि सभी जिलों में जान-माल की भारी हानि हुई है। हम नारा लगाते थे - जो जमीन को बोए, वही मालिक होए। लेकिन आज इस प्राकृतिक आपदा और कहर के कारण जो जमीन जोत रहे हैं, वे किसान माथे पर हाथ रखकर रो रहे हैं। इस तरह लक्षण ठीक नहीं हैं। मैं कुछ और कहूंगा तो उधर से आवाज आएगी, लेकिन साल होने को आ रहा है, लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। प्रकृति का प्रकोप सामने आ रहा है और हमारा अन्नदादाता सुखी नहीं है, दुखी है। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि देश की समृद्धि का रास्ता किसान के खेत और खलिहान से गुजरता है। आज उस किसान पर विपदा आई है और वह रास्ता संकट का रास्ता बन गया है।

किसान और मजदूर राष्ट्र की तरक्की का प्रतीक होते हैं। वे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं और उसके लिए अपना खून और पसीना बहाते हैं। लेकिन आज हमारे किसान की आंखों में आंसू हैं तो कैसे आप 'मेक इन इंडिया' का सपना साकार कर पाएंगे और कैसे समृद्ध भारत बनेगा, जब स्मार्ट गांव ही नहीं बन पाएगा तो कैसे 'मेक इन इंडिया' और स्मार्ट सिटीज बना पाएंगे। जब किसान आत्मनिर्भर होगा, कृषि आत्मनिर्भर होगी, तब हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हो सकेगी, लेकिन आज की स्थिति अच्छी नहीं है। आप अच्छे दिन आएंगे की बात करते हैं, लेकिन किसानों के बुरे दिन आ गए हैं, उन्हें मदद की जरूरत है। भूमि बिल पर मैं नहीं कहूंगा, वह तो एक काला कानून है, उसका विरोध तो सड़कों पर हो रहा है। जिस प्रकार से पांच इंच जमीन के लिए महाभारत हुई थी, उसी तरह से भारत में जमीन के लिए जंग होगी, लेकिन कभी भी काला कानून पास नहीं होने देंगे। इससे किसान का रास्ता रुक जाएगा। इसलिए वह मुद्दा अपनी जगह पर है।

रोशनी आने पर लोग भूल जाते हैं, चिराग गरीबों के बुझा दिए जाते हैं, इंसानियत का चिराग बुझा दिया जाता है, किसान और मजदूर का चिराग बुझा दिया जाता है कि अच्छे दिन आ गए हैं। डीजल और बिजली नहीं है। जमीन बचाओ, जमीन बचेगा तो खेती बचेगा, किसान बचेगा, मजदूर बचेगा, नौजवान बचेगा और तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा जीवन बचेगा। आज जो प्राकृतिक आपदा आयी है, जिसके कारण किसान आत्महत्या करने पर आमादा हैं, उनकी कौन सुन रहा है? उनकी भी सुननी चाहिए। गृह मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं, हम इनसे निवेदन करते रहते हैं और जो असंवेदनशील हैं। माननीय राधा मोहन सिंह जी भी बैठे हुए हैं, हम जो भी आग्रह करते हैं, देश और खास कर बिहार के लिए, हम बांका संसदीय क्षेत्र से चुन कर आते हैं। हमारे वहां इतनी ओलावृष्टि हुई थी कि हमें पता नहीं चल रहा था कि गाड़ियां पत्थर पर चल रही हैं या ओलों पर। इसलिए किसानों का कर्ज माफ किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पशुधन और जानमाल की हानि हुई है। मेरा यह कहना है कि जहां मौसम का मिजाज बदला है, वहां किसानों की तबाही हुई है। आप किसानों को मुआवजा दीजिए, किसानों को बचाइए और बिहार सहित देश में तथा हमारे बांका क्षेत्र में बेहतर इंतजाम कीजिए ताकि जो किसान आज रो रहा है, वह रोए नहीं बल्कि उसके शरीर पर मरहम लगाने का काम किया जाए। किसान ही देश के निर्माता हैं और देश की समृद्धि का रास्ता किसानों के खेत से हो कर गुजरता है।

महोदय, यही बात मुझे कहनी थी और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं।

*__SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI (NEW DELHI)__: It is an unfortunate but hard-hitting truth that protests on the agrarian crisis have become a calamities, bad weather yielding bad harvests, forcing them to get out on the streets is an attempt to find a resolution.

The farming profession is a unique one. A farmer has to have the skills and knowledge of an agriculture scientist so he can assess the health of soil and seeds, the crops that will be suitable for the weather and land of that region, the sources of water, whether he will be hit by any adverse weather conditions and such other; a farmer has to have the strength and skill of a labourer if he does not have the resources to hire one; a farmer has to be good at marketing so that he is not taken advantage of by middlemen and agents during negotiations; a farmer has to be an able financier if he has to keep his accounts and money in order for household expenses, reinvestment in farming activities, education of his children, etc. What this tells us it that a farmer is not simply a farmer but he has to be a scientist, labourer, MBA graduate and economist- all rolled into one, in order to be truly successful. Such is the pressure that is laid upon one who chooses farming as a means to livelihood.

Our country has been carrying the legacy of being an agriculture-rich country for decades now. For years we have also proudly claimed that nearly 50% of our population is occupied in agriculture. But we have been bogged down by the sad truth that, over the years, the number of people occupied in agriculture has been dwindling. The erstwhile Planning Commission had reported that in the years between 2004 and 2010, there was a decline by over 15 percentage points. That is the unviable nature of the agricultural profession today.

What is sadder is that India has been under producing food items that are inherently part of our food culture. We actually have to import dal from African countries like Tanzania in order to meet our internal demand for a staple pulse like dal. There was a time when millets were a mainstay in the consumption pattern of our society but they have now been bypassed for short-term gain of growing wheat and rice instead. A crop like millets contributes to the nutritional level of the populace and is among the few crops that is climate resilient, making it more viable than most other crops. Yet we have moved away from such sustainable farming practices.

The subsidy regime that targeted only foodgrains and neglected pulses, oilseeds etc. was short-sighted and has resulted in this situation where we have to import items that are staple to us. When the past governments spoke of being inclusive, they should have realised that inclusion is not limited only to humans- it also applies to our crops, our agriculture and our basic sustenance.

The number of small and marginal farmers has also been increasing. According to the Agricultural Census 2011, nearly 80% farmers have an average landholding size of less than one acre! The smaller the plot of land, the less a farmer can break even. How can agriculture be a sustainable profession then? I, therefore, stress the need to promote industrial farming not only to augment production of crop items that were once produced in plenty but also to develop a strategy that is more sustainable than small and marginal farming.

Even if the Government or a group of private people are to take up industrial farming, how do we do so without ease in land acquisition procedures? Land is not being acquired for wasteful endeavors. Land is being acquired to give back to the society that which they have demanded for and which they need for their own development. As we live in Lutyens Delhi, we demand for good roads, good water, good traffic control, good green cover- all of which have been provided by the government and provided well. Why should the same trust in the government and access to facilities not be extended to the rest of the country? Are these not double standards then, wherein we readily accept the services provided by the government in our own backyard but are not willing to afford the same opportunity to the common masses.

The manufacturing sector that was given a fillip after this government came to power. It is a well-known fact that of the agriculture, manufacturing and services trio, the services sector has been a major contributor to our GDP. While this sector has been growing, agriculture has been dwindling because of the risks involved and manufacturing has been stalled because of bureaucratic delays. The boost in the manufacturing sector through projects such as a Make in India will prove to be a good alternative for those who are seeking to diversify from agriculture.

It is that the present Government is trying to correct and expand. Even in advanced economies, studies have shown a trend of shifting from mining and agriculture to manufacturing as development and growth occurs. We, therefore, have to strengthen our manufacturing base as well so there is a more balanced growth in the economy. This is the vision that was required for boosting our economy and this is the vision that the present government seeks to implement.

This may be a lesser known fact but agriculture is not limited to the rural areas alone and has made its mark in a metropolitan city like Delhi as well. Along the banks of river Yamuna you have thousands of urban farmers who mainly cultivate vegetables. The exact number of farmers and the yield output is unknown because no proper survey has been conducted here. There are complex issues of illegal living on the land, unauthorized constructions, illegal land use but fact remains that you have a number of people who sustain on vegetable produce from these small tracts of land and find this more financially viable than growing grains in their hometowns.

WPI inflation rate was reported to have deflated to -2.06 only two days, ago on 16 March 2015. This would bring much cheer to producers and

consumers alike but we have to take sufficient step to ensure that inflation in the prices of vegetables, including in Delhi, has to be controlled in light of the agrarian crisis that has affected the whole country. In this context, I would like to laud the Agriculture Minister for starting tech-enabled Kisan Mandis in Delhi. The Ministry had also given me a detailed reply to one of my unstarred questions on this topic citing the development of a common e-market platform. This is on a pilot basis but it can go a long way in ensuring that farmers can sell their produce at reliable farmer's markets without being run down and swindled by the multiple middlemen in the supply chain. Agriculture marketing thereafter will be the responsibility of the State and one can only hope that they will show as much vision and boldness in their decisions as the Centre has.

I would like to end by citing policies regarding to two most important concerns of a farmer, irrespective of a crisis- these are soil and water. Agricultural practices on these two factors of soil and water have been so unsustainable that with each passing year a greater crisis loomed on the heads of farmers. We should have had regular soil health tests to determine the viability and suitability of the crop that will be grown in a season but this need was ignored. Fertilisers were promoted widely instead of our age-old traditional organic farming methods, and these chemicals were spread so far and deep that today the soil has a changed quality. Water pumped for irrigation had been subsidised for short-term gain but the thinking did not go so far ahead as to understand the irrevocable depletion of groundwater table and how there should have been simultaneous measures to recharge groundwater. Is it any surprise that agriculture has become so unsustainable and prone to crisis then?

It is on the foot of this crisis that the initiatives led by this Government have become so vital. For irrigation, all the disjointed initiatives under various Ministries have been combined under Pradhan Mantri Krishi Sinchayi Yojna, 'Per Drop-More Crop' and is steered with a bottom up approach that will focus on water sources and distribution networks. Soil health Cards for each farmer, i.e. 14 crore soil health cards to be issued over 3 years, are being promoted extensively and this has been complemented with the Paramparagat Krishi Vikas Yojna to revive organic farming. The advantages of these forward-looking strategies can be gleaned from the agricultural situations in states like Gujarat and Madhya Pradesh. The growth rate of GSDP in Agriculture (from 2007-08 to 2011-12) in Madhya Pradesh with the highest growth rate was 7.6% and in Gujarat was 4.8% whereas in states like Haryana and Maharashtra it was only 3.3% and 2.0% respectively (State of Indian Agriculture Report 2012-13). Gujarat is a state where alluvial soil is not as rich for farming in comparison to Haryana and Maharashtra. Yet Gujarat has surpassed these states because of measures that focused on the two most important factors of water and soil through regular groundwater recharging techniques and soil health tests.

By 2017, the Government proposes to cover Integrated Watershed Management Programmes across the country on mission mode as it has been a successful model of replenishing irrigational needs. IWMP is only one among many such practices. I, therefore, urge all the members of the House to come together in identifying the best practices across the country that will help us tide over the present agrarian crisis. We should give a boost to sustainable agriculture practices such as organic farming that have been an integral part of our tradition and adopt modern practices that have been successfully implemented in other states.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) **:** महोदय, आपने नियम 193 के अंतर्गत देश में कृषि की दशा पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, आज महाराष्ट्र के साथ-साथ पूरे देश में जिस तरह से किसान की हालत हो चुकी है और जिस तरह से बेमौसम की बारिश हो रही है, इस कारण सभी किसानों के घरद्वार और फसल आदि ध्वस्त हो रहे हैं, इससे किसान बहुत परेशान हो चुके हैं। दुर्भाग्य से आज तक महाराष्ट्र के कोंकण प्रांत में कभी इतिहास में ओले नहीं गिरे थे। पिछले दो दिन पहले कोंकण के सभी प्रांतों में कम से कम पॉव-पॉव किलो के वजन के ओले गिरे हैं। आज देश में आम के फल पैदा होने का समय है, काजू के फल आने का, पश्चिम महाराष्ट्र में, उत्तर महाराष्ट्र में संतरे आने का मौसम है, जिस पर किसान का पूरे वर्ष गुजारा चलता है। लेकिन ओले गिरने से महाराष्ट्र के किसान और फल उत्पादक किसान बर्बाद हो चुके हैं। महाराष्ट्र में पिछले तीन साल से सूखा था, जिसके कारण मराठवाड़ा के कई जिलों में पीने का पानी नहीं है, जानवरों के लिए पानी नहीं है, खेती के लिए पानी नहीं है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश के कारण संतरा और अंगूर की फसल बर्बाद हो चुकी है। लेकिन किसानों को मदद देने के लिए शासन के स्तर पर जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है।

महोदय, आपके नेतृत्व में हमारी पार्टी के सभी सांसद मार्च के महीने में माननीय कृषि मंत्री जी से मिले थे। कृषि मंत्री जी के ध्यान में हमने सभी बातों को लाने की कोशिश की गयी थी। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी ने उसको गम्भीरता से देखा। और तुरंत ही केन्द्र सरकार की टीम महाराष्ट्र में भेजी गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो टीम गई वह एक ही दिन में पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके आ गई, यानी टीम को जिस तरीके से देखना चाहिए, उसकी स्थिति का निरीक्षण करना चाहिए, वह कर नहीं सकती, क्योंकि सवेरे आठ बजे से रात से 10-12 बजे जब वे खेत में जाते थे तो रात के अंधेरे में खेती का परीक्षण करने की कुछ पॉसिबिलिटी ही नहीं थी और ऐसे वक्त मे जिस तरीके से केन्द्र सरकार के पास सही रिपोर्ट आनी चाहिए, वह आ नहीं सकी। यह बात ठीक है कि इसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों की कुछ न कुछ मदद तो की गई है। लेकिन फल उत्पादक किसानों की जिस तरीके से मदद की जानी चाहिए, वह मदद नहीं की गई। लेकिन केन्द्र सरकार की टीम भेजकर नुकसान का परीक्षण करने का जो तरीका है, उसमें बदलाव करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा वहां की स्थिति की एक रिपोर्ट राज्य शासन केन्द्र के पास जब भेजता है तो मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार अपनी टीम वहां भेजने की बजाय राज्य शासन को बुलाये, उनके अधिकारियों को यहां बुलाये, हम जैसे लोकप्रतिनिधियों को

बुलाये और उस स्थिति का एक अंदाजा लें और राज्य सरकार के माध्यम से केन्द्र से जो सहायता दी जानी है, वह सहायता देने की कृपा करें।

महोदय, कृषि बीमा योजना के अंतर्गत बहुत बदलाव करने की जरूरत है। आज जो छोटे-छोटे किसान हैं, वे कृषि बीमा की तरफ नहीं जाते हैं। लेकिन खासकर रत्नागिरि, सिंधुदुर्ग, कोंकण के जो आम उत्पादक किसान हैं, उनमें जो बड़े किसान हैं, वे इंश्योरेंस कराते हैं। लेकिन जिनकी खेती कम है, उनका इश्योरेंस से उतना संबंध नहीं है। इसलिए आज की जो स्थिति है, जिस तरीके से सम्माननीय सदस्य ने कहा कि केन्द्र सरकार के माध्यम से अभी 33 परसैन्ट का नुकसान यानी 33 परसैन्ट से ऊपर जिनका नुकसान हुआ, उन्हें मुआवजा देना का कानून बना, लेकिन दुर्भाग्य से परसों महाराष्ट्र की तरफ से नुकसान की जो रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट में भी पचास परसैन्ट से ऊपर और पचास परसैन्ट से नीचे ऐसी रिपोर्ट तय की गई है। अगर केन्द्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया होगा तो तुरंत राज्य सरकार के पास भी इसकी जानकारी करने के लिए और उसका इम्पलीमैन्टेशन करने का आप तुरंत आदेश दें। खासकर एक ऐसी बात होती है कि कई बार ऐसा हो रहा है। मैं महाराष्ट्र के लिए कह सकता हूं कि कम से कम महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के पांच हजार किलोमीटर का एक क्षेत्रफल है, लेकिन कभी-कभी उस पांच हजार किलोमीटर के क्षेत्रफल के अंदर 15-20 किलोमीटर के क्षेत्र में दो-तीन घंटे के लिए ऐसा तूफान आता है, जिसमें बारिश भी आती है और तूफान भी आता है और उस तूफान से सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उससे पेड़ गिर जाते हैं, घर गिर जाते हैं। लेकिन जब उसका पंचनामा करने का वक्त आता है, उसे मुआवजा देने का वक्त आता है तो वहां की जो वेधशाला होती है, उस वेधशाला में उसकी रिपोर्ट नहीं होने के कारण उन किसानों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वहां के डिस्ट्रिक्ट कलक्टर या राज्य सरकार के माध्यम से यदि उस स्थिति की रिपोर्ट की जाए तो उन फल उत्पादक किसानों के लिए भी केन्द्र और राज्य सरकार से सहायता मिल जाए और जो अभी के कानून हैं, उनमें सुधार करने की जरूरत है।

महोदय, मैंने आपके माध्यम से खासकर कोंकण के किसानों की हालत सदन के समक्ष रखी है और मुझे भरोसा है कि केन्द्र के सम्माननीय मंत्री जी से जब कभी हम मिलते हैं तो वह गंभीरता से सुनते हैं और उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं। लेकिन मैं असलियत में किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए सही कदम उठाने की विनती करता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**श्री तारिक अनवर (कटिहार):** सभापति महोदय, आज यह सदन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारे देश की 50-60 प्रतिशत आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। आज उस समुदाय की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, वह सारे देश के लिए, हम सबके लिए चिंता का विषय है। जब किसानों की दुर्दशा होगी, जो हमारी खाद्य सुरक्षा का प्रबंध करते हैं और जो हमारे अन्नदाता कहे जाते हैं, अगर उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी और उनके आत्महत्या करने या परेशानी में पड़कर जिस कारण से भी उनकी मौत होती है, तो यह हम सबके लिए, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। अच्छी बात यह है कि हमारे गृह मंत्री और कृषि मंत्री दोनों सदन में मौजूद हैं और अगर उन्होंने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है तो यकीनन आने वाले समय में, गृह मंत्री मंत्री जी अध्यक्षता में जो तीन सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, इसमें जो मापदंड है, उसे बदलने की उम्मीद की जाती है, जो मानक है, उसे बदलने की बात कही जा रही है। अगर उन सब चीजों को सरकार ने गंभीरता से लिया तो मैं समझता हूँ कि हम किसानों को कुछ राहत पहुँचा सकते हैं।

महोदय, हमारे यहाँ अभी भी फसल बीमा का उस प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है, जिससे किसानों का जो नुकसान इस प्राकृतिक प्रकोप से हुआ है, उसकी पूर्ति हो सके। कुछ राज्यों ने इसमें पहल की है, लेकन वह नाममात्र है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, आपको और पूरे सदन को इस बात का एहसास होगा, क्योंकि यह एक जगह तक सीमित नहीं है, देश के हर राज्य में, देश के हर जिले में किसी न किसी रूप से किसानों को नुकसान पहुँचा है। ओला पड़ने से हो, बारिश से हो, सूखे से हो, किसी न किसी रूप से किसानों का नुकसान हुआ है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता इस बात की है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार आगे आए और राहत का काम तेजी के साथ हो। यहाँ हमारे साथियों ने कहा कि यह वक्त ऐसा है, यह इतना कठिन समय है, क्योंकि किसान कर्ज के बोझ से पहले ही दबा हुआ है और उस कर्ज से उसे कैसे निजात मिले, इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। अगर कर्ज माफी हो सकती है तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मदद और कुछ नहीं हो सकती है। आज किसान उस पोजिशन में नहीं है, उस हैसियत में नहीं है कि वह उस कर्ज को बैंकों को अदा कर सके। जो उनका नुकसान है, आने वाले दिनों में अगर हम राहत के तौर पर उनको कुछ मदद नहीं करते हैं तो फसल लगाने में जो उनकी राशि लगी है शायद उसकी भी पूर्ति नहीं होगी।

महोदय, मैं इतना ही कहूँगा, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, मैं गृह मंत्री जी से कहूँगा कि वे खुद किसानों की समस्याओं से अच्छी तरह अवगत होंगे, हमारे कृषि मंत्री भी उससे अवगत हैं, इसलिए यह वक्त ऐसा है कि तमाम मापदंड से ऊपर उठकर किसानों की मदद करने की जरूरत है, तभी जाकर किसान फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। धन्यवाद।

**श्रीमती कृष्णा राज (शाहजहाँपुर):** महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज पूरे देश में दैवीय आपदा के कारण हमारा किसान बदहाली के कगार पर है। किसान दुःखी है तो यह मान लिया जाए कि पूरा हिन्दुस्तान दुःखी है। हमने गाँव-गाँव जाकर अपनी आँखों से देखा है कि कुछ भी नहीं बचा है। आज हमारी सरकार को हम बधाई देते हैं कि उसने बड़ी संवेदनशीलता के साथ डेढ़ गुना मुआवजा देना तय किया है, यह वास्तव में बड़ा सराहनीय कदम है। अब तक 50 फीसदी फसल नुकसान होने पर जो मुआवज़ा किसान को दिया जाता था, उसको भी बढ़ाकर 33 फीसदी किया गया है और 33 फीसदी फसल नुकसान होने पर अब मुआवज़ा दिया जाएगा। लेकिन हमने प्रदेशों में देखा, विशेषकर उत्तर प्रदेश में मैंने देखा और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नीयत है, नीति है और उनके बैठे हुए तमाम जो अधिकारी हैं जिनका किसानों को 25 से 75 रुपये प्रति एकड़ देना संवेदनहीनता दिखाता है, ये किसानों के प्रति संवेदनशून्य हैं जो हम सबके लिए बहुत आहत का विषय है, बहुत दुख का विषय है। आज हमारा किसान बड़े सपने संजोए बैठा था कि हम अपने तमाम कर्ज़ों से मुक्त होंगे, अपने बच्चों का ब्याह करेंगे और कहीं न कहीं अपनी झोंपड़ी से आगे बढ़कर अपना घर बनाएँगे। उसने पक्के घर की कल्पना की थी। वह बीमारियों के कारण कर्ज़ से लदा हुआ था। बहुत से ऐसे लोग हमारे उत्तर प्रदेश में हैं जिन्होंने इस सदमे के कारण आत्महत्या की जिसने हम सब लोगों को झकझोरकर रख दिया। हमारे उत्तर प्रदेश के सभी माननीय सांसद बड़े परेशान हैं, लेकिन हमारे भारत सरकार की जो सुविधाएँ हैं, किसानों के प्रति उनकी जो वेदना है, उसका जो मुआवज़ा देना तय किया है और उनका रकबा भी कम किया है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि जो हमारे प्रशासन का पैसा जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत ठीक न होने की वजह से उनकी मंशा है कि वह गरीबों में लोकप्रियता हासिल करें, साइकिल बँटवाएँ, लैपटॉप बँटवाएँ, लेकिन आज जो किसान मरता जा रहा है, जिसका हक बनता है, आज उसको सही मायने में मुआवज़ा नहीं दिया जा रहा है। मैं तीन बातें माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूँगी। पहला यह कि सर्वे बड़े पैमाने पर धांधली के साथ हुआ है। देश के प्रत्येक जनपद में कितना हैक्टेयर गेहूँ किसान, कितना हैक्टेयर आलू किसान, कितना हैक्टेयर दलहन और तिलहन किसान है, उसका एक लेखाजोखा तैयार कर लीजिए। दूसरा यह कि कितना गेहूँ किसान है, इसको तय कर लिया जाए। मेरे ख्याल से घर बैठकर आपका सर्वे पूर्ण हो जाएगा और तमाम किसानों के साथ हम न्याय कर सकेंगे। लेकिन मंशा ठीक नहीं होती है, विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश के बारे में कहना चाहूँगी कि इनकी शुरू से ही नीयत ठीक नहीं लगती है। जब भी कोई आपदा आती है, तो ये पैसे का सही वितरण नहीं करते हैं। बाढ़ आती है तो इनकी मंशा रहती है किसानों में सस्ती लोकप्रियता हासिल करना। आज का जो पैसा भारत सरकार का 10-11 हजार करोड़ रुपये गया है, उसका वितरण प्रदेश में नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मात्र दो-तीन किसानों का किसी गाँव में दिखा दिया जो हम सबके लिए बड़े ही दुख का विषय है। मैं आग्रह करूँगी कि पुनः सर्वे कराया जाए और इसी पैटर्न पर कि कितने किसानों का कितना नुकसान हुआ है, और कितने हैक्टेयर बोया गया है, वह आपके कंप्यूटर में खतौनी के द्वारा होगा। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ उसका वितरण हो जाए, तब जाकर हमारे किसानों को न्याय मिलेगा। हम चाहेंगे कि माननीय गृह मंत्री जी हमारे आदरणीय हैं, वे यहाँ बैठे हुए हैं। पुनः हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों का सर्वे कराया जाए, यही हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।

**श्री केशव प्रसाद मौर्य (फूलपुर):** माननीय सभापति जी, प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों पर जो आफत आई है, वास्तव में उसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। मैं सबसे पहले तो अपने प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देने का काम करूँगा कि जो क्षति है, पहले 50 प्रतिशत पर उन्होंने मुआवज़े की बात कही थी, सरकार की व्यवस्था थी, लेकिन अब 33 प्रतिशत की क्षति होने पर भी उन्होंने किसानों के लिए मुआवज़े की व्यवस्था की है। मैं इसके लिए उनको बधाई देना चाहता हूँ। जो डेढ़ गुना मुआवज़े की राशि को बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, उसके लिए भी मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जनपद के फूलपुर लोक सभा संसदीय क्षेत्र से चुनकर आया हूँ। यहाँ सदन में हमारे गृह मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। वास्तव में उत्तर प्रदेश की दशा क्या है? किसानों का दर्द समझने का काम अगर जमीनी स्तर पर जाकर किसी ने किया है, तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे गृह मंत्री जी ने जाकर किया है। प्रदेश सरकार तो बदले की भावना से भेदभाव करते हुए काम कर रही है। वहां जो सर्वे का काम चल रहा है, उस सर्वे के काम में इतना भेद है, इतनी अव्यवस्था है कि मेरे लोक सभा क्षेत्र के

कई गांव, जो पूरी तरह से तबाह हो गये, चाहे वह रबी की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, चाहे आलू की फसल हो, सब का सब पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन मुआवजे के नाम पर उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला है। मैं अभी दो दिन पहले अपने क्षेत्र में भ्रमण करके वापस आ रहा हूं, लेकिन अभी उनका सर्वे का काम भी पूरी नहीं हो पाया है। समाचार-पत्रों में नित आप देख रहे हैं कि किसानों के द्वारा आत्महत्याएं की जा रही हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी को भी निवेदन करूंगा, क्योंकि, मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां 75 प्रतिशत क्या, मैं 85 प्रतिशत किसान कह सकता हूं कि उनके पास एक हैक्टेयर में जमीन नहीं है, उनके पास बीघों में जमीन है, इसलिए यह जो मुआवजे की व्यवस्था है, प्रदेश सरकार के द्वारा जो अव्यवस्था की जा रही है, केन्द्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन किसानों में वितरण काम इतना शिथिल है, सर्वे का काम इतना शिथिल है कि किसान उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है और प्रतिदिन आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है।

मैं चूंकि एक किसान का बेटा हूं, मैंने स्वयं अपने हाथों से खेत के अन्दर काम किया है और किसानों को जो कठिनाई होती है, उसको मैं जानता हूं कि जिस प्रकार वह फसल की बुवाई करता है, तमाम प्रकार के कष्ट सहता है और कष्ट सह करके अगर खेती में कुछ पैदा होता है तो पैदा होने वाला जो सामान होता है, उस सामान में से जो सबसे खराब सामान है, जो बाजार में बिक नहीं सकता, वह उसे अपने लिए और अपने परिवार के लिए रखता है और जो बिकने वाला होता है, वह बाजार में चला जाता है। किसान इस समय बहुत कठिनाई में है, दर्द में है। केन्द्र सरकार की ओर से जो राशि उपलब्ध कराई जा रही है, उस राशि का भी सदुपयोग नहीं हो रहा है, समय से नहीं हो रहा है। कहते हैं कि 'का वर्षा, जब कृषि सुखानि' आज किसान के ऊपर आफत आई है, उसे अपने बच्चों का एडमीशन कराना है, उसे अपनी बेटी की शादी करनी थी तो शादी का संकट उसके सामने दिखाई दे रहा है कि मैं अपनी बेटी का विवाह किस प्रकार से करूंगा। उसने सोचा था कि किसी प्रकार से मैं अपनी जो झोंपड़ी है, उसमें रहने के लिए ठिकाना बनाऊंगा, उसने तमाम प्रकार के सपने देखे थे, लेकिन वे सपने चकनाचूर हो गये। इस प्राकृतिक आपदा के कारण जो संकट किसानों के ऊपर आया है, मेरी जानकारी के अनुसार, मैं भी कम से कम 30-32 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूं, लेकिन इस प्रकार का संकट कभी नहीं आया था। इस संकट से किसान बड़ा आहत है। मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से यह मांग करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार जो लापरवाही बरत रही है, जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

उनके लिए यदि मुआवजे की व्यवस्था है, किसान को तब तक हम सुखी नहीं देख पाएंगे, जब तक वह खेत के अन्दर जो भी बोता है, खेत के अन्दर बुवाई होती है, लेकिन फसल बोने और काटकर घर लाने के बीच में इतने संकट रहते हैं कि उन संकटों को ताकते-ताकते जब फसल को कटकर के घर आना चाहिए, तब प्राकृतिक आपदा हो गई। मैं आज यहां सदन के माध्यम से मांग करूंगा कि अब फसल बीमा का प्रावधान होना चाहिए। उस प्रावधान के अन्दर किसान की जो बीमे की राशि है, उसे किसान नहीं दे सकता, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। जो परिवार किसानी पर निर्भर है, वह अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता, अगर कोई बीमार हो जाये तो उसकी दवा नहीं कर सकता, बेटी के हाथ पीले नहीं कर सकता, इस प्रकार के संकट का सामना किसानों को करना पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि फसल का बीमा कराया जाये और बीमा कराने के बाद किसान की एक बीघा फसल की अगर क्षति होती है तो उसे कम से कम 10 हजार रुपये मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

इस आपदा में भी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा किसानों के प्रति संवेदनहीनता का परिचय दिया जा रहा है। किसी गांव में केवल बयानबाजी हो रही है। भारत सरकार की तरफ से जो पैसा जा रहा है, उसे बांटने का भी काम नहीं हो रहा है। इसकी भी जांच करायी जानी चाहिए कि इस प्रकार का भेद कौन कर रहा है? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी हैं? ऐसे अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ़ दंडात्मक कार्रवाई की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी मांग करूंगा कि कई क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पिछली फसल गड़बड़ा गयी थी और इस साल की फसल भी गड़बड़ा गयी है। उसके मुआवज़े की राशि देने के नाम पर जितनी लापरवाही है, उस लापरवाही के कारण हमारा किसान परेशान है। इसलिए उसकी एक समय-सीमा निर्धारित की जाए। कोई प्राकृतिक आपदा आती है और अगर हम छः महीने केवल उसका सर्वे करने में लगा देंगे तो जो पीड़ित किसान है, उसको हम राहत पहुंचाने की ज़गह उसको कष्ट देने का काम करेंगे। इसलिए जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इसके लिए दस-पन्द्रह दिनों की एक समय-सीमा होनी चाहिए। किसानों के इस संकट के समय में जो अधिकारी उसका सर्वे करके और उसकी रिपोर्ट देकर उन्हें राहत पहुंचाने के काम में लापरवाही बरते, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*SHRI ARJUN RAM MEGHWAL (BIKANER): I want to lay the following:-

(i) NDRF/SDRF should be amended as per need of the hour and

(ii) The limit of one hectare and two hectares should be abolished or amended suitably

SHRI P.V. MIDHUN REDDY (RAJAMPET): Sir, the country has been facing a major agrarian crisis for the past one year. There are various reasons for this. The first and the foremost reason is the inadequate and unrealistic fixation of MSP for almost all the crops. Apart from that, there are other things like sluggish procurement by FCI, non-availability of crop insurance schemes to the farmers and failure to provide input subsidies to the farmers affected due to natural calamities.

Sir, the farmers stood to lose, be it cyclone, be it drought or be it hailstorm. The farmers are affected even during the bumper crop period. This is majorly due to insufficient MSP and improper collection of grains by the Government agencies. If you take the figures of last ten years, last year was the year where the lowest MSP was given to the farmers. It did not even cover 20 per cent of the annual inflation.

A lot has been spoken about the M.S. Swaminathan Committee Report where it has been recommended that input plus 50 per cent cost should be fixed as MSP for the farmers. During the current year even the minimum MSP, which was declared, is of no use to the farmer because the FCI and other Government agencies failed to procure whatever grains have been produced by the farmers.

If you take the case of Andhra Pradesh, out of 81 lakh tones of rice produced last year, only 17.2 lakh tonnes of rice were procured by the Government agencies. A year before, more than 37 lakh tonnes of grains were procured by the Government agencies. Due to this sluggish procurement system, farmers had to sell their produce at distress sale of Rs. 200 below the MSP. This is the case not only with *Kharif.* Even during this *Rabi* season there is not much of procurement being done. If the procurement is given to the States, it is going to be a disaster. Unless the Centre involves in the procurement, justice is not going to be done to the farmers.

If you take the Delta Region of Andhra Pradesh, the East and West Godavari districts, only Rs. 780 is being given for 75 kilogramme of rice. There is nobody to rescue them. Agriculture is not a matter of food security alone but it is a source of our livelihood also. For example, in USA, 0.7 per cent of the workforce produces around 354 million tonnes of food grains. But in our country, 49 per cent of our population is dependent on agriculture for their livelihood and produce only 259 million tonnes of food grains. This is the last year's figure. This gives us an idea that it is not just food security but even the livelihood of the country is dependent on agriculture.

The Government should fix MSP on a more realistic basis and continue with the previous procurement policy where the FCI had collected around 75 per cent of the grains. We have the slogan 'Make in India'. I request the Government to have another slogan 'produce-in-India' where we can export our food grains to other countries and our farmers get benefited. The recent unseasonal rainfall has caused extensive damage in various parts of the country.

It has caused extensive damage in Andhra Pradesh also. There must be a national policy through which we can compensate such farmers by waiving off loan taken for that particular crop and even waiving off interest.

Sir, the coastal Andhra Pradesh was severely affected by Hudhud cyclone and the loss was estimated at Rs.21,000 crore. Only 10 per cent of that had reached farmers and the rest of that loss had to be borne by farmers.

Especially the Rayalaseema region in Andhra Pradesh and even my constituency, Rajampet, which is a part of the Rayalaseema Region, had been affected by severe drought. It is really pathetic to see 30-year old mango trees which have dried up. If we go into those villages, it is like ghost hanging. These farmers have brought up those crops, and 30-year old trees are dying due to lack of water. The Government should step in and help these people. Whatever crops that they could manage with whatever water that they had were hit by the recent hailstorms.

I would like to request the Government to set up a high powered Committee so that each and everyone who have been affected are benefited by all the Schemes. Various rehabilitation programmes should be provided to these affected farmers so that our farmers, who are the backbone of our country, are benefited.

Thank you.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) **:** सभापति महोदय, आपने नियम 193 के तहत कृषि की समस्या पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं कृषि की समस्या के बारे में सदन में कहना चाहूंगा कि हमने आजादी के बाद से जो विकास के पैमाने तय किए, जो विकास के रास्ते तय किए, आज हम उसी का फल भुगत रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से असमय बारिश और ओलावृÂिष्ट के चलते किसानों की तबाही हुई, उससे पूरे देश के किसान तबाह हुए।

मैं झारखंड क्षेत्र से आता हूं, वहां के भी किसान, खासकर लातेहार, चतरा, पलामू, गढ़वा सहित पूरे झारखंड के किसान ओलावृष्टि और असमय बारिश के चलते परेशान हुए और उनकी फसल मारी गई। देश के प्रधानमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत किसानों के राहत की बात कही और खासकर उन्होंने पचास प्रतिशत से नुकसान का दायरा तैंतीस प्रतिशत तक घटाया, उसका लाभ सचमुच झारखंड के छोटे-छोटे और मझोले किसानों को मिलने वाला है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं।

हमें विचार करना होगा कि कृषि की स्थिति देश में बार-बार ऐसी क्यों होती रही है? सच्चाई यह है कि देश की आजादी के बाद से अब तक जो 12-13 पंचवर्षीय योजनायें हुई, उनमें से मात्र पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि को प्राथमिकता दी थी। आज तक देश का जो कृÂिष क्षेत्र है, अपनी योजनाओं में मात्र तीन से चार प्रतिशत ही उनको अंशदान मिलता है और उसी हिसाब से बजटीय प्रावधान होता है। क्या यह विचार का विषय नहीं है, जिसको हम 68 प्रतिशत कहते हैं, जो कृÂिष पर निर्भर है, वैसे यह संख्या भी बेईमानी इसलिए हो जाती है, क्योंकि आज दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले अनेकों लोग ऐसे हैं, जिनको कहीं न कहीं कृषि से सरोकार है, उस 75 प्रतिशत आबादी की हमने चिंता नहीं की? मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि किस तरह से हमने देश के अंदर नीतियों की गड़बड़ी के चलते कृषि को नुकसान पहुंचाया है।

**<u>15.54 hrs</u>** (Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

देश की आजादी के बाद कभी हमने कबूतर उड़ाने के रोमांच के तहत रशिया की नीति अपना ली और कभी हम अमेरिका की ओर झुक गए। नतीजा इस देश के किसानों का बंटाधार होता रहा है। अगर हम आजादी के पूर्व जाएं, तो आप ही की मद्रास प्रेसीडेंसी में यह उल्लेख है कि रामनाथपुरम जिले में 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में प्रति हैक्टेयर बीस टन धान का उत्पादन होता था। अगर आज के पैमाने पर हम जोड़ें तो प्रति एकड़ आठ टन धान का उत्पादन होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी आज हम 35 से 40 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन कर पाते हैं। उसका कारण यह रहा है कि हमने अपनी प्रकृति और भारतीय कृषि संस्कृति के अनुरूप कृषि को प्रश्रय नहीं दिया है। उनके हिसाब से हमारे जो परंपरागत सिंचाई के साधन थे, जिनमें तालाब, आहर और कुआं थे, उन विधियों को छोड़ कर हमने बड़ी-बड़ी योजनाओं का अनुसरण किया है, जिनके कारण हमारी कृषि को नुकसान पहुंचा है।

मैं सदन को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि देश में 22 हजार से ज्यादा धान की प्रजातियां थीं और हर क्षेत्र के लिए धान था। बलिया जिले मे एक "सुरहा" ताल है, वहां हमने देखा है कि जितना पानी ऊपर आता है, उतना एक बित्ता धान की फसल ऊपर उठ जाती है। इसका अर्थ यह है कि हमने अंधाधुंध नकल किया, हमने अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से उस पर विचार नहीं किया है।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज भी हमारी आवश्यकता लगभग 200 किलोग्राम अनाज प्रति व्यक्ति है लेकिन हमारा उत्पादन प्रति व्यक्ति 175-180 किलोग्राम धान है। हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा और इसे प्राप्त करने के लिए हमें नीति आवश्यकताओं के अनुसार बनानी होगी। अगर हम भारत में कानपुर को पैमाना माने तो हम यह कह सकते हैं कि ईस्ट ऑफ कानपुर और वेस्ट ऑफ कानपुर, खेती की दो दुनिया हैं। जहां वेस्ट ऑफ कानपुर में कृषि उन्नत है, सभी सुविधायें उपलब्ध हैं, वहीं पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, पूर्व के राज्यों में कृषि क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं की कमी है। वहां आज भी हमारे खेतों को पानी नहीं मिलता है। वहां किसानों को सही बीज नहीं मिलते हैं। मैं कृषि मंत्री जी से यह आग्रह करूंगा कि आप जब भी कृषि की नीति बनायें तो अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से नीति बनायें, तभी हम आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे।

अंत में, मैं एक बार फिर माननीय कृषि मंत्री जी से झारखण्ड राज्य पर विशेष ध्यान देने की मांग करते हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।

SHRI A.P. JITHENDER REDDY (MAHABUBNAGAR): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity to speak on this important issue.

After the formation of the State of Telangana with effect from 2nd June, 2014, the hon. Chief Minister of the newly formed State, Shri K. Chandrasekhar Raogaru has thought of some agrarian reforms in Telangana. By recognizing the importance of land reforms for reconstruction of agrarian relations, there are some provisions in our Constitution. These provisions are facilitating to achieve democratic social structure, elimination of exploitation in unequal distribution of land and increasing agricultural productivity.

The landholding structure plays an important role in the performance of agriculture sector. Land reforms have been on the national agenda since Independence to improve the performance of agriculture as well as for rural reconstruction. In addition, creating great access to land for the landless poor, particularly, SCs, STs and Other Backward Classes, is an important Poverty Alleviation Programme. Though there are a number of limitations in implementation, land reforms played an important role in changing the agrarian structure. The early land reforms measures in the State were a combination of two administrative histories of the Andhra Region and the Telangana Region which were formerly been under the British and Nizam respectively. Following the pattern at the all-India level, the land reforms in Andhra Pradesh had three components – abolition of intermediaries, tenancy reforms, ceiling legislation and other Government initiatives.

Sir, on the 15th August, after getting Independence and after the formation of Telangana, our Chief Minister from Golkunda Fort had distributed *pattas* to SCs. To each of them, he had promised to give 3.5 acres per household. That has already started. He has started distributing it; and the people are also happy.

e Government regarding subsidy continues, it will lead to more suicides by farmers. It is a very dangerous situation. Since you have withdrawn the subsidy on short term loan, the small and marginal farmers are in trouble. Ultimately, it will lead to suicides by farmers; the rate of suicides by farmers will increase. Therefore, the Government should respond to that. Hence, I would request the Government to reintroduce the interest subsidy scheme in respect of the agricultural sector immediately.

**16.00 hrs**

To attain Golden Age for the farming and to turn into the reality that a farmer is King, the misery and gloom of the farmers should be removed. It needs a strong political will. To make it possible, all of these problems have to be tackled at different levels and require intervention by various institutions over the short as well as medium term. The new role envisaged to the State Government will require a substantial increase in public expenditure. Therefore, at least, public expenditure on agriculture and allied activities should reach 5 per cent of GSDP in the next Budget. In addition to this, there is a need for further land reforms with strong political will. The spirit of land reforms has not yet materialized in all the ways. Finally, the political will have to translate them into Government policy and on the ground level implementation.

After the formation of the State of Telangana with effect from 2nd June, 2014, Shri K. Chandrasekhara Rao Garu, through his visionary initiatives had brought a paradigm shift *vis-Ã -vis* land reforms in the State of Telangana. During a very short period of ten months under the able guidance of the Chief Minister, the farmers were for the first time freed from debilitating power crisis. As a matter of fact, during the last 30 years, the farmers used to suffer due to heavy load-shedding stretching up to 7 to 8 hours. But all that is a thing of the past now. During this past ten months or so, the farmers have been getting undisturbed power supply of about 9 hours everyday. This had helped them to gainfully utilize the irrigation water for farming purposes and sow the seeds for the first time. Under these favourable circumstances, the farmers of Telangana were expecting a rich harvest by 26th April, 2015. However, the recent unforeseen torrential rains have caused huge damages in various parts of Telangana including Warangal, Karimnagar, Mehboob Nagar, etc to name a few. This has resulted in phenomenal loss to the crops running into crores of rupees as well as loss of livestock.

Sir, our hon. Minister for Parliamentary Affairs, Shri Venkaiah Naidu Ji has also visited Nalgonda district and has seen with his own eyes the loss which has occurred. The crops were ripe and were ready for harvest. This was a big loss which was recorded. The horticulture in Karimnagar in hectares was 20,343, in Adilabad, it is 2,164 hectares, in Mahabubnagar, it is 1,216 hectares, in Medak, it is 3,000 hectares, in Ranga Reddy, it is 1,355 hectares, in Nizamabad, it is 789 hectares, in Warangal, it is 3,032 hectares and in Nalgonda, it is 2,110 hectares. The total damage which occurred was about 34,013 hectares. There was a huge loss. Already mangoes were ripe and as you know, May is the season for mango. The people of Telangana were ready to eat the fruits which they had earned.

In the same way, there is a report which has been given in regard to the agriculture crops. A lot of paddy, maize, sesame, bajra, jowar crops were damaged which totalled up to 55,805 hectares.

Hence, I request through the Agriculture Minister that they should come to the rescue and immediately, a Committee should be formed and they should be sent to Telangana. A proper study should be done and as I understand, the hon. Prime Minister has said that 33 per cent of the loss will be considered as a total loss and that should be implemented immediately and the farmers should be rescued very much.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। जब वसंत ऋतु की शुरूआत होती है और इस बीच जब होली का त्योहार होता है उस त्यौहार पर गांव में रहने वाले लोग चाहे वह किसान हों वे साल भर की बुराईयों को भूलकर उसे होली में जला देते हैं और उस जली हुई मिट्टी के राख को अपने माथे पर लगाकर खुशी और आनंद का अनुभव करते हैं। आज किसान के ऊपर बहुत बड़ी आफत आई है, जहां किसान को एक ओर राज्य सरकारें द्वारा समय पर खाद नहीं मिल रहा है, जिस खाद का दाम 5,000/- रुपये मीट्रिक टन है उसे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नेपाल के रास्ते भेजकर 20,000/- मीट्रिक टन बेचने का काम किया। किसानों को खाद न मिलने के कारण, सिंचाई समय पर न मिलने के कारण किसानों ने संतोष कर लिया। वह होली के अवसर पर बुराईयों को भूलकर खुशी का अनुभव कर रहा था। लेकिन बेमौसम बरसात होने के कारण किसान की सारी की सारी फसल नष्ट हो गई। भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों के साथ खड़े होकर उनको सुविधाएं देने के लिए सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों को सर्वे कराकर रिपोर्ट देने को

कहा, लेकिन दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश में पूरे तरीके से सर्वे नहीं हुआ है, सर्वे न होने के कारण किसान बर्बाद और तबाह है और किसान आत्महत्या करने पर विवश हुए हैं। हमारे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत 30 से ज्यादा किसान आत्महत्या करने पर विवश हुआ है। मैं स्वयं कई मौकों पर गया हूं। भारत सरकार ने चिंतित होकर अपने अधिकारियों को भी प्रदेश में भेजने का काम किया। हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी स्वयं हमारे लोक सभा क्षेत्र में गए हैं और उन सारी चीजों को देखने का काम किया है। इसके बावजूद किसानों का दुख तभी दूर होगा जब उनको तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उस आर्थिक सहायता में किसानों का जो बिजली बिल, सिंचाई बिल, कॉपरेटिव से खरीदा गया खाद, उसे माफ करने का काम किया जाए। उनके बच्चों को पढ़ाई करने में भी कठिनाई आ रही है उनको भी सहायता उपलब्ध कराई जाए। किसानों को आसान शर्त पर ऋण दिया जाए। भारत सरकार ने मुआवजे की राशि को डेढ़ गुणा बढ़ाने का काम किया है। विगत तीन वर्षों में किसानों ने किस क्षेत्र में कौन-कौन सी फसल बोयी है, उसका उत्पादन कितना हुआ है, अगर आप तीन वर्षों का आकलन कराकर वर्तमान में जो नुकसान हुआ है, भारत सरकार ने 33 फसदी नुकसान को भी दैवीय आपदा में शामिल करने का निर्देश दिया है। इससे ज्यादा ही प्रदेश और देश में नुकसान हुआ होगा, हमारे क्षेत्र में भी नुकसान हुआ है। पिछले तीन वर्षों का आकलन कराकर मुआवजा देने का काम किया जाए। हमारा लोक सभा क्षेत्र कानपुर में गंगा के किनारे से शुरू होकर यमुना तक जाता है। हमारे क्षेत्र में बुंदेलखंड जैसी सुविधाएं नहीं है, हमारा रेवेन्यू का एक रिकार्ड है, सीलिंग एक्ट जो 1960 में बना था उसके अंदर जोत सीमा का वही प्रावधान था जो बुंदेलखंड में है, 27 एवं 45 एकड़ सिंचित और असिंचित का है। यमुना नदी की मुख्य धारा से 16 किलोमीटर उत्तर की ओर सीलिंग एक्ट में लागू किया गया है लेकिन किसानों को उसका सुविधा नहीं मिल रही है। तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा अमराहट पम्प कैनाल को चालू किया गया था उसका एक चरण 1986 में चालू किया गया था लेकिन अगला चरण आज तक पूरा नही हो पाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसको भी चालू कराने का काम किया जाए। कानपुर देहात में निचली गंग नहर है यह सबसे नीचे का क्षेत्र है, सबसे आखिरी क्षेत्र है, वहां के किसानों तक कभी भी पानी नहीं पहुंच पाता है। कानपुर देहात और कानपुर नगर को भी बुंदेलखंड जैसी विकास की सुविधाएं किसानों को प्रदान की जाए तभी किसान पर मरहम लगाने का काम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): Hon. Deputy-Speaker, Sir, first of all, I like to thank you that you have given me this opportunity to speak on the agrarian situation in the country.

All of us know that at present a situation like mid 60's has arisen in our country. Now a days the peasants, agriculture workers and artisans, who are living in villages, are not getting enough work. That is why they are not getting enough food and drinking water for themselves. The situation in the countryside has worsened.

Recently we have seen that unseasonal rains and storms have affected 106 lakh hectares of land. The figure of 106 lakh hectares has been given by the government officials. More than 14 States like Madhya Pradesh, Jammu & Kashmir, West Bengal, Uttar Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Telangana have been affected by these storms and rains.

We know that due to neo-liberal policies of the erstwhile Governments, more than 3 lakh farmers have died. We have never seen this before; we have never heard this before that the people, who are giving food to us, who are the backbone of our country, who are mother and father of our country are dying if kisans do not work, we cannot get our food. Farmers are dying regularly. They have died due to lack of remunerative price for their produce in the last two decades.

We hoped, after the coming of the BJP Government in power, that the situation would change. But what we see in the villages are that the peasants are still dying by hanging themselves or consuming poison. In the 10 months of Modi's Government it is reported that near about 75 thousands peasants have given their life. In this situation, we hope that this Government would give the proper ear and hear the voice of peasants, who are providing food to our country.

When your turn comes, you may also speak. I am talking about the peasants, about the kisans. It is the real problem of the country. Why are you disturbing me?

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

SHRI SANKAR PRASAD DATTA: Sir, I demand that in this critical situation, the Central Government should immediately sanction and provide full compensation to all peasants in the country, agricultural workers and artisans, who have been affected in this recent calamity in these 14 States, for loss of human lives and livelihood.

With these words, I conclude and thank you.

श्री उदय प्रताप सिंह (होशंगाबाद) **:** सभापति जी, आज नियम 193 के अधीन कृषि और किसानों पर आई आपदा के ऊपर यह सदन अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है। मैं अपनी बात शुरु करने से पहले माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस देश में प्राकृतिक आपदा का किसानों को हर दो तीन साल में सामना करना पड़ता है। वर्षों के अनुभव के बाद किसानों के साथ नीतिगत मामलों में जो न्याय होना चाहिए, अभी तक उसकी अनदेखी हुई है। पहली बार भारत सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की नीति में और किसानों को कितना मुआवजा दिया जाए, इस पर चिंतन किया। मैं सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को तथा कृषि मंत्री जी के प्रति अपना बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा।

प्राकृतिक आपदा को कोई रोक नहीं सकता। सरकार मदद करती है, यह सरकार की जिम्मेदारी है। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपने तरीके अपनी बात रखी है कि कैसे मुआवजा मिले, किस तरह से मदद हो। मैं चाहता हूं कि नीतिगत फैसले होने चाहिए। प्राकृतिक आपदा होती है, सबसे बड़ी राहत सरकार की मदद के रूप में आती है और दूसरी बीमा के रूप में आती है। मैं आपके

माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस देश में राज्यवार बीमा की नीति किसानों की मदद के लिए बननी चाहिए। जो बीमा नीति उत्तर प्रदेश में किसानों को लाभ पहुंचा सकती है, आवश्यक नहीं है कि वही बीमा नीति महाराष्ट्र में भी लाभ पहुंचाए। जो महाराष्ट्र में कृषि बीमा नीति है, यह आवश्यक नहीं है कि उस बीमा नीति का लाभ मध्य प्रदेश के भी किसानों को मिले। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि जो बीमा की नीति बने, वह राज्यवार बने। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने प्रदेश में अपनी बीमा नीति बनाने का फैसला किया है। इस तरह से अगर राज्यवार बीमा की नीति बनेगी, किसानों को अगर सीधे उस राज्य में कि वह कौन सी फसल लगाता है, कौन से महीने में कौन सी फसल लगती है, उस आपदा से क्या नुकसान हुआ, स्थानीय स्तर पर अगर उसका आकलन हुआ तो शायद हम किसानों की बेहतर मदद कर पाएंगे।

आम तौर से अति वृष्टि, ओले और बहुत ज्यादा बारिश से जो प्राकृतिक आपदा आती है, उससे किसानों की फसल को क्षति पहुंचती है लेकिन अति बारिश में उसका आकलन नहीं होता। कई बार बारिश में अगर दो इंच पानी गिरा है, वहां भी वह उतना नुकसान कर जाता है कि जितना नुकसान वहां नहीं होता जहां पर 6 इंच पानी गिरता है। यह फसल के ऊपर निर्भर करता है। अगर दलहन की फसल है तो दो इंच पानी भी नुकसान कर जाता है लेकिन अगर फसल गेहूं की है तो 6 इंच पानी गिरने के बाद भी नुकसान नहीं होता। इसलिए स्थानीय परिस्थितियां आकलन का आधार बने, मेरा आपसे यही अनुरोध है।

दूसरे, जो हमारी बीमा की कंपनियां हैं, उनकी बाध्यता तय होनी चाहिए। हमारी जो बीमा नीति अभी बनी है, वह तहसील के आधार पर थी। उसमें गांवों और किसानों को आधार बनाया जाए। बीमा कंपनियों की बाध्यता रहे, मोटर दुर्घटना होती है तो उसमें यदि किसी का नुकसान होता है तो कंपनी बगैर खबर के सीधे उसको एप्रोच करती है, मदद करती है लेकिन किसानों की जब क्षति होती है तो किसानों का प्रीमियम तो लोन के साथ काटा जाता है लेकिन जब उसकी क्षति होती है तब बार बार आग्रह करने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। इसमें सरकार को चिंता करने की आवश्यकता है। कहीं न कहीं बीमा कंपनियों की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए कि जैसे ही प्राकृतिक प्रकोप अगर किसानों पर होता है तो बीमा कंपनियों को आगे बढ़कर, स्थानीय प्रशासन के साथ कोआर्डिनेशन करके किसानों की मदद के लिए आगे आना चाहिए।

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे कई राज्य ऐसे हैं जहां पर क्षति हुई है। मेरा यह भी सरकार से अनुरोध है कि जिन राज्यों में अभी क्षति हुई है और वहां पर जो अनाज बचा है, कम से कम स्थानीय सरकारों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उसे खरीदने का काम करना चाहिए। भारत सरकार गेहूं खरीदती है, दलहन फसलों में मिनिमम सपोर्ट प्राइज निर्धारित करती है लेकिन हिंदुस्तान की मंडियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइज के ऊपर अनाज खरीदा नहीं जाता है। सामान्य परिस्थितियों में किसान इस बात की परवाह नहीं करता है लेकिन आज परिस्थितियां विपरीत हैं। आज परिस्थितियां किसान के अनुकूल नहीं हैं। किसान आज प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, कर्जे से जूझ रहा है। हमारे साथी ने भी कहा है कि आज किसान इस हालत में भी नहीं है कि वह बिजली का बिल अदा कर सके। इन स्थितियों में मिनिमम सपोर्ट प्राइज पर मंडी के अंदर उनका माल खरीदा जाए, इस बात की चिंता करने की आवश्यकता है। आज किसान की लागत का मूल्य बढ़ रहा है। किसान की लागत का मूल्य हर वर्ष बढ़ता है लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइज में उतनी वृद्धि नहीं होती है, इस बारे में भी चिंतन करने की आवश्यकता है। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में पहली बार किसान की परवाह की जा रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार किसानों की तरफ पूरा ध्यान देगी और किसानों की मदद करेगी।

उपाध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी अभी सदन में उपस्थित नहीं हैं, श्री राधा मोहन जी, कृषि मंत्री सदन में बैठे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज्यों में नुकसान के बाद राज्य सरकारों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि वहां जाते हैं लेकिन पहली बार मैंने देखा है कि किसानों की क्षति को देखने के लिए केंद्र सरकार किसानों के बीच गई है और किसानों के दुख दर्द को देखने का काम किया है। यह किसान के लिए सुखद अनुभूति है। किसानों में उम्मीद जगी है कि माननीय नरेन्द्र मोदी जी और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में यह सरकार किसानों की मदद करेगी। मैं चाहूंगा कि सदन हमारी राजनीतिक मान्यताओं से ऊपर उठकर राजनीति न करते हुए देश के किसानों की समय पर मदद की जा सके, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जिस राज्य में चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उस जगह ईमानदारी से किसानों के बीच जा कर मदद करे, यही हमारी प्राथमिकता भी होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

SHRI RAHUL GANDHI (AMETHI): Deputy-Speaker, Sir, thank you for allowing me to speak on this issue. The farmer is India's backbone. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please maintain order in the House.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: What is the problem?

...(*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI: Whatever we have constructed; whatever we ....*(Interruptions)* have built; whatever has been achieved in this country whether it is IT or defence, etc. all these structures sit on top of our foundation. ...(*Interruptions*)

आप घबराइए मत, मैं हिंदी में भी बोलूंगा। Everything has been built on a foundation that has been provided to us by the farmer. The farmer gave us the Green Revolution, and the Green Revolution happened because the farmer was given abundant credit and because the farmer was provided with the idea of MSP so that he could sell his crops.â€¦(*Interruptions*) अभी बोलता हूं। Today ... *(Interruptions)*

HON. DEPUTY SPEAKER: Please do not make any comment.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Kindly allow me to run the House. If you do not like, you can go outside and sit there.

...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: If a Member is speaking, he must be allowed to speak.

...(*Interruptions*)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA (GUNA): Deputy-Speaker, Sir, you have to control them. ...( *Interruptions*) This is unacceptable. ...(*Interruptions*) The Parliamentary Affairs Minister is sitting here. ...(*Interruptions*) He should control them. ...(*Interruptions*)

SHRI RAHUL GANDHI: Anyway, Sir, I am sorry to say that on the matter of MSP and on the matter of agricultural credit, our Government, the *Acche Din* Government -- that is their name, not my name, so I take their permission to use it -- The acche din Government has failed the country.

I would like to point out a little bit about the MSP and agricultural credit. In our time, UPA Government's time, agricultural credit grew by 700 per cent. It went up to Rs. 8 lakh crore and 6.5 crore farmers benefited from this. Our average increase in credit was an average 20 per cent every year. I am sad to say that the current Government has only given an increase of 5 per cent.

Comparing MSP, the current Government has allowed it to stagnate. This is the heart of agriculture. Our record is available with everyone. I would like to take your permission to repeat our record. In wheat, we raised the MSP from Rs. 640 to Rs. 1400 per quintal. In rice, we raised the MSP from Rs. 560 to Rs. 1310 per quintal. In sugarcane, we raised the MSP from Rs. 73 to Rs. 220 per quintal. And what has the current regime done over the last year? I would like to say wheat has been raised by Rs. 50; the MSP of sugarcane has been raised by Rs. 10; and cotton has been raised by Rs. 50. As if that was not enough, our farmers are struggling.

What is the result of this? You talk about defending the country and you talk about strengthening the country. What is the result of this? Result of this is that during our time, agriculture grew at 4.1 per cent. In the previous NDA Government, the 'India Shining' Government, your record of agricultural growth rate was 2.6 per cent every year. Your Prime Minister, during the campaign, spoke to the farmers and said that he would look after them. MSP is where it was; agricultural credit has not improved, and agricultural growth rate is one per cent. How can you talk about strengthening this country, if the foundation of the country is that farmer? How are you going to do that?

Someone from an NGO came to me two days ago, before our rally and he said that he had gone to meet Mr. Gadkari. First, I would like to praise Mr. Gadkari, who is not here. I would like to praise him because he is the one Minister here who speaks his heart and tells the truth. This is I would like to praise him *और* उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसान को न भगवान पर और न ही सरकार पर भरोसा करना चाहिए। ...(व्यवधान) अच्छी बात है कि जो उनके दिल में था, वह उन्होंने कह दिया । ...(व्यवधान) दिल की या मन की बात । ...(व्यवधान) अभी कहता हूँ As if that was not enough, agricultural growth rate is stagnating; farmer does not get credit; MSP is where it was, and the weather lets the farmer down.

ओले पड़े, बारिश पड़ी और किसानों का नुकसान हुआ। ...(व्यवधान) सबसे पहले मैं आपके प्रधानमंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूँ। ...(व्यवधान) एक छोटा-सा सुझाव देना चाहता हूँ। पहले एक्सपर्ट्स ने कहा, हिन्दुस्तान के सबसे बड़े एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स ने कहा कि 180 लाख हेक्टेयर में नुकसान पहुँचा है। ...(व्यवधान) 14 राज्यों में नुकसान हुआ है। 40 हजार करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। ...(व्यवधान) उसके बाद आपके एक्सपर्ट्स 180 लाख हेक्टेयर में नुकसान की बात कहते हैं और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वह गलत है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं यह नुकसान 106 लाख हेक्टेयर में हुआ है। ...(व्यवधान) उसके बाद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कहती है कि नहीं, भईया प्रधानमंत्री जी गलत कह रहे हैं, 80 लाख हेक्टेयर अफेक्टेड है। ...(व्यवधान) तो सबसे पहले आप हमें बताइए एक्सपर्ट्स सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं या आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री सही कह रही है। तीनों सही कह रहे हैं।...(व्यवधान) यही बीजेपी का तरीका है। यहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, वहां कुछ बोलो, फिर बोलो कि तीनों एक ही बात कह रहे हैं। ...(व्यवधान) किसान को नुकसान हुआ।...(व्यवधान)

कृषि मंत्री **(**श्री राधा मोहन सिंह**) :** चूंकि गलत आंकड़े आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूं।...(व्यवधान) मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं। शायद जानकारी मिलने में एजेंसी ठीक नहीं रही होगी। 180 लाख हेक्टेअर फसल का नुकसान राज्य सरकारों ने बताया था। फिर राज्य सरकारों ने 106 लाख हेक्टेअर फसल का नुकसान बताया। जब प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग पर बात की तो राज्य सरकारों ने 80 लाख हेक्टेअर फसल का नुकसान बताया था। कृपया इसमें सुधार कर लें।...(व्यवधान) राज्य सरकारों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में ऐसा बताया था।...(व्यवधान) राज्य सरकारों ने बताया था।...(व्यवधान) यह गलत बात है।...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी**:** मैं आपको एक सुझाव देता हूं। ये कनफ्यूजन हो रहा है कि कोई 106 लाख हेक्टेअर कह रहा है, कोई 180 कह रहा है, कोई 80 कह रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को सुझाव दे रहा हूं कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी जाकर अपनी आंखों से देख लें। क्यों नहीं वे जाकर, जहां लोगों के दिल में दर्द है, जहां उनको मुश्किल हो रही है, क्यों नहीं वे वहां जाकर उन लोगों से बात करते। ...(व्यवधान) गेहूं मण्डियों में पड़ा हुआ है, सरकार उठा नहीं रही है। किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है, उसे आप फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हैं, उसे आप लाठी मारकर भगा रहे हैं।...(व्यवधान) देखिए स्वामीनाथन जी ने कहा है।...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I request you to control them. I request the Parliamentary Affairs Minister to control their Members. â€¦ (*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I will manage it.

श्री राहुल गांधी**:** महोदय, एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आपकी जो सरकार है वो किसानों की मुश्किलों को इग्नोर कर रही है किसानों की मुश्किलों को इग्नोर और मजदूरों की आवाज नहीं सुनती है। आपकी सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, यह बात सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं,...(व्यवधान) बड़े लोगों की सरकार है।...(व्यवधान) मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: You have got to control him. ...(*Interruptions*)

श्री राहुल गांधी**:** आपकी सरकार बड़े लोगों की सरकार है, सूट-बूट की सरकार है, वो हम समझते हैं।...(व्यवधान)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Why are you upset? ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: Take your seat.

...(*Interruptions*)

श्री राहुल गांधी **:** अब वो सूट का मामला तो खत्म हो गया है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया**:** ये लोग क्यों इतना शोर कर रहे हैं...(व्यवधान) यह कोई तरीका है!...(व्यवधान)

श्री राहुल गांधी: नहीं वो सही हैं। वो...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : आप सब बैठ जाएं, पप्पू यादव जी आप भी बैठ जाएं। हमें हाउस चलाना है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष का कोई भी माननीय सदस्य पार्लियामेंटरी मर्यादा के अनुसार बोल रहा हो तो उसे बोलने का अधिकार है। बाद में आप में से कोई बोलना चाहे तो उसे मौका मिलेगा, यह संसदीय पद्धति है। इसलिए किसी को भी बीच में टोका-टाकी या किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण बहस है, सदन में हो रही इस बहस को पूरा देश देख रहा है।...(व्यवधान) पप्पू यादव जी आप बैठ जाएं, आप सुबह वैल में आए थे। किसी भी व्यक्ति को बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए इसलिए मेरा निवेदन है कि शांति से बहस होने दें।

श्री राहुल गांधी: अब वो सूट का मामला तो खत्म हो गया है, उसका आपने ऑक्शन कर दिया है इसलिए उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, खुश! यह सच्चाई है और इस बात को आप भी मानते हैं इसीलिए आप इतने जोरों से चिल्ला रहे हैं कि किसान को और मजदूर को आपकी सरकार नेग्लेक्ट कर रही है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह रनिंग कमेंट्री कब बंद होगी?

श्री राहुल गांधी: अब सवाल उठता है कि आपके जो प्रधान मंत्री हैं...(व्यवधान) देश के

कुछ माननीय सदस्य: वह देश के प्रधान मंत्री हैं।

श्री राहुल गांधी: ठीक है, वह देश के जो प्रधान मंत्री हैं, अगर वे देश के हैं तो आपके भी हैं। क्या आप कह रहे हैं कि वो आपके नहीं हैं...(व्यवधान) मैंने गलत बोला क्या कि वह आपके नहीं हैं...(व्यवधान) देश के तो हैं, मगर आपके नहीं हैं?...(व्यवधान) फिर क्यों चुप करा रहे हो मुझे...(व्यवधान) ठीक है, वो आपके प्रधान मंत्री नहीं हैं, देश के प्रधान मंत्री हैं। वो पोलिटिकल केलकुलेशन तो समझते हैं, चुनाव जीते हैं। मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, वह मैं देश से पूछना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं। देश की 60 प्रतिशत जनता एग्रीकल्चर पर निर्भर है। किसान, मजदूर हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: 60 प्रतिशत नहीं, 67 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है।

श्री राहुल गांधी: ठीक है 67 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है, आप मुझसे अच्छा जानते हैं। आपके जो प्रधान मंत्री है, देश के जो प्रधान मंत्री हैं, वो पोलिटिकल केलकुलेशन बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मेरे दिमाग में सवाल उठ रहा है कि अगर वह पोलिटिकल केलकुलेशन समझते हैं तो इन 60 प्रतिशत लोगों पर क्यों गुस्सा कर रहे हैं? सवाल है, प्रैग्मैटिक व्यक्ति हैं तो क्यों 60 प्रतिशत लोगों को नाराज कर रहे हैं? मैं इस बारे में सोच रहा हूं कि इसका क्या कारण है? स्वामीनाथन जी ने कहा है कि , अंग्रेजी में कोट है तो मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूं।

Future will belong to nations with brains, not guns. डिफेंस की बात होती है, मिसाइल्स की बात होती है, फाइटर प्लेन्स की बात होती है, 60 परसेंट जनता को आप भूल रहे हैं। मैंने अपने आप से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे एक ही जवाब मिला कि हिन्दुस्तान के किसान की जमीन की जो कीमत है, वह तेजी से बढ़ रही है और आपके कॉरपोरेट्स दोस्त उस जमीन को चाहते हैं।...(व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं, एक तरफ तो आप किसान और मजदूर को कमजोर कर रहे हैं और जब वह कमजोर होगा, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा तब आप उस पर अपने ऑर्डिनेंस की कुल्हाड़ी मारोगे। इसीलिए आप 60 प्रतिशत लोगों को इग्नोर कर रहे हैं।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Shrimati Bijoya Chakravarty, you are a very senior Member of Parliament. How can you speak without my permission? Please take your seat.

श्री राहुल गांधी: प्रधानमंत्री जी को मैं एक और सुझाव देना चाहता हूं। वह देश के प्रधानमंत्री हैं। बड़े लोगों की सरकार है, मगर देश में 60 प्रतिशत किसान मजदूर हैं। उनको राजनैतिक फायदा होगा, अगर वह अपनी साइड बदल दें। आपने वायदे किए हैं, अगर आप लोग कारपोरेट्स के वायदे तोड़ेंगे तो हमें नुकसान होगा। आप बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप किसानों और मजदूरों को चोट पहुंचा रहे हैं और आने वाले समय में वे आपको चोट पहुंचाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति इस देश में किसान और मजदूर के पास है। आप गलत सोच रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो बड़ी-बड़ी गाड़ी चलाते हैं, जो बड़े-बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सोचते हैं कि उनके हाथ में इस देश की शक्ति है। यह गलत है, इस देश की शक्ति किसान के हाथों में है, मजदूर के हाथों में है। With this, I would like to conclude my intervention. Thank you very much.

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : **उपाध्यक्ष महोदय, वह जो बोलते हैं, वह हम सुनें और हम जो बोलते हैं, वे लोग भी सुनें, यही महत्वपूर्ण होगा। एक दिन में और एक बहस में कुछ नहीं होने वाला है और यह बहस चलती रहेगी।**

I also come from an agricultural and rural background. I really feel sorry for the farmers. ...(*Interruptions*) I am intervening as a Minister. ...(*Interruptions*) Shri Suresh, please have some patience. As a farmer, I also want to open up my heart. ...( *Interruptions*) यह बात आपको भी मालूम है...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Please open up your coffers also.

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : **कॉफर्स ओपन करने के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने 1,20,000 रुपये का जो कॉम्पनसेशन दिया जा रहा था, उसको बढ़ाकर चार लाख रुपये कर दिया है, ज्योति बाबू आपको इसको थोड़ा समझना चाहिए।...**(व्यवधान) इस तरह के ब्राउनी पॉलीटिकल प्वाइंट्स स्कोर करके कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेरी आपसे विनती है कि इन विषयों के बारे में सेन्ट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, नीति आयोग, पॉलीटिकल पार्टीज़ को पूरे सिस्टम के ऊपर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए। हम पिछले पचास साल से सरकार नहीं चला रहे हैं। हमें आए हुए नौ-दस महीने ही हुए हैं। देश के सामने जो समस्याएं हैं, उनका समाधान करने के लिए सभी लोगों को मिल कर कोशिश करनी चाहिए।

Sir, today, a politician wants his son to be in politics; an industrialist wants his son to be in industry; a businessman wants his son to be a businessman; a doctor wants his son to be in medicine; and an actor wants his son to be an actor, even if his face is not good still they are thrusting on us! But today no farmer wants his son to be in agriculture. The reason is that agriculture, because of a variety of reasons, has become unremunerative. That is why there is a large scale migration. ...(*Interruptions*)

This is my observation. आपकी ओपिनियन नहीं है, ठीक है। Can I speak for you? I cannot. ...(*Interruptions*) मैं परकाया प्रवेश करके, आपके मन में प्रवेश करके नहीं बोल सकता हूं।

The share of agriculture in the GDP which was 26 per cent has come down to 13 per cent in 2012-13. It had come down from 26 per cent to 13 per cent by 2012-13. As I told you, there is every need to increase the output; there is every need to spend more on research and development; there is every need to spend more on our facilities for the rural extension officers going around the fields and educating the farmers in a better manner. These are all long-term measures and these are measures to be taken up in the country as a whole.

We are discussing two issues. The first is the recent instance of hailstorm and untimely rains. जो ओलावृष्टि हुई, वह एक विषय है। अभी जो हुआ, वह आठ-नौ स्टेट्स में हुआ। उससे किसानों और गांवों में रहने वाले लोगों का बहुत नुकसान हुआ। इसके बारे में एक तरफ सोचना चाहिए, दूसरी तरफ हम लोगों को लांग टर्म में खेती के बारे में सोचना चाहिए।

...(व्यवधान)

The people have decided who represents the *kisan*. I will come to that point a little later. My point is this. The Government and the hon. Prime Minister are sensitive to the issue of farmers. That is why we are happy that the moment it happened the hon. Prime Minister called the Agriculture Minister and other senior Ministers and asked them to go around the States. ...(*Interruptions*)

I am in public life for the last 40 years. â€¦ (*Interruptions*) He called the Home Minister, the Rural Development Minister, the Agriculture Minister, and the Parliamentary Affairs Minister. ...(*Interruptions*) आप चिंता मत करो, वे सब लोग खड़े होकर बोलें तो भी मैं समाधान दे सकता हूं, आप निश्चिंत रहिये, आप चिंता मत करो। मेरा यह कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्री, सर्फेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर और कृषि विभाग में सहायक मंत्री और सब लोग हैं, लेकिन आपको अपना नेतृत्व का विषय आ जाता है, एक व्यक्ति के बिना आप लोगों को कोई दिखाई नहीं देता है। ...(व्यवधान)

We are a Cabinet. Yours is one whereas ours is everyone! That is our policy. Please try to understand that. ...(*Interruptions*)

Shri Jyotiraditya Scindia and Shri Suresh, do not get it back again and again. आप लोगों को भी यही प्रॉब्लम होगी। ...(व्यवधान)

The moment this hailstorm happened, all these Ministers had been asked to go to different States. The Ministers have gone to different States. Even I, as Parliamentary Affairs Minister, have visited the State of Telangana along with the local Member of Parliament Shri Narsaiah Goud. We have interacted with the farmers.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: हमारे प्रधान मंत्री कहां गये?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : आपके प्रधान मंत्री हार गये, इसलिए घर पर बैठे हैं। ...(व्यवधान) और देश के प्रधान मंत्री देश में हैं, देश के प्रधान मंत्री देश में काम कर रहे हैं। इसमें क्या हुआ किसानों को पुरानी सरकार के जमाने में जब कृषि में नुकसान होता था तो यदि उनको पचास परसैन्ट नुकसान होता था, तभी उन्हें कुछ रिलीफ देते थे। हमारी सरकार के सत्ता में आने के बाद...(व्यवधान) प्लीज, क्या यह बीमारी आपको भी पकड़ गई है?...(व्यवधान)

AN HON. MEMBER: Members from your side are making noises.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Both sides are responsible. It is a contagious disease and has come from that side to this side. I am also finding it difficult. Sir, the problem is this is a contagious disease and we should take care to see that this disease is stopped once for all.

Sir, my point is, when we went and met the farmers in different parts of the country, particularly the affected areas, the situation there was really horrible. Heavy rains and hailstorm came and the farmers whose crops had come up to the cutting level, just about to be harvested, their total paddy, wheat, mango, papaya, cotton, chilly and other cash crops were badly affected. The farmers were naturally worried. When we went there, we informed the farmers also that earlier only if 50 per cent of the crop is damaged it used to be considered for compensation. I am happy, Sir, this Government has reduced it to 33 per cent. It is a very positive step taken by the Government.

Secondly, earlier Rs.1,20,000 compensation used to be given to the family of the deceased. Keeping in view the helplessness of the ordinary people, this Government has enhanced the amount of compensation from Rs.1,20,000 to Rs.4,00,000. Sir, whether it is the loss of cattle, milch animal, cattle shed, crop, boat of the fishermen or rural artisan implement, for all these things the compensation has been adequately raised to 50 per cent, 60 per cent, 70 per cent and 80 per cent.

I really applaud the initiative taken by my colleague Shri Radha Mohan Singh and his team of Ministers and officers in the Agriculture Ministry. As soon as this had happened, he wrote to all the States. I had been a Legislator in an Assembly. Normally, when something like this happen the State Government first makes a visit and sends a report to the Central Government. The Central Government then sends a Central team of officers who then go around and give a report. At the end of it there is a high level Committee presided over by the Home Ministry, Agriculture Ministry and Finance Ministry representatives who then consider the report. This Government in a proactive measure, as it is concerned about the plight of the rural people, first deputed senior Ministers to the spot. Secondly, requested the State Government to spend money from State Disaster Relief Fund (SDRF). Once it is exhausted they can also send the report to the Central Government. Once the Central Government receives the report, it will depute the team to visit the affected areas. After this the high level Committee meets which announce adequate relief and rehabilitation measures for the affected people. That is the new practice this Government has introduced after coming to power.

Sir, as a new initiative taken by the Government, Rs.59,100 per person is being given to the person with disability between 40 to 60 per cent; Rs.2,00,000 per person if the disability is more than 60 per cent; Rs.12,700 per person requiring hospitalization for more than a week. एक हफ्ते से ज्यादा हॉस्पिटल में रहे तो उनके लिए 12,700 रूपया देने का सरकार ने निर्णय किया है। The Government has decided to give Rs.4,300 per person requiring hospitalization for less than a week; Rs.1800 per family for loss of clothing. कपड़ा गया तो भी उनको 1,800 रूपया देने का सरकार ने निर्णय किया है। Then, Sir, for the loss of utensils, जो ग्रामीण इलाके में गरीब लोग होते हैं, उनके यूटेन्सल्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। It is very difficult for them to get back those utensils if they are lost in a natural calamity like flood and other things. The Government has taken care also ...(*Interruptions*)

आप बैठिए, आप अपनी जगह पर बैठिए।...(व्यवधान) रिलीफ कैम्प में जो एडल्ट होते हैं, उनके लिए 60 रूपए देने का, जिसके मकान का नुकसान हुआ, मकान का पुनर्निमाण करने के लिए जो पहले पैसा देते थे, उसको भी बढ़ाया है। रेन फेड इलाके में एग्रीकल्चर क्रॉप का नुकसान हुआ तो उनका जो पहले काम्पन्सेशन 6,800 होता था, उसको 13,200 तक पहुँचाया है। ...(व्यवधान)

Please have some patience. Why are you afraid of facing the facts? Please have some patience. The Government has announced Rs.30,000 for loss of buffalo, cow, camel, sheep, goat, etc. हर एक विषय में हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे कृषि मंत्री जी ने ध्यान दिया है और सबको राहत पहुँचाने का सरकार ने निर्णय किया है।,

मेरा कहना यह है, I will come back to the other issues, यह केवल तात्कालिक मदद के लिए, टैंप्रेरी रिलीफ के लिए, जिनका नुकसान हुआ, उनको मदद करने के लिए केन्द्र सरकार का कदम है। यह पर्याप्त है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मगर जितना आटा, उतनी रोटी। केन्द्र के पास कितने साधन हैं, कितना पैसा है, विरासत में जो हमें मिला है, नौ महीने के पहले जो विरासत में हमें मिला है, उसे भी ध्यान में रखना चाहिए। Sir, my friend from the Congress Party has mentioned the Swaminathan Commission. Yes, he said that grains are more important and that future belongs to grains and not to the guns. Our Government also believes in that but this Swaminathan Commission was appointed in November 2004 and it gave its report in 2006. From 2006 to 2014, there was a different Government...(*Interruptions*). I am only trying to place the facts...(*Interruptions*)

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : जो गलती ये किए हैं, वही गलती क्या आप भी करेंगे?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : हम नहीं करेंगे, आप चिन्ता मत कीजिए। हम भी नहीं करेंगे और आपका भी परिवार एक हो गया है, आप भी पुरानी गलती दोबारा नहीं करेंगे, मुझे विश्वास है। ...(व्यवधान)

ये हमारे मित्र हैं और पहले हमारे साथ थे। उस समय आपातकाल में क्या हुआ, मैं सबको याद नहीं दिलाना चाहता हूँ। मेरा कहना है कि स्वामिनाथन कमीशन का पूरा अध्ययन करके उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है, मैं भी स्वीकार करता हूँ। मगर सरकार 2006 से 2014 तक उस पर पूरा अमल नहीं कर पाई, इसलिए इस सरकार को भी कुछ समय देना चाहिए। अभी केवल नौ महीने हुए हैं। इन रिकमंडेशंस के बारे में गहराई से विचार करना चाहिए।...(व्यवधान)

आप लोग चिन्ता क्यों कर रहे हैं? गहराई से इन विषयों के बारे में अध्ययन करना चाहिए। यह सरकार अध्ययन करेगी। भूपेन्द्र जी, उनके बारे में आप चिन्ता क्यों करते हैं, हम देखेंगे। ...(व्यवधान) हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि रैली में सब लोगों को हम ही लाए, उनके लिए गुलाबी हैडगियर पहनाया, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। इस सरकार में हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। हम टीम इंडिया हैं। We are a team. The Central Government and the State Governments should work together.

Coming back to the main point, we all have to put our heads together. All the political parties, Niti Aayog, media and also Parliament, we have to put our heads together to find out some ever lasting and long term solutions....(*Interruptions*) An initiative has been taken by this Government also. There are a lot of pro-farmer steps and pro-rural steps.

With regard to rural credit, it was Rs.8 lakh crore and now it has been enhanced to Rs.8.5 lakh.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: It is only five per cent.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: If Rs.8 lakh to Rs.8.5 lakh is only five per cent increase, then I leave it to your calculation...(*Interruptions*).

Sir, we have started Atal Pension Yojana. Our Government is the first Government to think about the rural people and rural road connectivity. हमारे नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गाँव गाँव तक डामर रोड का निर्माण करने के लिए प्रयास किया। आप लोगों ने पचास साल में नहीं किया। हमने गाँव गाँव तक डामर रोड का निर्माण किया because transport is vital for the development of rural people. That had been done effectively. Unfortunately, in the last 10 years that has been given a go by. This Government is again focusing more on Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana. When it was started, I was the Minister of Rural Development. Once again, I want that the Centre and States should focus on Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana. We have to repair and strengthen the roads under the Pradhan Mantri Grameen Sadak Yojana. This is one objective which has to be there before the entire country. Together we should strengthen the rural road network system.

Another initiative has been taken by our Government.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आप यह बताइए कि किसान के लिए आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : आपको यह मौलिक तथ्य मालूम नहीं हुआ ज्योतिरादित्य जी, कि किसान गाँव में रहते हैं, शहर में नहीं रहते हैं। गाँव के लिए सड़क नहीं है तो वीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलैक्टर, डाक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर कुछ नहीं जाएगा गाँव में। सड़क बहुत ज़रूरी है। सड़क के बिना गाँव में विकास नहीं होगा, यह आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए सड़क बहुत ज़रूरी है।

**17.00 hrs**

इसी के साथ ग्रामीण इलाकों में...(व्यवधान) जयप्रकाश जी, आपने भी जयप्रकाश जी से प्रेरणा ली, हमने भी प्रेरणा ली, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जयप्रकाश जी ने क्या कहा, आपको भी मालूम है। मेरा कहना यह है कि ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण गोदाम, the other day when I was there in a *kisan* Panchayat, the farmers told me that the Indian Railways provide wagons for carriage of coal, they provide wagons for other things and that they should provide ...(*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: We want a reply on agriculture and would like to know whether the Government will provide compensation or not; if they give compensation, how much compensation will they give? How they are going to solve this problem? We would like to know whether the Government is going to create a special fund for the farmers or not.

HON. DEPUTY-SPEAKER: The hon. Minister for Agriculture will reply to the debate. He is just intervening in the debate.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He has every right to intervene, but he cannot give reply to everything, from rail to road and road to rail. We want a reply on the problems of agriculture. How is the Government going to solve the problem of agricultural workers?

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: रिप्लाई भी होगा, सप्लाई भी होगी, माइंड एप्लाई भी हो रहा है, इन विषयों के बारे में सरकार ध्यान दे रही है। Why are you disturbed?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: सप्लाई हो रही है, पर रिप्लाई नहीं हो रहा है।...(व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: देखिये, आप थोड़ा माइंड एप्लाई करिये। मेरा कहना यह है कि कृषि मंत्री जी को जो जवाब देना है, वे जरूर जवाब देंगे। As a representative of the rural people I also feel that I must pour out my heart. The rural godowns, the cold storage and rural connectivity are important for the rural people. One of the methods for addressing the agrarian crisis is to solve the problems of the rural people and to stop the migration from the rural areas and also to take water to the rural areas. These are the areas on which we should all work together and see to it that allocations are made to these sectors both by the States and the Centre. We should also give more focus and more thrust on the issues relevant to rural areas. That is the point that I would like to make.

Coming back to the issue that our Government represents big issues, I would like to point out to Shri Rahul Gandhi that we are in power only for a period of nine to ten months and your party had been in power for more than 50 years ...(*Interruptions*) Have a sporting spirit. Your leader is patient enough to hear. You also have the patience to listen.

श्री एम. वैंकैय्या नायडू: खड़गे जी, आप हरेक विषय में खड़े होते हैं, आप बोलते हैं, हम लोग बैठते हैं, हम आपत्ति व्यक्त नहीं करते तो आपको क्या प्रोब्लम है? ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: जब आप रास्ते से भटकते हैं तो हम आपको रास्ते पर लाते हैं।...(व्यवधान)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: We will never divert from the main route. Simply because of headlines in newspapers we will not change our line. The

headline in the media cannot be the deadline for us. We have our own line and we are very clear about it. My point is that for more than 50 years the other side was ruling this country. On this side, we have come to power only for a period of 9 to 10 months. Are we patronizing only industrialists? Is giving Rs. 1 lakh compensation going to help farmers or the industrialists? Is making rural roads going to help the rural people or the industrialists? Then there is a scheme of giving one rupee per month premium and also giving Rs. 2 lakh for the rural helpless people, is it going to help the rural people, or the industrialists? A scheme of paying 90 paise per day and Rs. 330 per year and then at the end of it giving a lumpsum amount of Rs. 2 lakh as life insurance, is it going to help the business people or the rural people? The *Mudra* bank meant for the ordinary people and the artisans, the fruit vendors, is it going to help the industrialists? An extra allocation of Rs. 5 crore has been made to MNREGA. Is it going to help the industrialists?

Sir, we all know about 'Housing for All' by 2022. Is it going to help only the industrialists and not the rural and poor people? Then, as regards Swachch Bharat, is it going to help only industrialists? All these things have to be thought about. Our Government is committed to farmers. Our Government is committed to poor people. Our Government is committed to rural people and Antyodhya. Upliftment of the poorest of the poor is our motto. But you people, all these years, had only words for the poor and deeds for the rich. That is why, people have brought you there and brought us here. We remember the mandate of the people. I can tell you ...(*Interruptions*) Have patience for five years and then try your luck.

In this Parliament, let us recollect the facts. The highest number of MPs from the farming community are on the side of NDA. The highest number of MPs belonging to Scheduled Castes are on the side of NDA. The highest number of MPs belonging to the Scheduled Tribes are on this side. The highest number of women MPs are on this side. That being the case, how can you tell us that we do not represent the poor people, we do not represent the farming community? We represent the farmers. This Government represents the poor people and rural people. Our thinking is for the rural people; our thinking is for the farmers. On day one, the Prime Minister even before taking his oath, made it very clear that farmers, women and rural people are our priority.

Now you are talking about the Land Bill. Sir, I am happyâ€¦...(*Interruptions*) You do not get confused. If I am trying to confuse you, you do not get confused. The Land Bill has been brought after much deliberations.

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: No deliberations.

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: This has been brought after a meeting of the Minister, after receiving letter from the Congress leader in the other House, after receiving a letter from the Chief Minister and receiving a representation from 28 States on different issues saying that there is a need to have a relook at this issue. Sir, 13 Central Acts were exempted by my friend, Shri Jairam Ramesh from the purview of the Land Act. If you do not make a legislation, the farmers in those areas will be affected and deprived of the four time compensation. I do not want to elaborate on this. Still we have time and when the time comes and the issue comes up, we will discuss it. Earlier, the same House discussed it and three-fourths of the House have approved the legislation. How can you say that it is one-sided? The number is high on my side in democracy. On your side, the number is less. Try to understand the numbers.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: That is why, the Ordinance has come. â€¦ (*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: You have issued 462 Ordinances. सौ चूहे खाकर बिल्ली हज़ को चली।...(व्यवधान) आप इतने ऑर्डिनैंसेज जारी करके हमें प्रवचन दे रहे हैं।...(व्यवधान) We have issued hardly ten Ordinances. You have issued 462 Ordinances. Let us not try to score political points. Facts are there before the people. People are wise enough. They are intelligent enough and they will understand and decide. Sir, curse can be given by people who have the capacity and morality. Curse cannot be given by people who have been rejected by the people. That has to be understood by one and all.

My point is, it may be your wish. If you give some meaningful suggestions...(*Interruptions*)

SHRI DEEPENDER SINGH HOODA (ROHTAK): Time decides. ...(*Interruptions*)

SHRI M. VENKAIAH NAIDU: Time decides. Time has sixty minutes in an hour, 24 hours in a day, 30 days a month and 365 days in a year. So, that is time and one has to understand this.

Sir, let my friends have some patience. You have ruled for 50 years from Centre to State. दिल्ली से लेकर गली तक, पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक, मुख्य मंत्री से लेकर म्युनिसपैलिटी तक पूरा अधिकार आपके हाथों में जनता ने दिया।...(व्यवधान) आपने क्या किया, वह देश के सामने है। नौ महीने में हमने क्या किया और क्या कर रहे हैं, वह भी देश के सामने है। देशवासी जागरूक हैं। वे अपना निर्णय देंगे। कम से कम उनके ऊपर भरोसा रखिए। आप निश्चिंत रहिए। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कमज़ोर वर्गों के बारे में ज्यादा ध्यान देती है, किसानों के बारे में ज्यादा ध्यान देती है, ग्रामीण इलाके के बारे में ज्यादा ध्यान देती है। इसलिए हमारी संख्या इतनी है और आपकी संख्या उतनी है।

धन्यवाद।

*__SHRI NISHIKANT DUBEY (GODDA)__: I support the Government of India initiative for farmers. Unseasonal rains and hailstorm damaged rabi crops in nearly 5000 hectares of land impacting 25000 farmers at Godda (Jharkhand) in this month, even as farmers death.

The situation in Jharkhand and particularly at Santhal Pargana too was far from bitter. We are grateful to our Prime Minister Shri Narendra Modi Ji for his active policy change decision for farmer's life, health, security and food. Our Prime Minister always thinks for poor, farmers, labours, women, youth and un-employed. I urge agriculture minister some of the basic points for his consideration.

Agrarian relations in India had undergone a sea-change during the period of last two decades of economic reforms. One of the serious outcomes of these changes is the incidence of suicides of farmers in different states of the country. Changes in agrarian relations occurred due to the changing policies and change in agricultural market. Changing macroeconomic policies and other changes led to the gross neglect of agriculture consisting of 60 per cent of the population and one fifth of the electorate. This took agriculture and rural economy towards distress. The number of suicide cases in rural parts has been mounting in last fifteen years. More than two lakh of farmers ended their life through suicide. Since the mid 1990s, large section of farm households have been facing a distress as a consequence of decline in agricultural income and loan repaying capacity and increased debt burden. Rain-fed areas are particularly prone to year to year fluctuations in production and degradation in environmental resources. In the

present liberalized trade market, farmers are exposed to price volatility because of fluctuations in domestic production and international prices of agricultural commodities. The most serious aspect of this crisis is deceleration in agricultural growth with distress state of farmers in general and that of small and marginal in particular. The issue of farmers indebtedness become a matter of intense debate whenever agricultural sector faces distress. But, indebtedness is not the root cause of the current crisis. The factors that are responsible for indebtedness are vital in this phenomenon. The underlying causes are stagnation in agriculture, increasing production and marketing risks, institutional vacuum and lack of alternative opportunities. The agrarian crisis in India has both long term structural and institutional as well as short term manifestations. The long term structural features indicate sharp decline in the share of agriculture in the Gross Domestic Product (GDP) accompanied by very low rate of labour force diversification away from agriculture. This has resulted in declining relative productivity of agriculture and non-agriculture sector. The growth rate of agriculture has decelerated noticeably during the post reforms period. The crisis has been exacerbated further by rapid environmental degradation and plate acing the existing agriculture technology. The liberalization of economy has failed to give a big push to agriculture sector and to increase income and employment in agriculture. The gradual withdrawal of state from active participation in development activities has resulted in sharp decline in public investment in agricultural infrastructure in general and agriculture science and technology in particular. This has resulted in deterioration of rural infrastructure and thereby stagnation in agriculture development. Although, almost all the regions of the country have experienced a deceleration in their agricultural growth, the adverse impact is especially serious in rain fed regions and among small and marginal farmers.

The glory of the green revolution has been darkening since the mid 1980s. The income from agriculture had declined with increased cost of cultivation. However, the institutional credit supply dried up and farmers resorted at private moneylenders for their credit needs. The moneylenders took disadvantage of the footloose situation of farmers and charged heavy rates of interest on loan amount doubling the principle amount within a year or two. The situation further aggravated during the post reforms period. Farmers have to face the international market competition without any state support.

The present agrarian crisis is closely associated with the misapplication of the macroeconomic policies towards agriculture during the post independence period in general and that of the post reforms in particular. The blindly following of the developmental policies of the developed countries has an adverse impact on the agriculture sector of the country. The innovation in the agriculture during the 1960s expected in inclusive growth of the sector but has been limited to few crops (Paddy and Wheat) and in few states i.e. Punjab and Haryana. The increase in the agriculture credit remains only on paper and in real terms it has been stagnant over the decades. The co-operatives are far away from their target group i.e. small, marginal and weaker sections of the agrarian community. However, the institutional structure of agriculture produce marketing failed to address the farming community and became a play ground for the new comers in the politics. The functioning of APMCs is like a private entity of the traders, whereas farmers are the mute receiver. This is the situation of the domestic institutional marketing mechanism of agriculture produce. Whereas, at international level, government withdrew the institutional support through reduction in import duties during the 1998 to 2001 from earlier 35 to 5 per cent. At the same time, developed countries continuously support their farmers through direct subsidies under different schemes. Over the years, Indian government reduced the volume of indirect subsidies to the agriculture sector. Which resulted in to increase in the cost of cultivation and the mere stagnant and declined support prices caused for the increase in the gap between income and expenditure.

In all, the subject matter of agrarian crisis and thereby farmers suicides in the country has the positive correlation with the agriculture policies since the independence. The agriculture development in India essentially involves five important phases. The first phase involves the period prior to independence of the country. This period was marked by the retrogression of the sector and ended by leaving the country with perhaps the world's most refractory land problem. The second phase of development of agriculture sector covers the period of independence influenced both by the indigenous thinking about development i.e. Gandhian perspective and also the western process of growth borrowed from the industrialized countries. This phase ended with the drought of mid-sixties when food security and acute poverty became prominent issues. The third phase consisted the Green Revolution after the mid- sixties. Afterwards India not only met the domestic requirement of food but also became a net exporter of food grains particularly the Wheat and Rice. This was the success of the technological changes of the 1960s. This should be equally credited to the participation of farmers in readily accepting technological innovations along with the availability of new inputs. The role of farmers in the process of the spread of technological changes is of prime importance but acknowledged or highlighted rarely. The half-clad, ill-fed and undernourished farmer with strong resource constrains was fully charge to provide food security to the country and to prove wrong the predictions of a widespread famine by the western economists. Therefore, the achievements of the technological change were possible only due to the farmers' positive role and whole-hearted participation in the process. This was followed by two distinct phases of growth, i.e. the immediate fall-outs of technological change and the phase of new economic policy.

During the pre-independence period, even though food was the major contribution expected from the agriculture sector, the foodgrain sector recorded extremely dismal rate of growth. It is further painful to observe that the foodgrain output grew only at 0.11 per cent per annum which was far below the growth of population during that period. The growth rates in non-foodgrains were higher than foodgrains which indicated strong forces of commercialization operation in the sector. It means, the farmers growing food crops were facing major constrains compared with those growing non-food crops. The growth of agriculture sector came mainly through the expansion of area under the crops and not through improvements in productivity. The productivity growth of 0.01 per cent per annum in all crops indicated stagnation or near absence of any technological changes over a half century. Production of non-food crops grew at much faster rate than food crops and same trend was visible in area as well as productivity. It points to the historical process of commercialization of agriculture during British Rule, which favoured selected crops and areas of importance. The farmer and his welfare was obviously not the focus of the developmental process then.

At the time of independence, the agricultural economy of the country was clearly a stagnant economy with wide regional diversities, lower resource availability, inadequate institutional support and acute poverty. The policy makers then began with an optimistic note and recognized the problems at the outset. The farmers became the focus of reforms and increasing their efficiency became major objective. Community Development (CD) progamme initiated in 1952 for the development of villages by coordinating the activities related to agriculture, animal husbandry, infrastructure and extension at the level helped to create rural infrastructure across blocks (Dandekar-1994)

The National Extension Service Programme of 1952 was also initiated as part of the CD programme. These two initiatives were intended to

provide necessary technical inputs to the farmers and organize them for the village development. Early sixties witnessed two important interventions in agricultural development. One, in the form of Intensive Agriculture District Programme (IADP) of 1960-61, for 13 selected districts in the country, to provide a package of inputs and the other, as Intensive Agriculture Area Programme (IAAP) of 1964-65, for selected districts, to provide technological inputs for production improvement.

Farmers and food crops became the focus of the strategy during the phase of Green Revolution. The technological changes focused on Cereals as a broad group and Paddy as well as Wheat as the vanguards of the revolution. The process involved providing essential resources for the transfer of the technology from lab to land along with extension support. In addition to this, other support institutions also helped the technology to take roots in the farm i.e. price policy, agricultural education, extension services and provision of credit. All these presumed the farmer as a active participant, without really making the group as a part of decision making process at least overtly.

It comes out clearly from data that the non-food crops dominated the growth in the crop economy during 1949-65 and the growth in the production of food crops came mainly through the expansion of area. Growth in productivity of food crops was quite low indicating little gains due to technological innovations during that period. The situation changed after the introduction of new technology. Growth of food-grains was quite impressive. It was food-grains, which contributed mainly to the crop economy, and the growth came out of improvement in yield per hectare. The growth rates in production of food-grains stayed ahead of the growth rates in population in following decades thereby ensuring certain minimum per capita availability of food-grains. The expansion in area under foodgrains more or less ceased by 1980s and growth in production was clearly visible during eighties and nineties. Yield improvement is seen during the seventies and the second spurt in the growth is visible around the late eighties. Production and productivity seem to be stagnated in the post 1997 period. The gains of technological changes were incurred in a few states and for a few crops. A large portion of the farming community was out of the technological changes during the mid 1960s. As a result, the gains from the innovation were not as per the level of expectation. And more vigorously small and marginal farmers were at the marginal in this new commercial agriculture practice. The transformation of the agriculture sector also had its negative externalities. The objections were directed more towards the region, crop and groups of farmers participating in the technological change. The technological change resulted in widening the regional as well as interpersonal disparities.

Foodgrain growth was lower than the rate of growth of population of 1.9 per cent during this period. The 1990s was the first decade since the 1970s in which the rate of growth of food crops fell below of yield levels, especially of some food crops. While the annual yield growth for all crops taken together decelerated from 2.56 per cent during the eighties to 0.90 per cent during the later period. for Rice, the yield growth rate decelerated from 3.47 per cent to 0.99 per cent and for Wheat from 3.10 per cent to 1.35 per cent. In case of Cotton, the yield growth rate has gone down from 4.10 per cent during the 1980s to 0.69 per cent during the 1990s. The free entry of MNCs in the pesticides production during the reforms period caused the decline in the effectiveness of the same on pests and the spurious pesticides have failed to prevent complete loss of the crop.

Initially the plan target i.e. first five year plan was food security. And we received the success more than the level of expectation. But during the 1960s the situations of food-grains became worst. During that period the Indian agriculture was introduced with the new technological innovation i.e. the Green Revolution. which had resultant impact on the crop productivity and it increased substantially. Irrigation is the key factor for the agricultural development. At the initial stage only 18.1 per cent of the total area under food-grains had irrigation coverage, which was increased later but very slowly. At present 46.8 per cent of the total area under food crops is under irrigation. Still 54.2 per cent of the area is out of the purview of institutional and individual irrigation. This is the obstacle in the 11th five year plan goal of food security. After the implementation of the new policy during the mid 60s there was a boost in the agricultural production and thereby productivity. Till the late 1980s the crop productivity increased substantially. But during the period of new economic reforms and WTO amendment the production of food-grains has been volatile. Further the situation became worse during East Asian Economic Crisis in 1996-97. Another reason of the deceleration or mere stagnancy in the food production is the fundamental Law of Returns. According to the law; at the initial stage of production, all factors of production are efficient hence there is incremental trend in production. As a time passes, the sector experience a stagnation and thereby deceleration due to the over exploitation of technology and natural resources. The law is applicable for the agriculture sector. In India, the boom in agriculture sector during the period of 1970-1990 was the resultant impact of green revolution of 1966. After 1991 the agriculture sector faced the stagnation and since 2003 the agricultural production decelerated considerably. And the country experienced the food insecurity and thereby food price inflation which has almost crossed the limit of 18 per cent. Hence now the policy makers are thinking about the second green revolution which is expected to give the sustainable food security.

The minimum support price is declared by the CACP on the basis of cost of cultivation and the recommended support price by the state governments. The thrust of the price mechanism is to give a remunerative returns to agricultural commodities. The situation of open market operations for agricultural commodities is always fluctuating which have the adverse impact on the returns from the agricultural operations. While declaring the support prices for agricultural commodities, it is expected that the market price should be above the support price. And whenever the market price is below the support price the government will enter the market for the procurement. Basically the methodology of accounting of cost of cultivation is not beyond doubt. Due to availability of the factors of production ,the cost of cultivation may vary but the accounting mechanism doesn't consider it. The transportation cost is only considered for the crops of Sugarcane and Jute. The cost of transportation is substantially higher for the Cotton due to the time lagging at government procurement centers. As a result, the support price is benefited for the less and incurred losses for the large section of farming community. The average gap between the cost of cultivation and support prices for the year 2005-06 was about 38 to 50 per cent. However the gap between the recommended prices from state government and price announced by CACP is around 50 to 55 per cent. It means the centre announced the support price below the recommended prices by the states.

During the field visit for the collection of primary data for the present study we observed that around 80 per cent of the surveyed farmers are unaware of the Minimum Support Price mechanism. For the year 2010-11 the support price for Cotton is Rs. 3000/- per quintal and market price during the period is observed around Rs. 45000/-. The fact is that the difference between the support and market prices is due to the decline in the production of Cotton. The cost of cultivation of Cotton is around Rs. 4000/-. It means the cost of cultivation and support price have no positive relationship. The declining returns from agriculture and increase in cost of cultivation resulted in to increase in indebtedness of farmers.

The increasing burden of labour force on a slowly contracting cultivable land area leads to increasing number of holdings with lower size. Over the

period 1960-61 to 2003, the number of holdings doubled from 51 to 101 million, while the area operated declined from 133 to 108 million hectares. This has resulted in a sharp decline in average size of holding and growing marginalization. Added to this the fact is that despite land reforms, the land holding pattern continued to be skewed.

Decline in size of holding and increase in the number of small and marginal holdings, as well as, the number of rural landless households had continuously increased after the 1980s. In states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Punjab, West Bengal, Haryana, Maharashtra and Karnataka, the proportion of landless households abnormally gone up after the period of 1986-87.

As well as, the plan and non-plan expenditure on agriculture did not increase in proportion to its share in employment and GDP of the country. Total expenditure on agriculture during reforms period increased slightly which shown a disproportionate trend for the period brings out overall neglect of agriculture in fiscal policy. The unremmunerative state of agricultural operations caused for the increase in landless households. The area operated was declined from 133.48 million ha. to 107.55 million hectare between 1960-61 and 2003-04. As well as the average size of holding reduced from 2.63 hectare to 1.06 hectare during the period of 1960-2003. Increase in landless households on the one hand and decline in total area operated and average size of holding indicated increased in the use of agriculture land for the purpose of industrialization and urbanization. It has affected the total production of food and non-food crops. Nonetheless, we achieved the food security after the four decades of green revolution.

The most important manifestation of the crisis is deceleration of agriculture growth combined with increasing inefficiency in use of input and thereby adversely affecting the profitability of the sector. The growth rate of GDP from agriculture decelerated from 3.08 per cent during 1980-81 to 1990-91 to 2.61 per cent in 1992-93 to 2002-03. The growth rate of agriculture both in terms of GDP from agriculture and agricultural output has also decelerated in most of the states. Increasing share of service sector in GDP is an obstacle in sustainable development due to lack of creativity. Hence, sectoral transformation in the economy is required. Industrial sector has also shown an increasing trend during the mentioned period. But the share of service sector was high as compared to other sectors. Increasing share of the service sector in GDP indicates that the post reforms policies were more in favour of the same and adverse to the agriculture sector. The negligence of the agriculture in the policy domain has been reflected by the declining share of the sector in GDP during the post reforms period.

The growth of agriculture GSDP shows a declining trend from 3.05 to 2.19 per cent for the period 1983-84 to 2003-04. It means the agriculture GSDP was quite high in pre reforms period and decelerated during the post reforms period. It is expected to grow at 4 per cent per annum but resorted at 2.19 per cent for the decade. The agriculture GSDP of the suicide affected states has also shown a deceleration. In Maharashtra agriculture GSDP dwindled from 5.39 to 1.27 per cent whereas, the GSDP decreased from 7.43-4.92 per cent.

It means both the agriculture GSDP and GSDP shown sharp decline in the post reforms period. Kerala has shown negative GSDP (-2 per cent) for the period. The states like Haryana and Punjab where the green revolution was very successful also experienced a sharp deceleration in agriculture and overall growth during the post reforms period. State like Bihar experienced increase in both agriculture and GSDP for the mentioned period and the same has happened with Orissa. These are the backward states of the country with high incidence of poverty. Gujarat and Uttar Pradesh have shown tremendous improvement in agriculture sector. Among these, most striking is that GSDP of West Bengal which increased from 4.73 to 7.03 per cent during the post reforms period which was quite high than national average. The states that were comparatively developed in agriculture and general growth, experienced huge setback during the post reforms period. That was happening due to both technological and policy related factors. On the other hand backward states experienced increasing growth in general and agriculture in particular. Agriculture is the root of the sustainable development. Hence, the crisis in agriculture has multiple impacts on economy of the nation as a whole.

The data on public and private investment in agriculture doesn't depict any satisfactory picture but on the contrary it brings out vividly the neglect. From 1996-97 onwards total public and private investment in Indian agriculture has declined substantially and increased slightly for 1990-00. For the subsequent period of 1999-00 to 2004-05, the situation brings out overall fluctuating trend. When public investment in agriculture was not satisfactory the private was also bound to fall and thereby the total investment. The withdrawal of public sector compels an equal reciprocal withdrawal by private sector projects the complementarity hypothesis. Hence, the overall decline in the public investment in agriculture causes for the deceleration in the growth of the sector.

The share of Gross Capital Formation in Indian agriculture in total GCF started to decline since the early 1980s. In the year 1995-96, it declined to 6.3 per cent from 16.1 per cent during 1980-81. There was a steep decline in the share of public sector GCF in agriculture to 17.3 per cent in 1999-2000 from 43.2 per cent in 1980-81. Thereafter it shows a marginal increase. On the contrary, private investment failed to compensate for the drastic decline in public sector investment. The share of private investment was increased during the period 1995-96 to 2003-04. The consequence was that the overall GCF in agriculture as a share of total capital formation in the country declined sharply from 16.1 per cent in 1980-81 to 7.6 per cent in 2004-05. As well as, the GCF in agriculture to total GDP was stagnated around 2.5 per cent during the abovementioned period and the GCF in agriculture as per cent of aggregate GDP around 11 per cent. It means the government gradually withdrawn the institutional support to the agriculture sector in general and during the post reforms period in particular. This led to unprecedented distress that has been one of the causes underlying the rising trend in the incidence of farmers suicide in the country.

Capital formation is the prerequisite for the economic growth which is widely acknowledged by the models of economic growth. Whereas agriculture development is the precondition of the industrialization. Looking at the trend of capital formation in agriculture sector it declined from 7.8 to 7.1 per cent during the period of 2004-08, which is the period known for agrarian crisis and farmers suicides.

On the one hand, Government announced economic relief packages for suicide hit states and on the other it reduced the share of capital formation in agriculture. The interesting fact is that the share of public sector declined from 6.7 to 6.1 per cent while the share of private in GCF increased from 8.1 per cent to 10.3 per cent. The increased share of private capital formation is a good sign for the development of the sector but this does not seem to be happening due to the decline in share of public sector in GCF. The role of public sector is important particularly in developing economies but the policy makers thrown open the agriculture sector without any safeguards. Which have the negative impact on the sector.

The change in focus during the second plan period (1956-61) towards heavy industries, led to slackening of investment in the farm economy. This has shown the result in the form of slow down in the overall growth of the sector. Then for the next plan, again the expenditure on the agriculture

sector declined and thereafter increased little. But it stagnated around 24 per cent of the total plan expenditure. Actually, it was expected to grow more than 30 per cent during the period of the Green Revolution. After the sixth five year plan (1980-85) the plan expenditure on agriculture declined substantially. Where the seeds of the future agrarian crisis were sown, plan expenditure on agriculture and important allied sectors like irrigation declined much faster during the reforms period than before. Particularly during the period of tenth plan, the ratio of actual expenditure on agriculture to total plan expenditure declined to 10.63 per cent from the earlier 18.83 per cent i.e. ninth plan. This had negative multiplier effects on the agrarian economy of the country. This the period when the agrarian crisis was deeply rooted and took the lives more than two lakh of farmers in the country. After such worst periods of agriculture sector the expectations of agriculture sector from 11th five year plan increased. But the plan also did not complete the expectations and the sector's share in total plan expenditure remained at the level of 9.51 per cent.

There is a fluctuation in the budgetary expenditure on agriculture during the reforms period. The year 1997-98, there was a first big setback to the agriculture sector when the budgetary expenditure declined by 12.74 per cent over the previous year. Thenafter it increased but not significantly. After the year 2000-01 the sense of crisis generated in the agriculture sector. And in the following year the expenditure again declined by 6.92 per cent. Thenafter little attention towards agriculture was given and the expenditure increased by around 25 per cent averagely up to the year 2007-08. And again it declined by 27.46 per cent in 2008-09. Hence, the inconsistency in the budgetary allocation on agriculture sector caused for the vulnerability of the farming community.

The importance of farm credit as a critical input to agriculture is reinforced by the unique role of Indian agriculture in the macroeconomic framework and its role in poverty alleviation. Recognizing the importance of agriculture sector in the development process, the government and the RBI have played a vital role in creating a broad-based institutional framework for catering to the increasing credit requirements of the sector. Agricultural policies in India have been reviewed from time to time to maintain pace with the changing requirements of the agriculture sector, which forms an important segment of the priority sector lending of scheduled commercial banks (SCBs) and target of 18 per cent of net bank credit has been stipulated for the sector.

The approach paper of the Eleventh Five Year Plan has set a target of the growth of 4 per cent for the agriculture sector within the overall GDP growth target of 9 per cent. In this context, the need for affordable, sufficient and timely supply of the institutional credit to agriculture has assumed critical importance. The evolution of the institutional credit to agriculture could be broadly classified into four distinct phases i.e. 1904-1969 the predominance of cooperatives and setting up of RBI, 1969-1975 nationalization of commercial banks and setting up of Regional Rural Banks (RRBs), 1975-1990 setting up of NABARD and from 1991 onwards the period of financial sector reforms. The RBI is perhaps the first central bank in the world to have taken interest in the matters related to agriculture and agricultural credit, and it is continuously doing (Ramesh Golait-2007). The demand for agriculture credit arises due to; i) the lack of simultaneity between the realization of income and act of expenditure, ii) lumpiness of investment in fixed capital formation, and iii) increase in capital investment in agriculture due to technological innovations and liberalized market. Policy makers in India have long recognized the need to provide short and long term institutional credit to agriculture at reasonable rates for meeting farmers needs. This was in recognition primarily as the moneylenders and other non-institutional sources charged higher rates of interest to farmers who often had to mortgage, and sometimes, sell their land to clear their debt.

Institutional credit expanded rapidly during the post-bank nationalization period from Rs. 1,675 crore in 1975-76 to Rs. 1,80,486 crore in 2005-06. The rate of the growth was even higher than the growth rates of GDP originating in agriculture. Despite this growth, the credit needs of agriculture have not been met fully and overwhelming number of farm households have not been able to borrow from institutional sources. Which has increased borrowing of the farmers from the private sources at high rates of interest. While short term credit has remained the dominant component of total credit. Its relative importance declined from 7.03 per cent in 1975-76 to 58.1 per cent in 2005-06. Declined returns from agriculture sector caused for the debt accumulation of farmers.

High rates of interest, crop failure, negative returns, extent and incidence of indebtedness and low credit ability on the one hand and the neglect of agriculture by the formal sector of lending on the other had increased dependency of farmers on private sources of credit for more than 80 per cent during post reforms period. The ensuing agrarian distress on account of declining monetary support by-way of public investment and neglect of the sector by institutional lending mechanism was first predicted in 1986 (Rath).

Looking at the short and long term advances for agriculture and allied sectors by formal institutions between 1970-71 and 2008-09, it comes out that the neglect of sector has continuously increased and thereby the distress and strengthening of the grip of private moneylenders. Cultivation being the main source of farm household income and if that itself is not supported by the institutional lending mechanism leads to the increase in cultivation expenditure as farmers pay higher rates of interests to private moneylenders. Number of banks both in public and private sector achieving the statutory target of 18 per cent between March 2001 and March 2003 has not been more than six (Public Sector) and two (Private Sector) respectively (Deshpande-2008).

Issues relating to agricultural credit include the poor performance of credit co-operatives and regional rural banks and on the other hand inability of commercial banks to meet their targets for agricultural lending and high cost of rural banking. The result has been the continued dependence of farmers on non-institutional sources and the inability of small farmers to obtain timely and adequate institutional credit.

Historically, co-operatives have played a vital role in the provision of institutional credit to agriculture sector. With the entry of commercial banks in rural areas, the share of co-operative credit in total agricultural credit had gone down. It fell from 70.8 per cent in 1975-76 to only 21.8 per cent in 2005-06. Also the share in crop loan has declined from 74.9 per cent in 1975-76 to 33.2 per cent in 2005-06. It means the co-operative sector was not fulfilling to commitments. And also their functioning is regulated by politically dominant groups. These institutions have become a way to entry in politics hence they resort to favouritism for credit disbursement rather than the need based disbursement. While the share of co-operatives in Term Loan declined from 61.2 per cent(1975-76) to 6.0 per cent in 2005- 06. At the same time commercial banks have become dominant source of credit to the agriculture sector.

After the nationalization of commercial banks their share in agriculture credit has increased substantially. But after the financial liberalization commercial banks reduced the supply of credit to agriculture. The main objective of the nationalization of the commercial banks was to provide

adequate, timely and reasonable credit to the weaker section of agriculture i.e. small and marginal farmers. But the data in the above table reveals that these banks have neglected the small and marginal farmers and only concentrated on the big farmers. These banks are found only interested in providing the long term credit. As well as, getting the loan from these financial institutions is time consuming and costly. As a result the dominance of the private moneylenders on agrarian economy still remains intact. Share of the private sources has increased particularly after the financial liberalization. Most of the commercial banks did not fulfill the minimum statutory target of 18 per cent of total credit to agriculture sector.

Indebtedness of farmers is basically due to the unsatisfactory performance of organized sector lending. Looking at the credit deposit ratio and the ratio of agriculture lending to total credit of banking sector, it comes out that the availability of bank credit for agriculture has been far less than the demand for over a long period of time. Data in the above table brings out a state-wise number and percentage of indebted farm households where the Maharashtra are more affected than rest of the states with corresponding percentage of 82, 74.5, 65.4, 64.4, 61.6 and 52.8 respectively. This picture underlines the finding that majority of suicide affected families were debt ridden families.

The share of farm households with less than one hectare of land holding in total farm households comes out to be 65.9 per cent and also substantial number of estimated number of indebted farm households comes out from the same category with average loan outstanding to be more than Rs. 6000. Data shows holding-wise outstanding debt per account for different categories of states for over a period of more than fifteen years covering pre and early post reforms period brings out that except few states (Punjab, Orissa, West Bengal and Kerala) and for an occasional time period all other states have shown a fast increasing trend in the average outstanding debt per account. This kind of a situation takes out farmers credit ability in future as their loan accounts enter the category of bad accounts. Information about per hectare outstanding of credit for over a period of ten years covering the period 1980-81 to 1990-91 brings out that in case of almost all states (except Rajasthan) the amount of per hectare outstanding of loan has increased sharply. In case of some states per hectare outstanding is more than per hectare availability of loan amount.

The proportion of agriculture credit to total bank deposits show the extent of funds made available for agriculture lending whereas the ratio of agriculture credit to total bank credit brings out spread of credit for the sector. The insignificance of agriculture credit for the period from 1981-2000. The data show proportion of agriculture credit to total bank credit has substantially declined for majority of the states and wherever it increased, the increase has not been sufficient over the period, except West Bengal only in the beginning. Agriculture credit to total bank deposit ratio for a state like West Bengal has been lowest among others with just 3.3, 4.8, 3.3 and 2.2 per cent whereas for states like Bihar and Uttar Pradesh it decelerated from 9.2 to 5.4 and 10.1 to 6.3 per cent during the period of 1981-2000. Proportionate change in agriculture credit to total bank credit and percentage change in agriculture credit as proportion to total bank deposits for over a period between 1981 and 2000 make it clear that in case of both the indices banks have undermined the significance of agriculture in their lending activity. Evidently it comes out from the progressive decline in ACBC and ACBD that the banks have diverted lending towards more profitable and secured sector than agriculture. This type of shift of credit will further consolidate the group of private traders and moneylenders in the rural areas.

During the post reforms period the number of branches of nationalized commercial banks in rural areas also declined progressively. As it comes out that in states like West Bengal, Uttar Pradesh and Bihar the agriculture lending has declined seems that more credit for other prominent areas is being made available at the cost of agriculture. In case of the states of Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra and Punjab which are more affected by farmers suicides the change in ACBC and ACBD has been continuous for the period of 1981 to 2000. The foregoing discussion on agriculture credit for the said period brings out that the sharp decline in institutional lending for the sector and thereby ignited the crisis as availing of credit from private moneylenders became costlier. As a result, during nineties, the country witnessed increasing number of suicides. The bankers' perceptions about risk involvement in agriculture lending might have forced them to adopt credit rationing for agriculture thereby progressive decline in the credit performance indices at the national level.

Looking at the prospects of profitability of farmers through comparison between the annual cultivation expenditure and the annual income from cultivation, the prevalence of crisis in rural countryside of India comes out vividly. Deducting the all India household average annual income from cultivation(Rs. 11628.00) from the annual household cultivation expenditure (Rs. 8791.00) the average household net income remains Rs. 2837 which is available for the family consumption and maintenance. In states like Andhra Pradesh, Haryana, Rajasthan and Tamil Nadu, the annual average net income is negative. And in states of Orissa, Uttar Pradesh and West Bengal the average annual net income from cultivation is less than Rs. 1000 per farm household. When calculated the farm household annual net balance comparing the annual net income and annual consumption expenditure, the picture become further worst. This clearly supports the observation that something is terrible in rural countryside of India. It means the cost of cultivation rises but the minimum support price mechanism has failed to give remunerative prices to the agriculture produce. Increased gap between income and expenditure forced farmers to borrow from private sources to fulfill this gap. Due to the inadequate institutional credit support farmers resorted to private moneylenders who charged heavy rates of interest. In all, these vagaries accumulate debt and it goes beyond the repaying capacity of farmers.

Among states, there were only few achievers in agricultural productivity. Productivity of Punjab worker was Rs. 35,000, this is 7.5 times that of Bihar. There was a decline in per worker productivity for non-agriculture in eight out of seventeen states. Per worker productivity for non-agricultural workers was high for all the states. In Maharashtra, productivity of non-agricultural worker was 11.71 times high than agricultural worker. This was higher than national average. It means the income inequalities were high in the state of Maharashtra. The high income group lived in a luxurious life whereas the farming community was begging for basic needs. The general price level increased and non-farmers groups have paid same price for the consumption. However, income of the farming community was not increased proportionate to non-agriculture group. Hence, farmers have to borrow the money for consumption purpose from the private sources at high rates of interest. The income inequalities were high in comparatively developed states as compared to under developed states. And these states were highly affected by farm suicides. The high ratio of agricultural and non-agricultural productivity is relatively more in industrial states like, Maharashtra, Gujarat and Karnataka indicates weak linkage between agricultural and non-agricultural sectors.

State wise analysis of indebtedness has shown that the incidence of indebtedness was high in states where the agriculture is more capital intensive. As well as, these states experienced more success of green revolution as compared to other states i.e. Punjab, Maharashtra, Karnataka, Haryana, Andhra Pradesh, Gujarat and Kerala. Andhra Pradesh has the 82 percent of indebted farm households followed by Tamil Nadu with 74.5 per cent. But, Tamil Nadu has less number of farm suicides despite incidence of indebtedness. The average outstanding debt of per farm household was high

in Punjab followed by Kerala, because the characteristics of the agriculture of these states is highly capital intensive as compared to other states. On the other hand, the incidence of indebtedness and outstanding debt per farm household was low in the states from central, eastern and north eastern forests, where agriculture is the way of livelihood and not a commercial one. And these states are mostly producing food-grains than cash crops. In all, the incidence and outstanding debt was high in the states that shifted their agriculture from food-grains to commercial crops, which needs high techniques as well as investment. But the present agricultural marketing did not give adequate returns to the farmers. As a result, the gap between income and expenditure has widened and farmers were forced to borrow money to fulfill the gap. Hence, the incidence of indebtedness and outstanding has been growing beyond the repaying capacity of farmer.

The share of institutional sources in cultivators' debt improved considerably after the nationalization of banks, from 32 per cent in 1972 to 66 percent in 1991. But, during the 1990s the period of financial liberalization, there was a loss of momentum of agriculture lending and share declined and resorted at 61 percent in 2002. The share of commercial banks has increased during the pre reforms period. After the introduction of new economic policy, commercial banks reduced credit flow to agriculture from 35.2 per cent to 26.3 percent, because, agricultural lending was no more profit making business. As well as, supply of credit from co-operatives was mere stagnant. As a result, the dependency of farmers on moneylenders increased substantially. Basically, co-operatives were meant for fulfilling the credit needs of small and marginal farmers. As the time passed, co-operatives were far away from their goal and pushed farmers into the trap of private money lending. The share of co-operatives in total agricultural lending was 30.2 percent in 2002 with increase of 0.66 percent over 1991. The lending from cooperatives never crossed 30 percent during throughout the period means 70 percent share was taken by the commercial banks and private money lending. Every year the government budget target announces the increment in the agriculture lending but is only a book adjustment and not in real terms. Hence, again private sources become an important and sustainable soure of credit to farming community and it becomes the matter of concern.

Co-operative credit societies were basically meant for the supply of credit to the agriculture in general and that small and marginal in particular. But, in fact this target is fulfilled only in the five states i.e. Maharashtra, Gujarat, Kerala, Haryana and Tamil Nadu. The share of co-operative in farmers suicides affected states was very low i.e. Karnataka - 16.9, Andhra Pradesh - 10.4 and in Punjab - 17.6 per cent. Only Maharashtra among suicides affected states has 48.5 per cent share of co-operatives in agricultural lending. The efficient mechanism traced out in Western Maharashtra region where the co-operative movement is deeply rooted and other regions of the state have not been that much successful in cooperative lending. And only big and politically influenced farmers are the beneficiaries of the co-operative credit whereas small and marginal farmers did not receive expected returns from it.

As well as, the share of Banks in total agricultural lending was not remarkable. The share of non institutional lending was high in Andhra Pradesh with 68.5 per cent, higher than of national average of 42.4 per cent. Looking at the national scenario of non-institutional sources, still 42.4 percent farmers depend on private sources on record and off the record figure can be more. Means 42.4 percent of farmers were out of the reach of institutional credit mechanism. And in recent survey of NSSO (2005) 41 percent of farmers are willing to leave the agriculture if they have other opportunity of employment available.

Source of financing and outstanding debt varied across the land size groups. The outstanding debt of the sub-marginal land holder (less than 0.40 hectares) was financed by non-institutional agencies. In most of the states more than 70 percent of their outstanding debt was from non institutional sources. In Andhra Pradesh and Rajasthan, non-institutional sources accounted for as high as 80 percent of their outstanding debt. In Kerala and Maharashtra, dependency of very sub-marginal landholding households on non-institutional sources was very much less. This could be attributed to the spread of commercial banks and co-operatives in the rural areas of these states. At all India level, still 42.3 per cent of the farmers are out of the reach of institutional credit mechanism. It means lots of efforts are needed to improve the institutional credit supply to agriculture sector. It can help to reduce the hold of the private moneylenders over the rural economy and farmers can freely do their activity.

A substantial proportion of cultivator households' debt was for productive purposes at all India level. However, debt for productive purposes as a per cent of total debt declined from 72 per cent in 1981 to 63 per cent in 2002. Similarly the share of debt incurred for farm business declined from 64 per cent in 1981to 53 percent in 2002. Within farm business expenditure, the share of capital expenditure declined from 45.3 percent to 34.3 percent. The increase in capital expenditure for non-farm business could not fully compensate the fall in farm business expenditure, which resulted in a fall in the share of overall productive expenditure between 1981 and 2002.

Farmers in India have perhaps reported willingness at first to have agriculture as a profession provided that the substitute way of livelihood is available mainly because that the cultivation is no more remunerative. Overall proportion of the negative desire is of 40.1 per cent with Uttaranchal, West Bengal, Tripura, Uttar Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Haryana and Andhra Pradesh leading the list. All the states from where farmers don't prefer agriculture is because it is not profitable to them due to increased cost of cultivation, stagnated productivity and mismatch between input and output prices.

The foregoing discussion on policy matters since the colonial period revealed that the agriculture and farming community of the country was at the marginal. During the colonial period, Britishers concentrated only on the crop which earned them maximum returns i.e. Cotton. Since then welfare of the farmers has not been the central point of any policy. It was expected from the independent India, that they provide an attention towards agriculture where the farmers' welfare is the core issue. But looking at the overall nature and performance of the policies (1951-2010) towards agriculture, that have failed to address the agriculture. Despite institutional reforms in agricultural credit and marketing, the state of agriculture remains unremmunarative. Some hopes were created by the Green Revolution during the mid sixties. But afterwards it showed the negative side of the same. The green revolution did not succeed due to the lack of inclusiveness. It concentrated only on few crops and states in the country. The situation further aggravated during the post reforms period in general and post WTO amendment in particular. Both the things i.e. economic reforms and WTO have long term negative impact on agriculture and farming community of the country. The large number of suicides by farmers in various states of the country has been the outcome of the negligence of the agriculture on policy front since independence. The incidences of farmers suicides became epidemic in some states of the country. The incidence of farm suicides started in 1986 and continuously increased during the subsequent decades of the 1990s and 2000s.

During the ten year period between 1997 and 2006 as many as 166304 farmers ended their lives through committing suicide. And this is not a good

sign for a country where 58.5 percent of the labour force still depends on agriculture for their livelihood and the sector which is the backbone of the economy. If we consider the 12 years period from 1995 to 2006 then the figure of 200000 (190735) would be an underestimation since a couple of major states like Tamil Nadu and Rajasthan and a number of smaller states like Pondicherry did not report any farm suicides for one or the other or both of these two years. During the field visits for the present study we observed that the police often adopted a rather strict and stringent definition of a farmer in identifying farm suicides. The title to land was taken as the criterion for identifying farmer and this often left out many genuine farmers from the count. For example, a tenant farmer who leased in land and hence did not have a title to the land could be denied the status of a farmer. The same happened when the title of the undivided land which was in the name of head of the family. The year 1998 in fact shows a sharp increase in the number of farm suicides with 18 percent jump from the previous year and the number remained more or less steady at around 16000 farm suicides per year over the next three year upto 2001. The year 2002 again saw a sharp increase close to 10 percent as compared to 2001 and the number of farm suicides remained around 18000 per year during the period after that. The average number of farm suicides per year in five year period 2002-2006 stood at 17,513 which is substantially higher than the average of 15747 for the previous five year period. There are certain regions in the country where the farm suicides are largely concentrated and where the problem has been a very sharp over this period with the farm suicides increasing at much faster rate, in comparison, both with farm suicides in the country and general suicides in these regions.

According to the official data, farmers suicides take place overwhelmingly by the male farmers. Considering the period of 1997-2006 as a whole, close to 85 per cent of all the farm suicides were by male farmers and every fifth male suicide in the country was a farmers suicides. Suicides in general, among the population as whole, were also largely concentrated among males, but the degree of concentration here was significantly lower than in case of farmers suicides. Male suicides in general population accounted nearly 62 percent of all suicides in the country. The number of male farmers suicides increased rapidly as compared to female during the above mentioned period. The reason of concentration of farm suicides among male may have to do with the possible undercounting of female farm suicides in the police records. It was noted that the criterion generally adopted in these records for identifying the farmer is title to land and since the title is generally in the name of male head of household it is very likely that a female farmer who committed suicides will not be recorded as a farmer suicide in these records. This is not the whole story; the head of the family have to carry all decisions of the family. Hence it points towards economic distress as a major motivating factor underlying large number of these suicides and the acute agrarian crisis in the country would be the reason of this distress. In all, the foregoing analysis of the macroeconomic policies towards agricultural in general and during the post reforms in particular revealed the changed nature of the policies that have the concording negative impact on Indian agriculture. It also has the positive correlation of significantly higher degree with the farmers suicides in India.

*श्री भैरों प्रसाद मिश्र **(बांदा) :** इस समय जो ओला वृष्टि हुयी व अतिवृष्टि हुई है वो लगातार मार्च एवं अप्रैल के महीने में कई बार हुई, उससे किसानों के हालात बहुत ही विषम हो गए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने दैवी आपदा को देखते हुए मुआवजा डेढ़ गुणा कर दिया तथा मानक को 50 औ से घटाकर 33 औ कर दिया। अतिवृष्टि को भी दैवी आपदा में शामिल किया। दैवी आपदा पर मृत्यु होने का मुआवजा डेढ़ लाख से बढ़ाकर 4 लाख रूपए करने का काम किया। घायलों तथा जानवरों के मुआवजा को बढ़ाने का काम किया। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अभी किसानों को सरकार से और राहत की उम्मीद है। मेरा अनुरोध है कि किसानों के कर्जे व ब्याज माफी की योजना सरकार घोषित कर किसानों को आत्म हत्या से रोकने की व्यवस्था करे। राज्य सरकारों को उनके बिजली के बिल को कम से कम 1 वर्ष के माफ कर किसानों को राहत प्रदान कराए। राज्य सरकारों को यह भी निर्देशित करना चाहिए कि गाँवों में और राजस्व कर्मी व कर्मचारी बनाकर प्लॉट टू प्लॉट के सर्वे गाँवों में यथाशीघ्र कराएँ। क्योंकि एक-एक लेखपाल के पास 8 से 10 गाँव है जहाँ पर वह 1 माह बीतने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं।

कृषि मंत्री **(श्री राधा मोहन सिंह) :** सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय करूणाकरण जी का आभारी हूं कि उन्होंने जिस दिन से चर्चा की, उसके बाद देश के अंदर किसानों पर संकट और

उसके समाधान के लिए लगातार हम लोग इस पर अपने विचार व्यक्त किए। हम सब लोगों ने ईमानदारी से किसान के संकट की चर्चा की। एक-दो लोगों की बात अलग है, राजनीति जिनका पीछा कभी छोड़ने वाली नहीं है। ...(व्यवधान) करूणाकरण जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं और करूणाकरण जी से भी ज्यादा मैं सम्माननीय राहुल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि बहुत दिनों के बाद विदेश से आप लौटे हैं, देश में पहुंचे हैं, इसलिए देश की जनता की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। ...(व्यवधान) आप मत बोलिए। ...(व्यवधान) अगर आपको बोलना है तो खड़े होकर बोलिए। ...(व्यवधान) जितने सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, हम उन सबके आभारी हैं। यह अवसर ऐसा होता है, जिसमें निर्दोष भाव से कृषि, किसान और उसके संकट पर जब हम चर्चा करेंगे तो आगे उसका भविष्य बनेगा। राजनीति करते हैं तो राजनीति भी उसमें आए, इसमें कोई बंधन नहीं हो सकता है। लेकिन जरा उदार मन से और सब लोग मिलकर यदि चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से समाधान की गति तेज होगी।

सबसे पहले हमें चिंता करनी है, चूंकि हम सरकार में आए हैं, तो सरकार में आने के बाद, यह मेरी राजनीतिक भाषा हो सकती है कि पुराने युग में सतयुग और द्वापर युग जब होता था तो उस समय जो पाप करता था, उसी को प्रायश्चित करना पड़ता था। लेकिन यह कलयुग है, इसमें पाप कोई करता है और प्रायश्चित किसी दूसरे को करना पड़ता है। मेरा विषय वह भी नहीं है। ...(व्यवधान) मेरा विषय वह नहीं है, मेरा विषय है कि जब हम सरकार में आए हैं ...(व्यवधान) वर्ष 2014-15 में सरकार में आते ही जो सूखे का संकट देश में आया, हम सब अवगत हैं और सब चिंतित थे, पूरा देश चिंतित था। टेलीविजन के लोग बैठे होंगे, भीषण अकाल पड़ेगा और वास्तव में पूरा सदन चिंतित था, पूरा देश चिंतित था, लेकिन मैं देश के किसानों को और राज्य सरकारों को भी बधाई दूंगा, कृषि अनुसंधान परिषद विश्वविद्यालयों को बधाई दूंगा कि सबने मिलकर 570 जिलों के लिए कन्टिजेन्सी प्लान बनाकर राज्यों को मुहैया कराया और राज्यों ने भी प्रिकॉशन लिए, सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की और किसानों ने भी परिश्रम किया और इसका परिणाम यह हुआ कि 12 फीसदी बारिश पाँच साल के औसतन कम हुई, फिर भी सिर्फ दो प्रतिशत बुआई में कमी आई और तीन प्रतिशत उत्पादन में कमी आई।

यह कमी चिन्ता का विषय जरूर है, लेकिन जहाँ अकाल पड़ेगा, 12 फीसदी कम बारिश हो तो यह परिश्रम का परिणाम हुआ और हम सब लोगों ने मिलकर इसकी चिन्ता की। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सरकार की बात कर रहा हूँ, बल्कि कांग्रेस की कर्नाटक में सरकार थी या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है या कहीं बीजेपी की सरकार है, सभी सरकारें, कृषि के अधिकारियों और किसानों की मेहनत का वह परिणाम हुआ। आज जो स्थिति आई है, हम सबको पता है कि जब आपदा आती है, जब गाँव या पंचायत में आपदा आती है, तो उस पंचायत में भी अफसर होते हैं। राज्यों में अलग-अलग नाम होते होंगे, हमारे यहाँ पंचायत सचिव है, कहीं तहसीलदार होगा, फिर अंचल, तहसील और ब्लॉक लेवल पर भी अधिकारी होते हैं। जब आपदा आती है, ओलावृष्टि हुई, बाढ़ आ गई, तो दूसरे ही दिन कोई भी राज्य सरकार का मुख्यमंत्री है, मुख्य सचिव है, वह कलेक्टर को फोन करता है। फिर कलैक्टर नीचे के अधिकारी को फोन करते हैं और फोन पर उसकी जानकारी लेते हैं तो उस समय लोग अंदाज पर ही वह जानकारी देते हैं। राज्यों में केन्द्र सरकार के अधिकारी बात करते हैं, वे अंदाज पर टेलीफोनिक जानकारी देते हैं कि क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा है। यदि हमारे मंत्रालय ने कहा है कि 180 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों का नुकसान हुआ है तो किसी राज्य में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार होगी और किसी राज्य में बी.जे.पी. पार्टी की सरकार होगी, इसमें राजनीति नहीं है। अधिकारियों ने यह बताया है कि मेरे यहां यह एक अनुमान है। उसके बाद दूसरा आकलन बताया गया कि 106 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों का नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के बारे में पहले जो आकलन बताया गया था, उसमें काफी कमी थी। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई तो उस दिन राजस्थान, जिसने बहुत ज्यादा नुकसान के बारे में बताया था, उसने कम बताया। देश में 80 लाख हेक्टेयर भूमि में फसलों के नुकसान के बारे में बताया। तीन राज्यों से टीम लौट कर आयी है तो मैं कह सकता हूं कि 93.81 लाख हेक्टेयर भूमि आपदा से प्रभावित हुयी है, लेकिन अभी तीन राज्यों में टीम गयी है। कुछ व्यवस्था को समझना ही पड़ेगा, उनके समझे बिना न अपनी बातों को हम जनता के सामने रख सकते हैं और न ही सदन में रख सकते हैं। तीन राज्यों से टीम लौट कर आयी है और अभी अन्य राज्यों में टीम नहीं गयी है क्योंकि उनका स्मार-पत्र नहीं आया है। जब सबके रिपोर्ट्स सब्मिट हो जाते हैं तो अंतिम आकलन होता है, पूरे प्रभावित क्षेत्रों का असली आंकड़ा आता है। फिर, उनमें यह देखा जाता है कि कितने 50 प्रतिशत प्रभावित हुए हैं? अब उत्तर प्रदेश से टीम लौट कर आयी है, वहां का आकलन दिया गया है। उन्होंने वह आकलन 50 प्रतिशत के आधार पर दिया है और वहां से 33 प्रतिशत के आधार पर कागज आना बाकी है। कल रात में नीतिश कुमार जी ने फोन किया था कि हमने अपना पत्र बना कर भेज दिया है लेकिन अब 33 प्रतिशत के आधार पर आंकड़ा बना कर भेजना पड़ेगा। मैं इसकी चर्चा निर्दोष भाव से कर रहा हूं। राहुल जी ने जो कहा है उस पर मेरी आपत्ति नहीं है। शायद उन्हे पूरी प्रक्रिया की जानकारी ठीक ढंग से नहीं दी गयी है, इसलिए उन्होंने सीधे हमें कटघरे में खड़ा कर दिया, कृषि मंत्रालय को कटघरे में खड़ा कर दिया। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : माननीय प्रधानमंत्री जी ने 106 लाख हेक्टेयर के बारे में कहा था, क्या उनका वक्तव्य गलत था? ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : सारी रामायण पढ़ने के बाद अगर कोई कहे कि सीता किसकी पत्नी है, अभी यह सवाल खड़ा करेंगे तो यह बड़ा मुश्किल है।...(व्यवधान) हमें कोई सारी रामायण के बारे में बता दे और फिर उसके बाद वह कहे कि सीता किसकी पत्नी है तो यह संकट का विषय हो जायेगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या माननीय प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य गलत था? 26 मार्च, 2015 को स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने 106 लाख हेक्टेयर के बारे में कहा है। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : राज्यों से जो जानकारी प्राप्त होती है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : मंत्री जी आप मेरे प्रश्न का उत्तर "हां" या "न" में दें। क्या उनका वक्तव्य गलत था?...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं पुनः उस प्रक्रिया को बताकर समय नहीं लेना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आपको या एक-दो लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग इसको समझ गये होंगे। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: कोई इसे नहीं समझा है।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : तीन-चार लोग इसे नहीं समझे हैं।...(व्यवधान) मैं पुनः उन्हें समझाता हूं। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 26 मार्च, 2015 को जो घोषणा हुई थी, क्या वह सही था या गलत था?...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं आपको फिर वह समझाता हूं...(व्यवधान) जो अनुमान माननीय प्रधानमंत्री जी बताये थे और आज भी राज्यों की रिपोर्ट्स के आधार पर मैं जो बता रहा हूं, ये सारे अनुमान सही हैं और अंतिम अनुमान जो आयेंगे, वे अंतिम अनुमान सही होंगे।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या सही है?...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : यह क्रिकेट का मैदान नहीं है। ...(व्यवधान) सारे अनुमान जो राज्य बताते हैं, उस समय वही सही होगा।...(व्यवधान) मैं आज फिर कह रहा हूं कि राज्यों के मुताबिक 93 लाख हेक्टेयर, आज की तारीख में जो राज्य ने बताया है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: 181 लाख हेक्टेयर, 106 लाख हेक्टेयर, 80 लाख हेक्टेयर या 93 लाख हेक्टेयर, कौन-सा सही नम्बर है?...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : आप हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आप बताइए हम मानने के लिए तैयार हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Please address the Chair.

...(*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि राज्यों द्वारा जो अनुमानित आंकड़े आते हैं, जिस दिन जो आंकड़ा आएगा, हम प्रैस और सदन को ही बताएंगे, गलत नहीं बता सकते।...(व्यवधान) मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जब सब जगह से टीम लौटकर आएगी, तब वास्तविक अनुमान होगा। यह वास्तविक अनुमान नहीं है।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा आंकड़ा सही है, यह इस देश की जनता जानना चाहती है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: It is enough. Please take your seat. You are a senior Member.

...(*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : आप क्यों बोलते हैं, मैं इनके पिता जी के समय में भी लोक सभा में था और इनके साथ भी बहस कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है। यह लोकतंत्र है, बोलने दीजिए। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: If you interfere, nothing will go on record. Let him finish. You raise afterwards whatever you want.

...(*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदय, हम मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि कौन सा आंकड़ा सही है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am standing. Please take your seat first. Let the Minister reply. If at all anything you want to raise, you raise it afterwards. I will allow it.

...(*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदय, कौन सा आंकड़ा सही है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Please take your seat. Let the Minister complete his reply. Afterwards you raise whatever you want. I will allow you. Do not comment.

...(*Interruptions*)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, देश की जनता जानना चाहती है।...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Do you want the reply or not? Afterwards I will allow you.

...(*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं माननीय सदस्यों से विनती करना चाहूंगा, भले ही सिंधिया जी, राहुल जी को न पता हो लेकिन बाकी सदस्यों को पता होगा।...(व्यवधान) आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: हम सबको नहीं पता कि आंकड़ा कौन सा है।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : कल अक्षय तृतिया है और देश के किसान खेत में अपना हल, बैल ले जाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, कल से खरीफ की बुवाई शुरू होगी, हल के फाल पर बीज डालेंगे और पूजा करके खरीफ की फसल की बुवाई शुरू करेंगे। ऐसे अवसर की पूर्व संध्या में हम सब बैठे हैं। मेरी विनती होगी कि हम किसान के हितों की चर्चा जरूर करें, उसे राजनीतिक मोड़ नहीं दें। महोदय, वेंकैया जी ने बताया कि किस प्रकार किसानों के राहत में हमने बढ़ोतरी की है। इस सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है कि अभी तक एक हेक्टेयर फसल का जो नुकसान होता था, उसी को हम राहत देते थे, 50 प्रतिशत तक तो देते ही थे, लेकिन एक हेक्टेयर, ढाई एकड़ तक जिसका नुकसान होता था, उसी को देते थे। प्रधान मंत्री जी ने कहा है और वित्त मंत्रालय ने सर्कुलर जारी किया है। दो हेक्टेयर तक यानि पांच एकड़ तक जिसका नुकसान हुआ है उसको भी हम राहत देंगे, इससे बड़ी किसान की चिंता और क्या हो सकती है? जो लोग किसान के हितों की चर्चा करते हैं, अतिवृष्टि राष्ट्रीय आपदा के अंदर पहले नहीं था, आज से नहीं बल्कि दस वर्षों से नहीं है, इस सदन में भी सब लोग इसके लिए मांग करते रहे हैं कि अतिवृष्टि को राष्ट्रीय आपदा में शामिल किया जाए, अतिवृष्टि से भी नुकसान होता है। पहले भी राज्य सरकारों से कहा गया कि एसडीआरएफ की जितनी राशि है जिसमें 75 प्रतिशत केन्द्र द्वारा दिया जाता है उसमें से 10 प्रतिशत राशि को अतिवृष्टि को राष्ट्रीय आपदा मानकर उसे एनडीआरएफ के नार्म के मुताबिक मदद की जाए।

महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि एसडीआरएफ के तहत सरकार ने 2014-15 में 5,629 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को दिए थे, हमने एनडीआरएफ से भी 3460 करोड़ रुपये राज्यों को दिया। हरेक जिले के अंदर आकस्मिक निधि होती है, राज्यों के पास आकस्मिक निधि होता है, राज्यों के पास एएसडीआरएफ फंड होता है, जिस दिन यानि 16 तारीख को जो आपदा आई थी, हमारी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से बात हुई, कई मुख्यमंत्रियों से भी बात हुई। हमने उन्हें पत्र जारी किया कि आप एएसडीआरएफ से सहायता शुरू कीजिए। अगर कहीं एएसडीआरएफ नहीं है तो कन्टेजेंसी फंड से सहायता दीजिए। मैं हिमाचल प्रदेश गया था वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि उन्होंने राहत शुरू कर दी है। महाराष्ट्र की सरकार के तीन-तीन मंत्री हमारे साथ गए थे। उस समय एनडीआरएफ का नार्म था कि यदि हॉर्टीकल्चर के अंदर नुकसान होता है तो प्रति एकड़ 12,000 रुपये दिया जाएगा, वहां की सरकार ने अपने मद से 13,000 रुपये निकालर 25,000-25,000 रुपये देने का काम किया है। एनडीआरएफ से पैसा तब जाता है जब उसका पूरा आकलन होता है, जब ज्ञापन आता है, जब टीम की रिपोर्ट आती है। हमारे मित्र बता रहे थे कि यहां की टीम महाराष्ट्र में सभी जगहों पर नहीं घूमा। जब यहां से कोई टीम जाती है तो उसे राज्य सरकार जिन जगहों पर घुमाएगी हम उतना ही घुमते हैं उससे ज्यादा घुमने की स्थिति नहीं है। राज्य सरकार ही ठहराने और घुमाने की व्यवस्था करती है महाराष्ट्र में जब कभी भी आपदा आई है उसे 500-600 करोड़ रुपये से ज्यादा नहीं मिला है। पहली बार महाराष्ट्र को 2,000 करोड़ रुपये मिला है। एनडीआरएफ के नार्म, एसटीआरएफ और कंटीजेंसी फंड से राज्य सरकार पैसा देती है। जितनी राशि पिछली बार एएसटीआरएफ को मिली थी उससे लगभग दोगुने राशि का आबंटन राज्यों को दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2014-15 से दोगुना आबंटन हो रहा है। राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश का मांग पत्र आ गया है। जून के बाद 2015-16 का पैसा अग्रिम में जाना चाहिए था। उत्तर प्रदेश की राशि आज गई है। जिस व्यवस्था के तहत आपने 10 वर्षों तक क्या किया, यह मैं देश को बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप फिर खड़े हो जाएंगे। उसी व्यवस्था के के तहत हम जो करना चाह रहे हैं वह हम कर रहे हैं। आप जैसा चाहते थे वैसे करते थे, हम जैसे चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। आपने अपनी बुद्धि को अप्लाई किया। हमारी बुद्धि थी कि अतिवृष्टि को भी आपदा की श्रेणी में लाया जाए। हमारी बुद्धि थी कि 33 प्रतिशत नुकसान हो, तो उसे भी दिया जाये। आप हिमांचल की विजुअल रिकार्डिंग देखिये। आपके मुख्य मंत्री, कृषि मंत्री और रेवन्यू मिनिस्टर बैठे हैं और रेवन्यू मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं कि पहली बार आपदा के बाद कोई मंत्री आया है, नहीं तो दस दिन के बाद कोई अधिकारी आता था। ...(व्यवधान) आप हिमाचल का रिकार्ड देखिये। उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी, गडकरी जी और बलियान जी गये हैं। अरूण जेटली जी, गिरिराज सिंह जी राजस्थान के गांव में घूमे हैं। मैं आपदा के ठीक दूसरे दिन महाराष्ट्र के बारह गांवों में गया था। मैं यह नहीं कहता कि आपको भी यह करना चाहिए था। ...(व्यवधान)

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Where is the Prime Minister?

...(*Interruptions*)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको भी करना चाहिए था, लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने इस काम को किया है। ...(व्यवधान) हमने यह सब जो किया है, उसकी आपके खाते में भले ही गिनती न हो, लेकिन देश के किसान के खाते में हमारी गिनती हो रही है। ...(व्यवधान)

महोदय, किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात कई मित्रों ने उठायी। देश में जो आत्महत्याएं होती हैं, उसका रिकार्ड नैशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो से आता है। कृषि कारणों से कितने लोगों ने

आत्महत्या की, यह राज्य सरकार पत्र देकर कृषि मंत्रालय को बताती है। मेरे पास उत्तर प्रदेश सरकार समेत सभी राज्य सरकारों का पत्र है, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। वर्ष 2015 में कृषि कारणों से हुई आत्महत्या की सूचना अभी तक आठ राज्यों--पंजाब, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरल, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र से प्राप्त हुई है। यह चिट्ठी इसमें है। महाराष्ट्र को छोड़कर उपरोक्त सभी राज्यों ने यह बताया है कि अकस्मात् वर्षा एवं ओलावृष्टि से हुई फसलों के नुकसान के कारण किसी किसान द्वारा आत्महत्या की सूचना नहीं मिली। मैं इसे सही नहीं मानता। ...(व्यवधान) लेकिन ये पत्र राज्य सरकारों के हैं। ...(व्यवधान) मैं बता रहा हूं कि वहां के एग्रीकल्चर सैक्रेट्री का पत्र है। ...(व्यवधान) आप पूरा सुनिये। ...(व्यवधान) महाराष्ट्र द्वारा यह सूचना दी गयी है कि अकस्मात् वर्षा एवं ओलावृष्टि के कारण आत्महत्या की संख्या तीन है। अभी हमने जो पत्र दिया था कि ...(व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: क्या आपने हरियाणा में नहीं देखा है? ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : उत्तर प्रदेश में आप नहीं देख रहे हैं कि अखबार में रोज इस तरह के मामले आ रहे हैं। मेरा विषय वह नहीं है। ...(व्यवधान)

श्री राजीव सातव (हिंगोली) : मेरे क्षेत्र में तीन आत्महत्याएं हुई हैं। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मेरा विषय यह है कि राज्य सरकारों ने पत्र भेजे हैं। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि मंत्री जी आज कह रहे हैं कि देश में किसान ने आत्महत्या नहीं की है। क्या आप यह कह रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं इससे सहमत नहीं हूं। ...(व्यवधान) मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने लिखकर भेजा है। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या पूरे देश में कृषि से संबंधित आत्महत्याएं नहीं हुई हैं? ...(व्यवधान) क्या मंत्री जी यह कह रहे हैं? क्या इस सदन के पटल पर कह रहे हैं कि इस देश में किसान ने कृषि से संबंधित आत्महत्या नहीं की है?..(व्यवधान) क्या यह कह रहे हैं कि पिछले दस महीने में किसान ने कृषि से संबंधित आत्महत्या नहीं की है? ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी सरकार ने लिखकर भेजा है। ...(व्यवधान) आपके सहयोगियों की सरकार ने यह पत्र लिखकर दिया है। ...(व्यवधान)

महोदय, आत्महत्या चाहे जिस भी कारण से हो, वह अच्छी बात नहीं है। आत्महत्या देश और हम सबके लिए शर्मनाक विषय है। अब आप देखिये कि वर्ष 2012 में 1046 ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Minister.

...(*Interruptions*)â€¦ *

श्री राधा मोहन सिंह : आप खुद ही अपनी डफली बजाकर सुनते रहिए। ...(व्यवधान) किसान ने आत्महत्या की है। ...(व्यवधान) जो रिपोर्ट आयी है, वह गलत है। ...(व्यवधान) राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दी है, वह विश्वसनीय नहीं लग रही है। ...(व्यवधान) जो पत्र आपकी सरकार, मेरी सरकार या किसी ने भी भेजा है, वह बहुत विश्वसनीय नहीं लग रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। ...(व्यवधान)

महोदय, मैं इनको यह भी बताना चाहता हूं कि आत्महत्या यदि एक भी व्यक्ति करता है, तो वह चिंता का विषय है। अगर हम वर्ष 2013 की बात करें, तो देश में 11 हजार के आसपास कुछ लोगों ने आत्महत्याएं कीं। राज्य सरकारों ने जो रिपोर्ट दी, उसके मुताबिक 870 किसानों ने कृषि कारणों से आत्महत्याएं कीं, यानी दस प्रतिशत। सौ में से दस किसान कृषि कारणों से आत्महत्याएं करते हैं और 90 किसान दूसरे कारणों से आत्महत्याएं करते हैं, चाहे कारण जो भी हों, लेकिन यह चिंता का विषय है। हम सबको मिलकर राज्यों के अंदर ...(व्यवधान) ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहिए कि...(व्यवधान) अब मैं महाराष्ट्र पर आ रहा हूं। वर्ष 2012 में जो 1046 आत्महत्याएं हुईं, उसमें 732 कृषि कारणों से हुईं। 2013 में 889 जो हुईं, उसमें 665 हुईं और 2014 में 1397 जो आत्महत्याएं हुईं, उसमें 1207 हुईं। अभी महाराष्ट्र के अंदर इतनी आत्महत्याएं क्यों हो रही हैं जबकि पिछले दस वर्षों के अंदर, 2003 में विदर्भ विकास के लिए 761 करोड़, 2005 में किसान आत्महत्याएं रोकने के लिए 1075 करोड़ रुपये गये।...(व्यवधान) धैर्य के साथ सुनते रहिए। ...(व्यवधान) यह सब आप लोगों ने दिया है। मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूं।

श्री राजीव सातव: यह सब आपकी सरकार आने के बाद हुआ है।...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : उपाध्यक्ष जी, 3750 करोड़ रुपये इसी साल मराठवाड़ा में विकास के लिए गये एवं सूबे की तिजोरी से 3500 करोड़ रुपये गये। मैं पूरा पढ़ूंगा कि इतने सारे रुपये गये और परिणाम क्या हुआ? ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। ...(व्यवधान) इतना पैसा जाने के बाद सिंचाई के लिए हालत क्या है कि अभी इस देश के अंदर 48 प्रतिशत एवरेज सिंचित भूमि है तो महाराष्ट्र में 16 प्रतिशत सिंचित भूमि है। पूरे देश में 48.3 प्रतिशत है तो महाराष्ट्र में 16.8 प्रतिशत है और पंजाब में 98.1 प्रतिशत है। 60-70 हजार करोड़ रुपया पिछले दस वर्षों में महाराष्ट्र में सिंचाई के लिए गया और वहां 16 प्रतिशत सिंचित भूमि है।...(व्यवधान) इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान यह होता है कि जो उत्पादकता है, वह पूरे देश की 1.9 टन पर हेक्टेअर है और पंजाब की 4.2 प्रतिशत है तो महाराष्ट्र कहां है? सम्माननीय पूर्व मुख्य मंत्री यहां बैठे हैं। सब आपके कार्य काल के बीच की ही बात है।...(व्यवधान) इसलिए आप चिंता करिए। ऐसे राज्यों में यदि इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएं होती हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ...(व्यवधान) इसके लिए आज की व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है। ...(व्यवधान) हम सबको मिल-बैठकर इसकी चिंता करनी चाहिए।...(व्यवधान)

यह राजनीति का विषय नहीं है। यह जो नई सरकार आई है, यदि यही रवैया रहेगा तो उसकी भी वही दशा होगी जो आप लोगों की हुई है। इसीलिए आपको आत्मचिंतन करने की जरूरत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा हो रही थी।...(व्यवधान) समर्थन मूल्य पर अब मैं आता हूं। यदि हम दो तीन अवसर को भी छोड़ दें तो पिछले दस वर्षों में जो आयोग की ओर से आया, उसको हमने किया। अब दस साल में आपने बताया कि इतना बढ़ा दिया और दस महीने का भी बोलते हैं। यह आंकड़ा गले के नीचे नहीं जाने वाला है।...(व्यवधान) देखिए, मुझे अभी दस महीना हुआ है और आपको दस साल हो गये हैं। ...(व्यवधान) आप दस साल को जोड़कर बताते हैं कि हमने इतना बढ़ाया। ...(व्यवधान)

माननीय राहुल जी ने थोक भाव में बताया कि पांच सौ, सात सौ प्रतिशत बढ़ा है, मैं इस बात पर कह रहा हूं। ऋण प्रवाह की बात हमारे सम्माननीय नेताओं ने कही है और यह चर्चा माननीय हुड्डा जी ने भी की थी। मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार इस समय पहले से ही सात प्रतिशत पर तीन लाख रुपए की मूल धनराशि तक फसल ऋण मुहैया करवा रही है। इसके अलावा ऐसे किसानों को प्रोत्साहन के रूप में तीन प्रतिशत ब्याज छूट उपलब्ध करवा रही है, जो पहले से चल रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह काम मैंने किया है। जो किसान अपने फसल ऋण का समय पर भुगतान कर देते हैं, ऐसे किसानों को चार प्रतिशत की छूट दी जाती है और एक लाख रुपए तक के ऋण में उन्हें जमानत देने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोगों को यह जानकर निश्चित रूप से प्रसन्नता होनी चाहिए कि ऋण प्रवाह कम नहीं हो रहा है बल्कि तेज हो रहा है। वर्ष 2010, 2011 और 2012 में कुल पांच लाख सत्ताईस लाख करोड़ रुपया कृषि ऋण दिया गया जो वर्ष 2014 में बढ़ कर सात लाख ग्यारह लाख छह सौ इक्कीस करोड़ रुपए हो गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह हमने किया है और यह बता रहा हूं कि कृषि ऋण ज्यादा किया गया है। वर्ष 2014-2015 में यह आठ लाख करोड़ रुपए किया है। वर्ष 2015-2016 में यह बढ़कर साढ़े आठ लाख करोड़ रुपए रखा गया है।

हमारे केरल के एक माननीय सदस्य ने एक बात कही है कि वहां कोई सर्कुलर जारी हुआ है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं वर्ष 2015-2016 में तेरह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है लेकिन जो जून तक का है और सर्कुलर में कोई निर्देश जून से पहले जारी होना होगा लेकिन अगले बजट में तेरह हजार करोड़ रुपया इस काम के लिए रखा गया है, जो कि आपको लगता है कि बंद हो गया है लेकिन वह जून तक है। इसके बाद आगे का निर्देश फिर जाएगा। अगर आपने पूरा बजट पढ़ लिया होता तो आपको कन्फ्यूजन न होता क्योंकि जून के बाद नया निर्देश जारी होना है।

कृषि बीमा पर बहुत चर्चा हुई है। वास्तव में जो एनडीआरएफ है यह रिलीफ है। यह मुआवजा नहीं है। हमें मुआवजा की चिंता करनी चाहिए। देश में मुआवजे की चिंता राजनाथ सिंह जी ने जरूर की थी, जब अटल जी की सरकार थी। तब कृषि आमदनी बीमा योजना शुरू की गई थी। हम उस समय लोकसभा में थे। अंतिम समय का वह मामला था, जैसे अंतिम समय में भूमि सुधार कानून आप लोगों का था, उसी प्रकार से वह मामला था। बाद में वह मामला बढ़ा नहीं लेकिन 15-20 जिलों को उसमें जोड़ लिया गया था। चूंकि पुरानी सरकार ने वह काम किया था तो जैसा कि होता है नई सरकार

के समय वह योजना जहां की तहां रह गई। हमारे देश में कृषि बीमा योजना है। एक बीमा कम्पनी इंडियन इंश्योरेंस थी। वह किसानों का बीमा करती थी। उसमें कम्पनी का अंश बहुत कम होता था। किसान भी कुछ अंश देते थे और राज्य सरकार तथा भारत सरकार का भी अंश होता था लेकिन जो नुकसान होता था, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पचास-पचास प्रतिशत देती थी। जो मोडिफाइड बीमा योजना आई, इसमें कई भारतीय कम्पनियां भी आई और विदेशी कम्पनी भी आई। इसमें प्रीमियम की राशि बढ़ा दी गई। उसे लागू तो कर दिया गया, लेकिन जब हम सरकार में आए तो सबसे पहले हरियाणा की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा कि नई मोडिफाइड बीमा योजना को हम लागू नहीं कर सकते हैं। हमने छूट दी क्योंकि कुछ राज्य इस योजना को लागू कर चुके थे। मौसम आधारित बीमा योजना भी चल रही थी। लेकिन हमने घोषणा की कि अगले वित्तीय वर्ष में हम एक नयी आमदनी बीमा योजना लाएंगे। इस बीमा में उत्पादन में जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करते हैं और उसे भी ठीक से नहीं करते हैं। मैं जब कृषि मंत्री बना, तो जलगांव के दो सौ किसान आये, उनका नुकसान वर्ष 2012 में हुआ और वहाँ जो उसने यंत्र लगाया, उसकी मैपिंग पूरी नहीं हुई ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, it is not allowed. Mr. Minister, please address the Chair.

...(व्यवधान)

**श्री राधा मोहन सिंह :** वैसी परिस्थिति में हमने घोषणा की, नयी फसल आमदनी बीमा योजना की। ...(व्यवधान) इसके लिए मैं इस बात को विस्तार से इसलिए बता रहा हूँ ...(व्यवधान) कि हमारे माननीय सदस्य के ध्यान में भी यह बात आ जाए। मैं इसे राजनीतिक भाव से नहीं बता रहा हूँ। ...(व्यवधान) तो चार बैठकें हमने लीं और सभी राज्यों के सम्मानीय मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और उसके बाद मुख्यमंत्रियों ने भी अपने सुझाव दिये। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: I am not allowing this.

...(व्यवधान)

**श्री राधा मोहन सिंह :** अंतिम दिन 31 मार्च के पहले सभी राज्यों के कृषि मंत्री और कृषि सचिव बैठे थे।

HON. DEPUTY SPEAKER: No, it is not allowed.

Mr. Minister, you please address the Chair.

...(व्यवधान)

**श्री राधा मोहन सिंह :** सभी कृषि मंत्रियों ने एक मत से जो सुझाव दिये। ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: This is not a Question Hour. Please take your seat.

...(व्यवधान)

**श्री राधा मोहन सिंह :** उसमें राज्य सरकारों ने कहा, उन्होंने सुझाव दिया और सबकी सहमति बन गयी। ...(व्यवधान) उसे हम इस वित्तीय वर्ष में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने वाले हैं। ...(व्यवधान) लेकिन उत्तराखण्ड के कृषि मंत्री ने एक प्रस्ताव लाया। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE : Sir, please give me one minute. ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Let him finish. He is going to finish. I will allow you to raise question.

...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: He can yield to me for one minute. I am requesting you. ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: All right.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE:Sir, we are patiently hearing. हम तो इतनी गंभीरता से उनकी बात सुन रहे हैं, कभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। लेकिन मैं यह चाहता था कि वे बताएंगे कि वे कंपेनसेशन कितना देंगे। एक तो आंकड़ों में इतना फर्क है, प्राईम मिनिस्टर का एक आंकड़ा है, कृषि मंत्री का एक आंकड़ा है, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स से आये आंकड़े अलग हैं, ऐसे तीन-चार आंकड़ें उनके पास हैं। किस आंकड़े के अनुसार उन्होंने कंपेनसेशन तय किया है और प्रति एकड़ कितना सहायता देने वाले हैं। क्या नैशनल कलैमिटी के तहत फंड से वे कुछ देने वाले हैं? उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी बात को मैं मानता हूँ। ...(व्यवधान) इसके पहले भी जब श्री राजनाथ सिंह जी थे, तो एक प्रश्न चला था फुड फॉर वर्क के संबंध में, यह आपको मालूम है। ...(व्यवधान) इसे दूसरी चीजों में भी लेकर गये। ...(व्यवधान) लेकिन वे उस विषय पर डिबेट कर रहे हैं कि दस साल पहले क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, यू.पी. में क्या हुआ? ...(व्यवधान) मैं यह चाहता हूं कि आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

**श्री राधा मोहन सिंह :** मैं सब बताऊँगा। आप धैर्य रखिए। ...(व्यवधान)

**<u>17.49 hrs</u>**

*Shri Mallikarjun Kharge, Shri Jai Prakash Narayan Yadav, Shri Dharmendra Yadav, Shri Kaushalendra Kumar, Shri Tariq Anwar and some other hon. Members then left the House.*

महोदय, नई कृषि बीमा योजना हम इसी वर्ष पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करने वाले हैं। राज्यों ने भी सर्वसम्मति से तय किया था और उत्तराखण्ड के कृषि मंत्री ने प्रस्ताव किया था कि राज्य भी अपनी बीमा योजना लाएं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि राज्य सरकारें यह तय करती हैं कि कौन सी बीमा कंपनी उनके राज्य में किसानों का बीमा करेगी। फिर राज्य सरकार तय करती है कि उस राज्य में किन-किन फसलों का बीमा होगा। राज्य सरकार ही यह भी तय करती है कि जांच का लेवल क्या होगा - ब्लॉक होगा, तहसील होगा या पंचायत हो। मैं मध्य प्रदेश सरकार को बधाई देता हूं कि वह पंचायत लेवल पर मैपिंग करती है जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं किया जाता है जिससे किसानों का नुकसान होता है। हम राज्य सरकारों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि नीचे की इकाई तक मैपिंग करिए। हमको इसमें जो अंश देना होता है, वह देने के लिए हम तैयार हैं। बीमा का वर्ष 2014-15 का अंश हमने दे दिया है, सभी राज्यों के लिए दिया है और पंचवर्षीय योजना में इसके लिए 73,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। इस प्रकार से किसी भी राज्य में हमारा वर्ष 2014-15 का अंश बाकी नहीं है। वर्ष 2015-16 के लिए जब सर्वे हो जाएगा, हम राज्य सरकारों और बीमा कंपनियों को लगातार कह रहे हैं कि जल्दी सर्वे कीजिए और हमें बताएं कि हमें कितना अंश देना है, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं, भले हमें खजाना खाली मिला हो। जो एक लाख 76 हजार करोड़ रुपये का कोयला घोटाले हुआ था, केवल 20 कोयला खदानों को नीलाम करके दो लाख करोड़ रुपये हमारे खजाने में प्रधानमंत्री जी ने जमा करा दिया है। हम कमी नहीं होने देंगे।

हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसान पर जो संकट है, उससे किसान की रक्षा कैसे होगी। जब उसके खेतों में अधिक उत्पादन होगा और अधिक उत्पादन तब होगा, जब उसके खेत को पानी मिलेगा।

महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के किसानों को बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद 60 वर्षों तक जिन लोगों ने देश पर शासन किया, उन्होंने किसान के खेत की चिन्ता नहीं की। यह हिन्दुस्तान है, इटली नहीं है, यहां 125 करोड़ देशवासी हैं। जब तक हर खेत को पानी नहीं मिलेगा, तब तक हर हाथ को काम नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर खेत को पानी मिले। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के मद में मेरे मंत्रालय में कभी 20 करोड़ रुपये, कभी 50 करोड़ रुपये, 100 करोड़ रुपये या कभी 150 करोड़ दिए जाते थे। पहली बार प्रधानमंत्री जी ने पूरी सिंचाई योजना के लिए 5,300 करोड़ रुपये दिए हैं, सिर्फ कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जाने वाली छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं, जो लघु और सीमांत किसान हैं, उनके लिए 1,800 करोड़ रुपये दिए हैं। हम उसके लिए परिपत्र जारी कर रहे हैं, उसके लिए पैसे का आवंटन कर रहे हैं और जब तक हर खेत तक पहुचाएंगे, तब तक हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार सुख-चैन से बैठने वाली नहीं है। लेकिन इसमें राज्य सरकार कैसी है, उसकी क्षमता कैसी है, उससे हमारे परिणाम का प्रकटीकरण होगा। जो लोग किसानों की बात करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आजादी के 67 वर्ष बाद भी क्या हमने देश की मिट्टी की चिन्ता की? हमने मिट्टी को सिर्फ मिट्टी समझा। पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश की मिट्टी को अपनी मां के रूप में समझने का देश की जनता के सामने आह्वान किया है कि भारत में जो मिट्टी है, वह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, वह भारत माता है, उसकी गोद में हम खेलते हैं, पलते हैं, फलते हैं, फूलते हैं और हमारी मां बीमार है। जब तक किसी की मां बीमार रहेगी, उसके बेटे सुख-चैन से नहीं रह सकते हैं। इसलिए देश के किसानों को यदि सम्पन्न बनाना है तो हमें अपनी धरती माता को स्वस्थ बनाना होगा। यह योजना देश में वर्ष 2007-08 में शुरू हुई - स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब हमारी सरकार आई, उस समय तक इस पर 110 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। यह पैसा किस काम पर खर्च किया गया? उसी 110 करोड़ रुपये में लेबोरेटरी बनाना, कहीं-कहीं कुछ स्वाइल हेल्थ कार्ड बनाना और कहीं-कहीं पर जैविक खेती के लिए कुछ पैसे खर्च करना आदि काम किए गए। लेकिन जब हम सरकार में आए तो प्रधान मंत्री जी ने उसके लिए 86 करोड़ रुपए का आबंटन किया और कहा कि पता लगाओ कि देश के अंदर कितने किसान हैं, कितनी जोत हैं। हमने छः महीने तक मेहनत की और जो आंकड़े आए, उसके अनुसार 14 करोड़ ऐसे किसान हैं, जिनके पास जमीन है, जोत है, उन्हें सॉइल हैल्थ कार्ड दिए गए। एक कार्ड की छपाई पर कितना पैसा लगेगा, मिट्टी खोदने में कितना पैसा लगेगा, प्रयोगशाला स्थापित करने में कितना पैसा लगेगा, जब हमारे मंत्रालय ने बताया कि 567 करोड़ रुपए लगेंगे तो प्रधान मंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया और 568 करोड़ रुपए का आबंटन किया, जो हमें प्राप्त हो चुका है। जब तक हमारी धरती माता स्वस्थ नहीं होगी, तब तक किसान स्वस्थ नहीं होगा, सम्पन्न नहीं होगा। सन् 2017 के अंत तक हम हिन्दुस्तान के सभी किसानों को सॉइल हैल्थ कार्ड मुहैया कराने वाले हैं।

आज़ादी के इतने सालों बाद तक हिन्दुस्तान के अंदर मार्केट सिस्टम यानि मंडी का कानून है। दिल्ली में हमेशा प्याज और आलू के दाम बढ़ते थे। मंडी कानून राज्य सरकारें बनाती हैं, लेकिन दिल्ली में तब संयोग से राष्ट्रपति शासन लागू था। मंडी कानून से फल और सब्जियों को अलग किया गया। उसके बाद 40 रुपए से ऊपर भाव नहीं गया। हमने राज्य सरकारों से आग्रह किया कि इसे मंडी कानून से मुक्त करो, किसान को आज़ाद करो। उसे जहां मार्केट मिले, वह वहां जाए, जिससे उसे अच्छा दाम मिल सके। लगभग 12-13 राज्यों ने इसे मानना स्वीकार किया और अपने-अपने राज्यों में लागू किया। लेकिन प्रधान मंत्री जी उसी वर्ष एग्रीटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 100 करोड़ रुपया दिया। क्योंकि राज्यों में जो मार्केट है, उसे ई-कनेक्टिविटी चाहिए। इस दिशा में हमारा काम शुरू हुआ और इस वर्ष राष्ट्रीय मंडी यानि पूरे देश का जो मार्केट है, वह किसानों के लिए खुला रहे। इसके अंतर्गत प्रावधान है कि किसानों और खरीददारों को पूरे राज्य में व्यापार करने के लिए किसी भी लाइसेंस से मुक्ति दिलाना तथा एक राज्य से दूसरे राज्य के खरीददार से जोड़ना, कृषि उपज विपणन में आने वाली अनेकानेक बाधाओं तथा समस्याओं को दूर कर देश के हर कोने में बाधारहित आंतरिक कृषि व्यापार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देना, किसान को अपनी उपज अपनी पसंद के स्थान पर खरीददार को बेचने के लिए वास्तव में अधिकार देना, राज्य के अंदर तथा राज्यों के बीच मार्केट के विखंडन को समाप्त करना, राष्ट्रीय एकीकृत मंडी के विकास के लिए मंत्रालय काम कर रहा है। जब हमारी सरकार को शासन सम्भालने का एक साल पूरा होगा, तो हम एक ऐसा सॉफ्टवेयर लॉंच करने वाले हैं जो पूरे देश की मार्केट को जोड़ सके।

बिहार से आए हुए विपक्ष के सांसद चले गए। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां मार्केट ही नहीं है, मार्केट नाम की कोई चिड़िया नहीं है। हमारी तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और समझाया जा रहा है, चार-चार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन बिहार इसके लिए रास्ते पर नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत से राज्यों ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है, ताकि किसानों को देश में खुला मार्केट मिले और सब किसानों को उचित मूल्य मिले।

इसी प्रकार से नेता जी हरित क्रांति की चर्चा कर रहे थे। जब नेता जी हरित क्रांति की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे चिंता हो रही थी कि उन्हें पता नहीं कि पहली हरित क्रांति कब हुई थी। जब पहली हरित क्रांति शुरू हुई तो अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग हुआ। उत्पाद में वृद्धि तो हुई, लेकिन उसके दुष्परिणाम एक-दो साल बाद आने लगे। मैं करुणाकरन जी को बधाई दूंगा। इन्होंने जो भाषण दिया, बड़ी ईमानदारी से भाषण दिया था। अपने भाषण में इन्होंने साफ-साफ कहा था कि पिछले तीन-चार सालों से देश में जो नीतियां चली हैं, उनके दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अब इनके पूरे भाषण को, हो सकता है अनजाने में कहा हो, आपके दल के लोग हो सकता है आप पर नाराज हों। लेकिन आपने ईमानदारी से अपनी बात कही थी कि देश में जो नीतियां बनती हैं, उनके परिणाम अच्छे या बुरे सामने आते हैं। इसलिए अंधाधुंध रासायनिक प्रयोग, संतुलित प्रयोग नहीं, इसीलिए सॉइल हैल्थ कार्ड की व्यवस्था जहां हम देश में कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक खेती के बारे में भी मैं कहना चाहूंगा।

जैविक खेती की हालत क्या थी कि उसके लिए मिशन मोड में भारत सरकार की ओर से एक पैसा किसी राज्य को नहीं जाता था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना या अन्य योजनाओं में से पैसा निकाल-निकाल कर राज्य सरकारें उसी को जोड़ कर करती थीं। पिछले साल प्रधान मंत्री जी ने कहा, जो अन्य योजनाओं में कम्पोनेंट थे, उनके लिए 100 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 300 रुपए प्रति हेक्टेयर किया और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 100 करोड़ रुपया किया। हमने वित्त मंत्रालय में उसी समय निवेदन किया था कि परम्परागत कृषि विकास योजना, जिसमें जैविक खेती को महत्व मिले।

**<u>18.00 hrs</u>**

प्रधानमंत्री जी की जानकारी में जब यह बात आयी तो अब तीन सौ करोड़ रुपये इसके लिए दिया गया है।

HON. DEPUTY SPEAKER: Mr. Minister, just a minute. Now, it is 6 o'clock. If the House agrees, then we may extend the time of the House till the Minister's reply is over, and we will also take up the '*Zero Hour*' afterwards.

...(*Interruptions*)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, Mr. Karunakaran has the right to speak. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: No, we will extend it till the reply is over. I think that the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS : Yes, Sir.

श्री राधा मोहन सिंह **: हिन्दुस्तान के कम से कम एक लाख गांवों में किसानों के पास अधिकतम पचास एकड़ जमीन है और मिनिमम एक एकड़ से ज्यादा की जोत किसी की नहीं है। हमने स्टेटवाइज़ उनके लिए तीन वर्षों के लिए कुछ राशि तय की है। पूरे देश में हमारी यह योजना प्रारम्भ होने वाली है। इसी तरह से राज्यों को बजट आवंटन किया जा रहा है। हमारे प्रमुख नेता जो बैठे हैं, वह जब चर्चा करेंगे तो जरूर कहेंगे कि इस बार केन्द्रीय योजनाओं में राशि कम की जा रही है। इसलिए मैं आज बताना चाहता हूं कि योजना परिव्यय में सभी मंत्रालयों के द्वारा जो कमी की गयी है, इसके बदले में डेढ़ लाख करोड़ रुपया राज्यों के पास अलग से जा रहा है। इससे केन्द्र प्रायोजित योजनाओं या राज्य की योजनाओं में फण्ड की कमी को दूर किया जाएगा। पहले से दुगुना राशि उनके पास जा रही है।**

**जिस प्रकार से हम योजनाएं बनाते हैं, उसी प्रकार से राज्य सरकारें भी अपनी योजनाएं बनाती हैं और कई राज्य सरकारें अपनी योजनाओं में कृषि को महत्व देती हैं। मैंने महाराष्ट्र के बारे में बताया कि हमने जब 12 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर किया तो उन्होंने 13 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर देने की बात कही। इस प्रकार से किसानों को 25 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जा रहा है।**

आरबीआई ने इस आपदा के बाद बैंकों को निर्देश दिया है कि हर राज्य में बैंक किसानों के कर्ज का पुनर्गठन करें। इसमें लोन की अवधि एक साल के लिए बढ़ जाएगी और अगली फसल के लिए ऋण भी किसानों को देने की बात कही गयी है। लेकिन हरियाणा सरकार ने इसमें दुगुना देने का काम किया है। हम यदि तीन-चार प्रतिशत पर किसानों को ऋण दे रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार इसमें अपनी राशि डालती है और वहां किसानों को ज़ीरो प्रतिशत पर ऋण दिया जा रहा है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। एक माननीय सदस्य स्मार्ट विलेज की बात कह रहे थे। स्मार्ट विलेज की जो लोग बात कर रहे थे, हम उनसे जरूर यह पूछना चाहेंगे कि भूमि अधिगृहण कानून के तहत भारत सरकार और निजी कम्पनियां जिन्हें कोल ब्लॉक आवंटित किए गए हों, वे बिना सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन के ही हजारों हेक्टेयर जमीन अधिगृहित कर सकते हैं। ऐसा वर्ष 2000 में किया गया था। लेकिन यदि राज्य सरकार को एक एकड़ जमीन स्कूल, अस्पताल या सड़क के लिए अधिगृहित करनी है तो इस पेचीदे सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

राहुल जी खेती की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्होंने इस बिल को ठीक से पढ़ा नहीं है। हमने राहुल जी के प्रति आभार व्यक्त किया है, लेकिन मैं उस समय निवेदन करना भूल गया और मैं आपके माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि एक बार वे हमारे इस संशोधित बिल का अध्ययन अवश्य करें, तब किसान की बात करें। छोटी और नई सिंचाई परियोजनाओं के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन से भी हम लोगों को गुजरना पड़ेगा तो फिर गांव किस प्रकार से मजबूत बनेगा? राज्य में सबसे ज्यादा भूमि अधिगृहण सिंचाई योजनाओं के लिए होता है। यदि हिन्दुस्तान में सौ एकड़ जमीन है तो केवल 0.5 या 0.8 एकड़ जमीन का ही अधिगृहण होता है और उसमें से भी 80 प्रतिशत भूमि का अधिगृहण सिंचाई के लिए होता है और बीस प्रतिशत ही बाकी कामों के लिए होता है। यह कैसे किसान नेता हैं? मेरी विनती है कि एक बार वे इस बिल को जरूर पढ़ें। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्य तब होता है जब हरियाणा को कोई नेता या उत्तर प्रदेश का कोई नेता यह बोलता है कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उस समय देश भर के किसान जरूर हंसते होंगे कि जिन लोगों ने हरियाणा के किसानों को लूटा है, उनकी जमीन को कौड़ियों के भाव लेकर लोग अरबपति और खरबपति बने हुए हैं। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के नोएडा, गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव पर लूटा। खेमका की आवाज पूरे देश में पहुंची थी और आज यादव सिंह के करतूत भी पूरे देश और दुनिया को पता है तो जिन लोगों ने किसानों को लूटने का काम किया है, वैसे लोग जब आज किसानों के हमदर्द होने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से गांवों में बैठा हुआ किसान इसे मजाक के रूप में लेता है। श्री वैंकैय्या नायडू बता रहे थे, हम पूछना चाहते हैं कि जिस सरकार ने प्रधान मंत्री जनधन योजना शुरू की, वह क्या कारपोरेट घरानों के लिए है? जो प्रधान मंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू हुई, क्या वह कारपोरेट घरानों के लिए शुरू हुई है? जो प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू हुई है, क्या यह कारपोरेट घरानों के लिए शुरू हुई है? आज तक किसी सरकार ने वैसे लोगों की चिंता नहीं की, जो नौकरियों में नहीं हैं, जो किसी सेवा में नहीं हैं, जो किसी सेवा में हैं, सर्विस में हैं, नौकरी में हैं, उन्हें तो पेंशन मिलती है, लेकिन जो बेचारा गरीब किसान है, गांवों में रहता है, जब वह साठ वर्ष की आयु का होता है तो उसे पेंशन नहीं मिलती है। अटल पेंशन योजना क्या देश के कारपोरेट घरानों के लिए शुरू हुई है? लेकिन यह जो बोल रहे हैं, उनका चश्मा रंगीन है, कारपोरेट वाला जो चश्मा आंख के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसके चश्मे का जैसा रंग होता है, उसे पूरी दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। पिछले दस वर्षों तक हिंदुस्तान में चाहे कोल ब्लाक का मामला हो, चाहे टू जी स्पैक्ट्रम का मामला हो, सब कारपोरेट के हाथों में गिरवी रखा गया था। पूरा देश ठहरा हुआ था, देश के लोग निराश हो चुके थे, देश में घपलों और घोटालों की बाढ़ आ गई थी। गांव का किसान सिर पर हाथ रखकर सोच रहा था कि इस देश का क्या होगा और किसान की बात छोड़िये, शहर में पढ़े-लिखे लोग, सरकारी कार्यालयों में बैठे बड़े-बड़े अधिकारी सब निराश हो चुके थे, एक तरह से देश में ज़ड़ता आ गई थी। लेकिन श्री नरेन्द्र भाई मोदी के प्रधान मंत्री बनने के बाद देश की जड़ता दूर हुई है, देश में गति आई है। जहां आज विदेशों में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है तो गांवों के गरीब और किसान भी आज मानने लगे हैं कि नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है। प्रधान मंत्री पद की शपथ लेने के बाद हमारे प्रधान मंत्री जी ने डंके की चोट पर कहा था और इसी सैंट्रल हाल में कहा था, पहले दिन ही प्रवेश करते समय कहा था कि हमारी सरकार देश के गरीबों और किसानों के लिए समर्पित है और सिर्फ कहा ही नहीं था, उन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से दिखा दिया है। आज गांवों के गरीब किसान मानने लगे हैं कि आजादी के 67 वर्षों के बाद यदि किसी ने हमारी चिंता की तो नरेन्द्र भाई मोदी ने चिंता की है और इसलिए चिंता की कि अभी तक जो प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री बनते हैं, वे गरीबी के विषय में बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन यह देश का पहला प्रधान मंत्री मिला है, जिसने गरीबी को भोगा है और इसीलिए गरीबों को समर्पित यह सरकार निश्चित रूप से नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में किसानों के साथ खड़ी है और किसान का भविष्य हम निश्चित रूप से संवारेंगे, उसके संकट की घड़ी में हम उसके साथ हैं। कृषि राज्य सरकार का विषय होता है, उसी के माध्यम से हमें अपनी योजनाओं को लागू करना पड़ता है। मैं देख रहा हूं कि कई राज्य सरकारें हमारी योजनाओं को तेजी से लागू कर रही हैं, वहीं कुछ राज्य सरकारें, जिन्हें लूटने की आदत है, भारत सरकार के द्वारा किसानों की मदद के लिए जो फंड जा रहा है, उसे त्वरित रूप से किसानों तक पहुंचाने में अभी अवरोध डाल रही हैं, वैसी राज्य सरकारों को निश्चित रूप से वहां की जनता सबक सिखायेगी और वैसी सरकार लायेगी, जो सरकार किसानों की सेवा कर सके। वैसी सरकारें राज्यों में निश्चित रूप से स्थापित होंगी। हम इस देश के किसानों के भविष्य को निश्चित रूप से बदलेंगे। इसी विश्वास के साथ जिन सदस्यों ने इस पूरी कार्रवाई में भाग लिया है और मार्गदर्शन किया है और उसमें कई बातें जो आई हैं, हो सकता है कि आज तक हमने उस दिशा में कदम नहीं उठायें होंगे, हम निश्चित रूप से उन पर गंभीरता से विचार करेगें और हम सबका साथ लेकर सबका विकास करना चाहते हैं, इसी प्रतिबद्धता के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, we listened to the elaborate reply given by the hon. Agriculture Minister, and also that of the Parliamentary Affairs Minister. When I initiated the discussion, I never thought that it would become such an important issue. We have discussed this issue for two days. After the reply, there are some issues yet to be addressed. During the debate, each and every Member from the Treasury Benches has agreed that there is a very serious situation in the agricultural sector. I think the Minister has also agreed with that. It is mainly because the input prices are going up without any control. It is either the price of seeds or of fertilizer or of any other thing is going up. At the same time, the return is very less. Here, I would seek a clarification from the hon. Minister. Hon. Minister has said that they have raised the MSP two or three times. At the same time, the inflation rate for the last ten years is very high. I do not want to go to the other political issues. I do not go to the developmental or non-developmental issues. But, I would like to know whether the Government is willing to raise the remunerative price especially considering these facts that we have now.

The second clarification that I need is this. The Swaminathan Committee has given the Report. The two main suggestions of the Swaminathan Committee Report is about the interest rate. It has mentioned that the interest rate should be fixed at four per cent. I can say that in Kerala, many of the agricultural cooperative banks are giving zero interest rate especially on paddy loans and not other loans. He has also suggested that if it is possible, the interest rate should be minimal to one per cent or the zero per cent. It is also with regard to the remunerative prices. It may be true that it is at the time of the last Government or this Government. We are talking about the issues of the farmers. With regard to these two issues, what is the approach of the Government?

The Minister has rightly pointed out that there are some policy issues. I would like to say that in Kerala the price of rubber three years back was Rs.350 for one kilogram. Now it is Rs.80 to Rs.90. It is about the policy issue. So, it is true that it was the fault of the earlier Government. All the Members from Kerala in this House, irrespective of the political parties have raised the issue. I would like to know whether the Government is ready to give any relief to the rubber farmers. I would like to ask on these three issues.

About the norms of the natural calamities, I would like to say that some of the items are not included like the sea-shore and the land slide. These are not included. ...(*Interruptions*)

HON. DEPUTY SPEAKER: I do not want you to make one more speech.

...(*Interruptions*)

SHRI P. KARUNAKARAN: That also has to be revised.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I have a single point for clarification from the hon. Minister. He has given a very elaborate answer. But one thing was missing. I would like to get an answer from him so that the House will be educated. पशुधन हमारी कृषि की एक प्रमुख व्यवस्था है। India's animal husbandry in respective States gives support to the farming community. पिछले 40-50 सालों से जो पशुधन हमारी संपदा थी, वह संकुचित होता जा रहा है। जो इंडेजिनस ब्रीड गुजरात का है, जो इंडेजिनस ब्रीड आंध्र प्रदेश का अंगोल का आवस है, जो इंडेजिनस ब्रीड हमारे ओडिशा के सुजैनपुर की काउज हैं, जो इंडेजिनस ब्रीड हमारे बफैलो या कैटल है, उसके ऊपर जो गवेषणा हो रही है, उसके ऊपर हमारे देश में क्या क्रियान्वयन हो रहा है? हाल ही में जो व्यवस्था आपने कर रखी है, उसके बारे में अगर आप नहीं कहेंगे तो एग्रीकल्चर की जो सिचुएशन हमारे देश में है, वह पूरी नहीं होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपको इसके बारे में बताना चाहिए।

HON. DEPUTY SPEAKER: You just ask the question. I do not want another debate.

DR. BOORA NARSAIAH GOUD (BHONGIR): I will ask only a question. Recently, I had an opportunity to tour the rain-affected area along with the Minister of State for Agriculture Shri Mohanbhai Kundariya and Shri Venkaiah Naidu. The specific request from the farmer is regarding the universal crop insurance. Whenever they are taking the loans from either the commercial bank or from the cooperative bank, they are cutting the premium. But they are not paying the claim whenever the crop is damaged stating that fifty per cent of the crop in the entire Mandal has to be damaged. This is very obnoxious. It will not help the farmers. On one side, they are cutting the premium and on the other, they are refusing to pay the claim.

Secondly, there is a distress sale because they have to sell the wet grains and the buyer takes it just at 50 per cent of the rate. Our Minister of State is also present. Their request is that you should give 40 or 50 or 60 per cent of the loan on that crop so that they can sell it at a convenient price. These are the two points I wish to make. These two Ministers were there. They said they would seriously think over these issues. I would request the hon. Minister to respond on this.

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot allow everybody. I will allow one Member from each party. This is not a debate. Discussion under Rule 193 is over. As a special case I am allowing this.

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (आनंदपुर साहिब) : माननीय मंत्री जी ने जो विस्तार में रिपोर्ट दी है, उसने बहुत सी शंकाओं को दूर किया है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं दो क्लैरिफिकेशन पूछना चाहता हूँ। बारिशों के कारण जो फसलों का नुकसान हुआ, उसकी फिज़िकल वेरिफिकेशन जो आई, असैसमैंट हुई, उसको मुआवज़ा देने की बात हुई, मुआवज़ा डयोढ़ा कर दिया, वह अच्छी बात की और बधाई की बात है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपके पास रिपोर्ट भी आ गई होगी कि जो उत्पादकता है, बहुत कम है, आधी रह गई है। उस पर सरकार क्या सोच रही है, उसको कंपनसेट करने के लिए क्या कोई बोनस देने की बात है? हमारी पंजाब सरकार ने 300 रुपये क्विंटल पीछे मांगा है। क्या सरकार देने के लिए तैयार है या नहीं? दूसरा, गेहूँ की और दूसरी फसलों की तो असैसमैंट हो जाती है। लेकिन सब्ज़ियाँ जो होती हैं, जैसे आलू है, तो आलू पर 10 हज़ार रुपये प्रति एकड़ तो खाद ही डलती है, 10 हजार रुपये का बीज पड़ता है। तो उसको भी कंपनसेशन उसी में दिया जाए तो अच्छी बात नहीं होगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आपने केन्द्रीय टीमों के गठन की बात की है। वे बहुत सारे प्रदेशों में गई हैं और बहुत अच्छी बात है। शायद यह पहली बार हुआ है। क्या आपने पंजाब के लिए किसी टीम का गठन किया है? अगर किया है तो वह कब वहाँ जाएगी?

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत से ऐसे खेत हैं जिनका स्वामित्व किसान के पास है लेकिन वह बटाई पर दूसरे को देते हैं। तो जब मुआवज़ा मिल रहा है तो जिसकी ओनरशिप है, उस ज़मीन के स्वामी को मिल रहा है और बटाईदार और बोने वाला, जिस किसान ने खाद और बीज डाला है, उसको इसलिए, कि ज़मीन उसके नाम नहीं है और वह बटाई पर खेती कर रहा है, क्या इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी कुछ उत्तर देंगे कि जिसने वास्तविक रूप से ज़मीन पर खेती की है, उसको पैसा मिलेगा?

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : मैं कृषि मंत्री जी का अभिनन्दन करता हूँ कि वे बहुत गंभीरता से किसानों की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं खास तौर से उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आजकल बेमौसमी बारिश का नुकसान फल उत्पादन करने वाले किसानों को हुआ और उनके लिए आपने बहुत अच्छा किया और कर रहे हैं। लेकिन जो मत्स्य खेती करने वाले मछुआरे हैं, बेमौसमी बरसात आने से इन मछुआरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इनके लिए आज तक कोई प्रावधान नहीं किए गए हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करता हूँ कि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप ध्यान दें और बड़ी संख्या में जो मछुआरे हैं, उनको भी दिलासा दें।

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्टेटमैंट दिया है एनडीआरफ और एसडीआरएफ के बारे में, वह तो टैम्पोरेरी रिलीफ है, मुआवज़ा नहीं है। किसानों द्वारा आत्महत्या कांग्रेस की नीतियों के कारण हुई, यह सही बात है और पूरा देश इसको जानता है। लेकिन मेरा प्रश्न है कि to save the farmers and improve the agricultural sector, will this Government declare any long-term or short-term policy under which the seed, fertilizer, MSP, insurance, etc., will all be covered?

श्री भगवंत मान (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से एक बात की जानकारी लेना चाहता हूँ। यह हर साल होता है कि कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा से प्रभावित होते हैं और ऐसे ही मुआवज़े का ऐलान किया जाता है। क्या कुछ ऐसा लंबी अवधि के लिए कृषि मंत्रालय का प्लान है कि जो खेती पर 100 प्रतिशत निर्भरता है, उसको कम करके कुछ सहायक धंधों में उनको ट्रेनिंग दी जाए, जैसे पहले सूअर पालन था या मुर्गी पालन था, अब वह बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। जब उनकी 100 परसेंट निर्भरता खेती पर रहती है तो एक छोटी सी बारिश भी उसको खुदकुशी के

लिए मजबूर कर देती है। क्या सरकार कुछ ऐसा कर रही है कि किसान की खेती से आत्मनिर्भरता कम की जा सके और किसी और सहायक धंधे में उसे लगाया जा सके?

HON. DEPUTY SPEAKER: This would be the last Member, I cannot allow any more. I cannot open one more debate on this now. This is the last question. I cannot allow one more debate.

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि महाराष्ट्र का आपने उल्लेख किया है कि वहां 16 प्रतिशत के आसपास कुल भूमि सिंचित है। झारखण्ड में उससे भी कम पांच प्रतिशत ही सिंचित भूमि है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपके माध्यम से वहां के लिए कुछ सिंचाई योजनाएं स्वीकृत करायें।

श्री राधा मोहन सिंह: सुनील जी ने जो कहा, उदाहरण हमने दिया और यह भी बताया कि प्रधानमंत्री सिंचाई योजना को राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राज्य की मशीनरी की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र की दुर्दशा हम देख चुके हैं, उससे सबक लेते हुए राज्य में आपकी सरकार बन गई है, उसको जो भी यहां से योजना जाये, पैसा जाये, उसका ठीक से सदुपयोग कराइये, यही मैं कहना चाहूंगा।

जो मछली की बात आई, एन.डी.आर.एफ. के जो नोर्म्स बदले हैं, इसमें हमने मुर्गीपालन, मछलीपालन और पशुपालन, इन तीनों में जो कुछ सहायता मिलती थी, जैसे दुधारू पशुओं एवं जो दूध नहीं देते हों, ऐसे पशु का यदि नुकसान होता है या मुर्गियों में पर मुर्गी उसकी डैथ होने पर जो राशि थी, उसको डेढ़ गुना किया है, उसका पूरा चार्ट है। इसी प्रकार से मछुआरे की नाव नष्ट हुई या जाल नष्ट हुआ तो उसके लिए भी हमने उसमें डेढ़ गुना व्यवस्था की है। फिर कटाव यदि कहीं बाढ़ से होता है या बाढ़ का पानी निकलने के बाद साल्ट जमा होता है या भू-स्खलन होता है तो इन सारी मदों में जो पहले नोर्म था, उसको हमने डेढ़ गुना बढ़ाया है, नाव पर भी और जाल पर भी यही व्यवस्था है।

अभी जो माननीय करुणाकरण जी का सवाल था, यह अच्छा किया कि उन्होंने मुझे स्मरण कराया। एम.एस.पी. पर तो हमारे वेंकैया जी ने विस्तार से बताया है कि एम.एस.पी. स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक हो, मुझे याद है, उस समय हम लोक सभा में थे, पहले यह कमेटी बनी तो उसके अध्यक्ष सोमपाल जी बने थे, बाद में फिर स्वामीनाथन जी बने। उसकी जो रिपोर्ट आई, उसके आधार पर किसान नीति तय हुई। उस किसान नीति में जो आयोग की सिफारिशें थीं, उनमें से दस बातों को नहीं माना गया था। उसके बाद जो दस साल आप रहे हैं, आपने भी मेहनत की होगी, हमें अभी आये हुए दस महीने हुए हैं, हम इस पर प्रयास करेंगे, ऐसा हमारे वेंकैया जी ने बताया है।

रबड़ का जहां तक सवाल है, इसके दाम घटे हैं और वाणिज्य मंत्रालय से इस सम्बन्ध में बातचीत करके इस दिशा में क्या हो सकता है, हम बात करेंगे। इसमें इसका ज्यादा एक्सपोर्ट भी होता है न, तो कुछ प्रोत्साहन मिले या क्या हो, इस पर वाणिज्य मंत्रालय से हम लोग बात करेंगे।

उस दिन आपके दो विषय बड़े महत्वपूर्ण थे। एक विषय तो यह था कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी ने जो वहां पत्र दे दिया है कि बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है, इसमें जयपुर हाईकोर्ट की जोधपुर बैंच ने एक निर्णय दिया कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज़ जितनी हैं तो जो उसके मूल मैम्बर्स हैं, उनसे तो लें, लेकिन नये-नये मैम्बर्स बनाकर उनका शेयर लेते हैं और भाग जाते हैं तो उसने कुछ आदेश किया। उसी आधार पर आर.बी.आई. ने सभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटी पब्लिक तथा नोमिनल सदस्यों से डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकती हैं, ऐसा निर्देश जारी किया गया था।

दूसरा उस दिन एक विषय था कि यह जो कुडानाड नम भूमि का कोई पैकेज भारत सरकार से मिला था, यह 1840 करोड़ रुपये का 2008 में था, हम लोगों की सरकार आने के दो साल पहले उसका समय समाप्त हो गया। केरल भी जब हम लोग गये थे तो मुख्यमंत्री ने इडुक्की जिले में या कहां पर था, लेकिन यह सवाल उस समय मुख्यमंत्री जी ने भी उठाया था, लेकिन हम लोगों के आने के दो साल पहले ही उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। डॉक्टर इलाज करता है, जब किसी रोगी में सांस भी रहती है, लेकिन डैड डिक्लेयर हो गया, दफना दिया गया, उसके बाद डॉक्टर भी उसका कुछ नहीं कर सकता है।

महोदय, मान साहब ने जो सवाल उठाया है, वह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह जो खेती है, जिसमें हम फसल उगाते हैं। इसमें हमें अल्टरनेटिव काम मिलना चाहिए। अल्टरनेटिव क्या है? यदि गांवों के अंदर नेशनल हाईवे नहीं होगा और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कें नहीं बनेंगी तो गांव में दुकानें नहीं खुल सकती हैं। लोग मुर्गी पालन नहीं कर सकते। इसलिए गांवों के अंदर अच्छी सड़क जाए, जिससे लोगों को अल्टरनेटिव काम मिल सके और देहातों में भी उद्योग-धंधे खड़े हो सकें। यदि आपने वास्तव में यह सवाल अपने मन से पूछा है तो आप कल से उस आंदोलन में मत जाइए। यदि भूमि सुधार कानून नहीं बना तो फिर गांव के अंदर सड़क, अस्पताल, स्कूल नहीं होंगे। फिर लोग न ही मुर्गी पालन कर सकेंगे, न ही गौशाला खोल सकेंगे और न ही वहां से दूध मिल सकेगा। यदि वह साईकिल पर टमाटर लादेगा और गांव में उबड़-खाबड़ रास्ते से जाएगा तो बाजार जाते-जाते उसके 25औ टमाटर खराब हो जाएंगे। लेकिन यदि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधीन बनने वाली सड़क पर वह टमाटर ले जाएगा तो उसके टमाटर सुरक्षित रहेंगे और वह कम समय में भी पहुंच जाएगा।

इसी प्रकार से, कहीं से बंटाईदारों की समस्या की बात आयी है। जो पुरानी व्यवस्था है, उसमें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन, पहली बार हमारी सरकार बनी है तो भूमिहीन मज़दूरों के पांच लाख समूह बन रहे हैं। जनवरी तक ढाई लाख समूह बन चुके हैं। भूमि सुधार बिल के संबंध में इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की जो बात आ रही है तो हम जहां भी ज़मीन लेंगे, तो उस ज़मीन पर जो मज़दूर काम करता है, उसको भी नौकरी देने की व्यवस्था हमने उसमें की है।

पशुपालन एक बहुत अच्छा विषय है क्योंकि खेती का मेरूदण्ड है पशु। जलवायु परिवर्तन पर मेरा बोलना बाकी रह गया था। इस सदन में मैं जिन्हें सबसे विद्वान और समझदार सदस्य मानता हूं, उनका जो सवाल आया है, उसने निश्चित रूप से हमारे लिए एक बहुत ही उपयुक्त अवसर प्रदान किया है। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तो ब्रिटिश दूध का पावडर मिलता था कि बच्चों का हेल्थ ठीक रहे। हम सभी को पता है कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधान मंत्री थे, तब हिन्दुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश बना। अब देश में, दुनिया में संकर नस्ल, विदेशी नस्ल के पशु मिलने शुरू हो गए। लेकिन आज से सात-आठ साल पहले यह बात आने लगी कि यह जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वर्ष 2020 तक यदि क्लाइमेट एक डिग्री भी बढ़ गया तो यह संकर और विदेशी नस्लों की गायों और भैंसों की संख्या में निश्चित रूप से तेजी से ह्रास होगा। आप देख रहे होंगे कि जो विदेशी या संकर नस्ल की गायें हैं, उनकी प्रजनन क्षमता अब पांच से घट कर तीन बार हो गयी है और उनमें तरह-तरह की बीमारियां हो रही हैं। दुनिया के कई देशों ने अपने-अपने देश में हमारे हिन्दुस्तान से करीब 20-21 नस्ल की गायों को अपने देश ले गए और वहां की गायों का नस्ल सुधार किया। अभी हम ब्राजील गए थे। न्यूज़ीलैण्ड में हम और हमारे माननीय सदस्य दोनों साथ ही थे। देशी नस्लों के लिए हर देश में नेशनल ब्रीडिंग सेन्टर है, जो उन देशों में पशुओं की देशी नस्लें सुधारने का काम करता है। जब हम सरकार में आए थे तो देश में राज्यों के अंदर 170-180 ब्रीडिंग सेन्टर थे। उनमें 98औ ब्रीडिंग सेन्टर, जो विदेशी और संकर नस्ल की गायें हैं, उनके सुधार में लगे हुए थे। प्रधान मंत्री जी ने इसकी चिंता की और कहा कि जो देशी नस्ल की गायें हैं, जब तक उनकी नस्ल सुधार नहीं करेंगे, तब तक आगे आने वाला जो दूध का संकट होगा, उस चुनौती को हम लोग स्वीकार नहीं कर पाएंगे। हमें पांच सौ करोड़ रूपए मिले थे। चार महीने बीत चुके थे, तो जो पांच सौ करोड़ हमें मिले थे, हमने यह किया कि वर्ष 2017 तक हम देश के अंदर ब्रीडिंग सेंटर्स राज्यों के माध्यम से बनायेंगे, जिसमें सिर्फ देसी नस्ल के गायों के संवर्धन की बात होगी। मुझे खुशी है कि पहले साल हमने तय किया था कि डेढ़ सौ करोड़ रूपए खर्च करेंगे, क्योंकि वह तीन साल का मामला था। 368 करोड़ रूपए के प्रोजेक्ट राज्यों ने दिए और पहले साल में हमने उसे सैंक्शन किया और बड़ी संख्या में अब राज्यों के अंदर ब्रीडिंग सेंटर्स हैं, जहां देसी नस्लों पर काम शुरू हो गया है। फिर प्रधानमंत्री जी ने 50 करोड़ रूपया दिया कि हर देश के अन्दर नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर है तो हिन्दुस्तान में क्यों नहीं, तो हमने घोषणा की कि हिन्दुस्तान में भी एक बनेगा और 50 करोड़ रूपया दे दिया। हमने कहा कि दो बनेंगे, दो नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर बनेंगे और इसके लिए हर राज्यों से प्रस्ताव मंगाए। जो यहाँ के उस विभाग के अधिकारी थे, कुछ वैज्ञानिकों ने जाकर राज्यों के अन्दर अध्ययन किया कि किस राज्य को हम यह दें जिसके अन्दर ऐसी मशीनरी हो तो एक राज्य निकला आंध्र प्रदेश मिला और दूसरा राज्य मध्य प्रदेश मिला, जहाँ की सरकार इस दिशा में पहले से ही तेजी से काम करती है। इन दोनों राज्यों में एक-एक नेशनल कामधेनु ब्रीडिंग सेन्टर की स्थापना होगी।...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह (सतना) : मंत्री जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री जी, आप लोग दिल्ली में चलाने नहीं देते, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा रखा है। ...(व्यवधान) सरकार यह करे कि दिल्ली में पशु पाल सकें जिसके पास सौ, दौ सौ गज जमीन है। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : आपकी बात से हम सहमत हैं कि दिल्ली में जिसका बड़ा आवास है, उसके पास एक गाय होनी चाहिए। इस बारे में आप वैंकैय्या जी से बात कीजिए, यह महानगर का मामला है तो कहीं कुछ सुझाव हो सकता है। ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी : 25 परसेंट दिल्ली में अभी भी गांव हैं। ...(व्यवधान)

श्री राधा मोहन सिंह : आप उनसे मिलकर बात कीजिए। आप उनसे प्रतिनिधिमंडल के साथ जाकर मिलिए। मैं यह बता रहा था कि ये जो देसी नस्ल की हमारी गाय हैं, आज समय की आवश्यकता है कि इनके संवर्धन के साथ-साथ संरक्षण की भी बात करें। इसलिए हम उसमें एक योजना और लाए, राज्यों को उसके लिए पैसा दिया है कि आप अपने राज्यों में आयोजन कीजिए कि जो देसी गाय का जो सबसे अच्छा पालक हो, अच्छा दूध देने वाला हो, उसे गोपाल पुरस्कार भी दे और कई प्रकार की गाइड लाइन्स दी हैं। 368 करोड़ रूपए की स्कीम की स्वीकृति दी है और मैं समझता हूँ कि जितनी राशि की जरूरत पड़ेगी हमारे प्रधानमंत्री जी इसमें निश्चित रूप से करेंगे। जो हम एक नंबर के दुग्ध उत्पादक देश हैं और वर्ष 2020 आने तक जो चुनौती हमारे सामने खड़ी होने वाली है, उसका न सिर्फ हम सामना करेंगे, बल्कि उस पर विजय भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके पक्ष में हैं।

मैंने शुरू में भी आभार प्रकट किया था कि करूणाकरण जी बहुत अच्छा विषय और उचित समय पर लाए थे। आज माननीय करूणाकरण जी का जन्म दिन भी है, तो बहुत-बहुत शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Sir, the issue raised by Shri Karunakaran was discussed in the previous Session and today also. This shows how seriously the Parliament of India, particularly the Lok Sabha, takes care of the problems of rural people, particularly farmers. I would like to thank Shri Karunakaran and all other Members who have contributed to a constructive discussion in the House. It sends a good message across the country about the Indian Parliament.

HON. DEPUTY SPEAKER: The House shall now take up 'Zero Hour'.

Shri Nishikant Dubey, please be brief, do not take much time.